लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) बिहार, 2007–08

सत्यमेव जयते

# भारत

# के

# नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक

# का

## 31 मार्च 2008 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन

## (राजस्व प्राप्तियाँ)

## बिहार सरकार

# भारत

# के

# नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 2008 को समाप्त हुए वर्ष का

प्रतिवेदन

## (राजस्व प्राप्तियाँ)

---

## बिहार सरकार

---

www.cag.gov.in

# विषय-सूची


| | कंडिका | पृष्ठ |
|---|---|---|
| प्रस्तावना | | iii |
| विहंगावलोकन | | v |
| **अध्याय–I : सामान्य** | | |
| राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति | 1.1 | 1 |
| बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नताएँ | 1.2 | 3 |
| संग्रहण की लागत | 1.3 | 4 |
| संग्रहण का विश्लेषण | 1.4 | 5 |
| राजस्व के बकायों का विश्लेषण | 1.5 | 6 |
| बिक्री कर के निर्धारण के बकाये मामले | 1.6 | 7 |
| कर का अपवंचन | 1.7 | 8 |
| वापसी | 1.8 | 8 |
| आन्तरिक लेखापरीक्षा | 1.9 | 9 |
| लेखापरीक्षा के परिणाम | 1.10 | 9 |
| लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा अवलोकन | 1.11 | 10 |
| विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें | 1.12 | 11 |
| प्रारुप लेखापरीक्षा कंडिकाओं के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया | 1.13 | 11 |
| लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कार्यवाही | 1.14 | 12 |
| स्वीकृत मामलों के राजस्व की वसूली | 1.15 | 13 |
| **अध्याय–II : बिक्री, व्यापार आदि पर कर** | | |
| लेखापरीक्षा के परिणाम | 2.1 | 14 |
| कार्य/आपूर्ति संविदा पर बिक्री कर/मूल्य वर्द्धित कर का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण | 2.2 | 15 |
| आवर्त का गलत निर्धारण | 2.3 | 23 |
| वापसी पर ब्याज का अधिक भुगतान | 2.4 | 25 |
| कर का कम आरोपण | 2.5 | 26 |
| अतिरिक्त कर का कम आरोपण | 2.6 | 27 |
| कर का गलत दर लगाया जाना | 2.7 | 27 |
| आवर्त का छिपाव | 2.8 | 28 |
| केन्द्रीय बिक्री कर का अवनिर्धारण | 2.9 | 30 |
| **अध्याय–III : राज्य उत्पाद** | | |
| लेखापरीक्षा के परिणाम | 3.1 | 33 |
| न्यूनतम गारंटी कोटा का उठाव कम किये जाने के कारण राजस्व की हानि | 3.2 | 34 |
| उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती नहीं/विलम्ब से किये जाने के कारण राजस्व की हानि | 3.3 | 35 |
| मोलासेस से शराब की कम प्राप्ति के कारण राजस्व की हानि | 3.4 | 36 |
| देशी शराब/मशालेदार देशी शराब के अधिक उठाव किये जाने पर निर्गमन फीस की कम वसूली | 3.5 | 37 |

| | कंडिका | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **अध्याय–IV : मोटर वाहनों पर कर** | | |
| लेखापरीक्षा के परिणाम | 4.1 | 38 |
| मोटर वाहन पर कर की वसूली नहीं किया जाना | 4.2 | 39 |
| ट्रेलरों के विरुद्ध कर की वसूली नहीं किया जाना | 4.3 | 39 |
| योग्यता प्रमाण पत्र का अनियमित निर्गमन | 4.4 | 40 |
| अभ्यर्पण में अन्तर्ग्रस्त वाहनों से कर की वसूली नहीं किया जाना | 4.5 | 41 |
| मोटर वाहनों के व्यवसायियों से व्यापार कर की वसूली नहीं/कम किया जाना | 4.6 | 42 |
| द्वितीयक निबंधन प्रमाण पत्र के अनियमित निर्गमन/स्वामित्व के हस्तांतरण के कारण कर की वसूली नहीं किया जाना | 4.7 | 43 |
| अतिरिक्त निबंधन फीस की वसूली नहीं/कम किया जाना | 4.8 | 43 |
| **अध्याय–V : अन्य कर प्राप्तियाँ** | | |
| लेखापरीक्षा के परिणाम | 5.1 | 45 |
| पट्टे पर दी गई खास महाल भूमि का नवीकरण नहीं किये जाने के कारण राजस्व की वसूली नहीं होना | 5.2 | 46 |
| काबिल लगान भूमि पर लगान का निर्धारण नहीं होने के कारण लगान एवं उपकर आरोपित नहीं किया जाना | 5.3 | 47 |
| आयात मूल्य के छिपाव के कारण प्रवेश कर का कम आरोपण | 5.4 | 48 |
| प्रवेश कर का गलत दर लगाया जाना | 5.5 | 49 |
| अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना | 5.6 | 49 |
| आवर्त के छिपाव के कारण विलासिता कर का कम आरोपण | 5.7 | 50 |
| **अध्याय–VI : कर भिन्न प्राप्तियाँ** | | |
| लेखापरीक्षा के परिणाम | 6.1 | 51 |
| जल दर प्राप्तियाँ | 6.2 | 52 |
| ईट मिट्टी के अवैध खनन पर अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना | 6.3 | 66 |
| खनिजों की अवैध अधिप्राप्ति के लिए कार्य संवेदकों के विरुद्ध अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना | 6.4 | 66 |
| नीलाम/डाक राशि के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना | 6.5 | 67 |
| बन्दोबस्ती के दस्तावेजों का निष्पादन नहीं होने के कारण राजस्व की हानि | 6.6 | 68 |
| अतिक्रमित वन भूमि से बेदखल नहीं किया जाना | 6.7 | 68 |

# *प्रस्तावना*

31 मार्च 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अधीन राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिए तैयार किया गया है।

राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा, भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अधीन संचालित की जाती है। यह प्रतिवेदन बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, अन्य कर प्राप्तियाँ, खनिज रियायत, फीस, रॉयल्टी और राज्य के अन्य कर भिन्न प्राप्तियों को शामिल करते हुए प्राप्तियों की लेखापरीक्षा का परिणाम प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं जो वर्ष 2007–08 की अवधि में अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में देखने में आये, साथ ही उन मामलों को भी सम्मिलित किया गया है जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आये किन्तु पिछले प्रतिवेदनों में उन्हें सम्मिलित नहीं किया जा सका।

# विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में दो समीक्षाओं सहित 31 कंडिकाएँ हैं जिनमें 523.80 करोड़ रुपये से सन्निहित कर, ब्याज इत्यादि का नहीं/कम आरोपित किये जाने से सम्बन्धित मामले हैं। प्रमुख निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है :

## I. सामान्य

वर्ष 2007–08 के लिए बिहार सरकार की कुल प्राप्तियाँ 28,209.08 करोड़ रुपये थी। कर राजस्व के 5,085.53 करोड़ रुपये और कर भिन्न राजस्व के 525.59 करोड़ रुपये को मिलाकर, राज्य सरकार ने कुल 5,611.12 करोड़ रुपये का राजस्व सृजित किया। भारत सरकार से 22,597.96 करोड़ रुपये (विभाज्य संघीय करों से राज्य का हिस्सा: 16,766.29 करोड़ रुपये और सहायता अनुदानः 5,831.67 करोड़ रुपये) की प्राप्ति हुई। इस प्रकार राज्य सरकार, कुल राजस्व का केवल 20 प्रतिशत ही सृजित कर सकी।

**(कंडिका 1.1.1)**

वाणिज्यकर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, मुद्रांक एवं निबंधन फीस, विद्युत शुल्क, अन्य कर प्राप्तियाँ, वन प्राप्तियाँ, ब्याज प्राप्तियाँ तथा अन्य कर भिन्न प्राप्तियों के अभिलेखों की वर्ष 2007–08 के दौरान की गई नमूना जाँच से 1,290 मामलों में 1,028.80 करोड़ रुपये के राजस्व का अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि का पता चला, जिसमें से सम्बन्धित विभागों ने 479 मामलों में अन्तर्निहित 211.78 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया। सम्बन्धित विभागों ने 1.05 करोड़ रुपये की वसूली भी प्रतिवेदित किया।

**(कंडिका 1.10)**

दिसम्बर 2007 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं, जिनका निराकरण जून 2008 तक नहीं हो पाया था, की संख्या क्रमशः 3,564 एवं 18,997 थी जिसमें 4,358.62 करोड़ रुपये अन्तर्निहित थे। 2,721 निरीक्षण प्रतिवेदनों के लिए प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए हैं, यद्यपि इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर उत्तर दिया जाना अपेक्षित था।

**(कंडिका 1.11)**

## II. बिक्री, व्यापार आदि पर कर

**'कार्य/आपूर्ति संविदा पर बिक्री कर/मूल्य वर्द्धित कर का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण'** की एक समीक्षा से निम्नलिखित बातों का पता चलाः

- करारोपण विभाग के साथ क्रय करने वाले विभागों के अभिलेखों की तिर्यक जाँच हेतु विस्तृत मार्गदर्शिका बनाने में विभाग की विफलता के फलस्वरूप अनिबंधित व्यवसायियों द्वारा आपूर्ति/कार्य संविदा तथा निबंधित व्यवसायियों द्वारा आवर्त के छिपाव का पता नहीं लगाया जा सका। तदन्तर 106.26 करोड़ रुपये के कर की वसूली नहीं/कम हुई।

**(कंडिका 2.2.7)**

- विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर कर निर्धारण पूरा नहीं किये जाने के फलस्वरूप 1.80 करोड़ रुपये के कर की वसूली नहीं हुई।

**(कंडिका 2.2.9)**

- स्रोत पर कर की कटौती के मद में दो व्यवसायियों को 84.25 लाख रुपये की अनियमित छूट दी गई।

(कंडिका 2.2.10)

एक वाणिज्यकर अंचल में एक व्यवसायी के 185.09 करोड़ रुपये के उत्पाद शुल्क को आवर्त में शामिल नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त कर एवं अधिभार सहित 32.85 करोड़ रुपये के कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.3.1.1)

चौदह वाणिज्यकर अंचलों में 20 व्यवसायियों द्वारा 29.47 करोड़ रुपये की बिक्री/क्रय आवर्त को छिपाए जाने के फलस्वरूप अर्थदण्ड सहित 8.35 करोड़ रुपये के कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.8)

दो वाणिज्यकर अंचलों में आठ व्यवसायियों के मामले में 15.72 करोड़ रुपये मूल्य के वस्तुओं का अन्तर्राज्यीय बिक्री, हालाँकि विहित घोषणा प्रपत्रों द्वारा समर्थित नहीं था, घटे दर पर कर आरोपित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 85.40 लाख रुपये के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.9.1)

एक वाणिज्यकर अंचल में 30.81 करोड़ रुपये के वस्तुओं के ट्रांजिट सेल के मद में छूट की गलत अनुमति दिए जाने के फलस्वरूप 1.23 करोड़ रुपये के कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.9.3)

## III. राज्य उत्पाद

चार उत्पाद जिलों में खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों ने वर्ष 2006–07 के दौरान न्यूनतम गारंटी कोटा का उठाव नहीं किया जिसके फलस्वरूप 39.44 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 3.2)

पाँच उत्पाद जिलों में वर्ष 2006–07 के दौरान 25 देशी शराब, आठ मशालेदार देशी शराब तथा नौ भारत निर्मित विदेशी शराब के दुकानों की बन्दोबस्ती नहीं हुई थी तथा विभागीय तौर पर संचालित भी नहीं किये गये थे। इसके परिणामस्वरूप 5.91 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 3.3.1)

पाँच उत्पाद जिलों में वर्ष 2006–07 के दौरान 113 देशी शराब, 71 मशालेदार देशी शराब तथा 42 भारत निर्मित विदेशी शराब के दुकानों की बन्दोबस्ती विलम्ब से किये जाने के कारण सरकार को 6.67 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 3.3.2)

## IV. मोटर वाहनों पर कर

सैंतीस जिला परिवहन कार्यालयों में जुलाई 2002 से जून 2007 की अवधि के लिए 1,320 परिवहन वाहनों से संबंधित 30.68 करोड़ रुपये (अर्थदण्ड सहित) के बकाये कर का न तो वाहन मालिकों द्वारा भुगतान किया गया था और न ही संबंधित कर प्राधिकारियों द्वारा बकायों की वसूली हेतु कोई कार्रवाई की गई थी।

(कंडिका 4.2)

दस जिला परिवहन कार्यालयों में 71 परिवहन वाहनों को कर के अद्यतन भुगतान को सुनिश्चित किये बगैर ही योग्यता प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया था, जिसके फलस्वरूप जुलाई 2002 से जून 2007 के बीच की अवधि के लिए 1.97 करोड़ रुपये (अर्थदण्ड सहित) के कर की वसूली नहीं हुई।

**(कंडिका 4.4)**

## V. अन्य कर प्राप्तियाँ

दो खास महाल कार्यालयों में पट्टे वाली खास महाल भूमि के 2,701 कब्जाधारी अनाधिकृत रूप से भूमि पर लगातार कब्जा बनाये हुये थे, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2003–04 से 2007–08 की अवधि के लिए दण्ड लगान एवं ब्याज सहित 153.60 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

**(कंडिका 5.2)**

दो अंचल कार्यालयों में 2,532.99 एकड़ काबिल लगान भूमि पर वर्ष 2003–04 से 2007–08 की अवधि के लिए 51.12 करोड़ रुपये के लगान एवं उपकर का निर्धारण नहीं किया गया था।

**(कंडिका 5.3)**

गया वाणिज्यकर अंचल में निबंधित एक व्यवसायी द्वारा वर्ष 2004–05 के दौरान अनुसूचित वस्तुओं के आयात मूल्य के छिपाव के परिणामस्वरूप न्यूनतम अर्थदण्ड सहित 33.31 लाख रुपये के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ।

**(कंडिका 5.4)**

## VI. कर भिन्न प्राप्तियाँ

**'जल दर प्राप्तियाँ'** की एक समीक्षा से निम्नलिखित बातों का पता चला :

- जल संसाधन की उपलब्धता से संबंधित आँकड़ों के अभाव में उपलब्ध सिंचाई क्षमता का निर्धारण अवास्तविक एवं अविश्वसनीय था। तदन्तर, विभाग सिंचाई हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका, जिसके फलस्वरूप 50.21 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

**(कंडिका 6.2.7)**

- सहभागिता सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम के तहत् जल उपभोक्ता संघ को भूमि के हस्तांतरण की स्थिति पर अनुश्रवण के अभाव के परिणामस्वरूप 98 प्रतिशत की कमी के कारण योजना का प्राथमिक उद्देश्य निष्फल रहा। इसके अलावे, 14 उपभोक्ता संघों, जिन्हें कार्यक्रम के तहत् भूमि हस्तांतरित की गयी थी, द्वारा 48 लाख रुपये का भुगतान कम किये जाने की जानकारी से भी निदेशालय अनभिज्ञ था।

**(कंडिका 6.2.8)**

- रिपोर्ट/रिटर्न के अभाव में प्रमण्डलों द्वारा चाट भूमि के अभिलेखों का संधारण नहीं किये जाने तथा 1.22 करोड़ रुपये की बन्दोबस्ती राशि का अग्रिम में भुगतान किये बगैर चाट भूमि की बन्दोबस्ती किये जाने से निदेशालय/सरकार अनभिज्ञ था।

**(कंडिका 6.2.10)**

- सुनिश्चित एवं संभावित सिंचाई योग्य भूमि का खतियान तैयार नहीं किये जाने के फलस्वरूप 16.56 करोड़ रुपये की माँग का सृजन नहीं किया गया। इसके अलावे, तैयार खतियान के मामले में 4.35 करोड़ रुपये की माँग का सृजन कम हुआ।

**(कंडिका 6.2.11)**

पाँच जिला खनन कार्यालयों में वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 के ईंट मौसम में 228 ईंट भट्ठे विहित समेकित रॉयल्टी की राशि का बिना भुगतान किए एवं बगैर किसी वैध परमिट के परिचालित थे। सक्षम प्राधिकारी 1.17 करोड़ रुपये के अर्थदण्ड आरोपित करने में विफल रहे।

**(कंडिका 6.3)**

तीन वन प्रमण्डलों में 1.51 करोड़ रुपये मूल्य के 26.0976 हेक्टेयर वन भूमि का वर्ष 2002–03 से 2006–07 के दौरान अतिक्रमण किया गया था।

**(कंडिका 6.7)**

# अध्याय– I : सामान्य

## 1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

**1.1.1** वर्ष 2007–08 के दौरान बिहार सरकार द्वारा सृजित कर एवं कर भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश एवं सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तत्सम्बन्धी आँकड़े नीचे दिये गये हैं:

(करोड़ रुपये में)

| क्र0 सं0 | ब्योरे | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 | 2006–07 | 2007–08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व | | | | | |
| | • कर राजस्व | 2,889.69 | 3,347.39 | 3,561.10 | 4,033.08 | 5,085.53 |
| | • कर भिन्न राजस्व | 320.38 | 417.79 | 522.30 | 511.28 | 525.59 |
| | **कुल** | **3,210.07** | **3,765.18** | **4,083.40** | **4,544.36** | **5,611.12** |
| II. | भारत सरकार से प्राप्तियाँ | | | | | |
| | • विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश | 7,627.87 | 9,117.13 | 10,420.59 | 13,291.72 | 16,766.29 |
| | • सहायता अनुदान | 1,617.62 | 2,831.83 | 3,332.72 | 5,247.11 | 5,831.67 |
| | **कुल** | **9,245.49** | **11,948.96** | **13,753.31** | **18,538.83** | **22,597.96** |
| III. | राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ[1] (I एवं II) | **12,455.56** | **15,714.14** | **17,836.71** | **23,083.19** | **28,209.08** |
| IV. | III से I की प्रतिशतता | **26** | **24** | **23** | **20** | **20** |

उपर्युक्त तालिका से पता चलता है कि पिछले वर्ष के अनुरूप वर्ष 2007–08 के दौरान राज्य सरकार ने 28,209.08 करोड़ रुपये के कुल राजस्व प्राप्तियों का केवल 20 प्रतिशत ही सृजित किया। प्राप्तियों का शेष 80 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त था। कुल राजस्व प्राप्तियों में से राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व के अंशदान में वर्ष 2003–04 से 2006–07 की अवधि में लगातार ह्रास होती चली गई।

---

[1] पूर्ण विवरण के लिए कृपया बिहार सरकार के वर्ष 2007–08 के वित्त लेखे में विवरणी संख्या–11 लघु शीर्ष राजस्व की विस्तृत लेखा देखें। मुख्य शीर्ष – 0020 निगम कर, 0021 – निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028 – आय और व्यय पर अन्य कर, 0032 – सम्पत्ति पर कर, 0037 – सीमा शुल्क, 0038 – संघीय उत्पाद, 0044 – सेवा पर कर एवं 0045 – वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क – लघु शीर्ष 901 – निबल प्राप्तियों में राज्य को समनुदिष्ट हिस्सा के अन्तर्गत आँकड़े जो वित्त लेखा में क – कर राजस्व में दिखलाये गये हैं, को राज्य द्वारा सृजित राजस्व से हटाकर विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश में सम्मिलित कर इस विवरणी में दिखलाया गया है।

**1.1.2** निम्न तालिका वर्ष 2003–04 से 2007–08 की अवधि में सृजित कर राजस्व के विवरण को दर्शाता है:

(करोड़ रुपये में)

| क्रम सं० | राजस्व शीर्ष | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 | 2006–07 | 2007–08 | 2006–07 की अपेक्षा 2007–08 में वृद्धि (+) या ह्रास (–) की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 1,637.23 | 1,890.54 | 1,733.60 | 2,081.49 | 2,534.80 | (+) 21.78 |
| 2. | राज्य उत्पाद | 240.01 | 272.47 | 318.59 | 381.93 | 525.42 | (+) 37.57 |
| 3. | मुद्रांक शुल्क एवं निबन्धन फीस | 417.56 | 429.14 | 505.29 | 455.02 | 654.15 | (+) 43.76 |
| 4. | विद्युत पर कर एवं शुल्क | 17.62 | 9.54 | 18.06 | 62.84 | 64.05 | (+) 1.93 |
| 5. | वाहनों पर कर | 209.50 | 212.78 | 302.44 | 181.38 | 273.21 | (+) 50.63 |
| 6. | माल एवं यात्रियों पर कर–स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर | 305.83 | 472.88 | 613.38 | 783.01 | 937.87 | (+) 19.78 |
| 7. | वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क | 28.14 | 26.65 | 14.72 | 12.76 | 13.93 | (+) 9.17 |
| 8. | भू–राजस्व | 33.80 | 33.39 | 55.02 | 74.65 | 82.10 | (+) 9.98 |
| | कुल | **2,889.69** | **3,347.39** | **3561.10** | **4,033.08** | **5,085.53** | (+) 26.10 |

वर्ष 2006–07 की तुलना में 2007–08 के दौरान प्राप्तियों में भिन्नता का कारण, जैसा कि संबंधित विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया था, नीचे दिये गये हैं:

**बिक्री, व्यापार आदि पर कर** : यह वृद्धि (21.78 प्रतिशत) बिहार वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर के दरों को युक्तिसंगत बनाये जाने के कारण हुई।

**राज्य उत्पाद** : यह वृद्धि (37.57 प्रतिशत) नई उत्पाद नीति 2007 (जुलाई 2007) के लागू किये जाने के साथ–साथ उत्पाद दुकानों की संख्या में बढ़ोत्तरी के कारण हुई।

**मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस** : यह वृद्धि (43.76 प्रतिशत) बेहतर अनुश्रवण एवं फ्लैटों के निबंधन के कारण हुई।

**माल एवं यात्रियों पर कर – स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर** : यह वृद्धि (19.78 प्रतिशत) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में बढ़ोत्तरी के कारण हुई।

**वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क** : यह वृद्धि (9.17 प्रतिशत) कर की दर में परिवर्तन के कारण हुई।

माँगे जाने (मई एवं अगस्त 2008) के बावजूद, अन्य विभाग भिन्नता का कारण सूचित नहीं किये थे (अक्तूबर 2008)।

**1.1.3** निम्न तालिका वर्ष 2003–04 से 2007–08 की अवधि में सृजित कर भिन्न राजस्व के विवरण को दर्शाता है:

(करोड़ रुपये में)

| क्रम सं0 | राजस्व शीर्ष | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 | 2006–07 | 2007–08 | 2006–07 की अपेक्षा 2007–08 में वृद्धि (+) या ह्रास (–) की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ब्याज प्राप्तियाँ | 23.08 | 75.06 | 216.07 | 175.99 | 170.71 | (–) 3.00 |
| 2. | वानिकी एवं वन्य जीव | 6.29 | 7.16 | 8.89 | 6.35 | 6.64 | (+) 4.57 |
| 3. | अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग | 73.34 | 80.09 | 100.90 | 127.65 | 178.66 | (+) 39.96 |
| 4. | विविध सामान्य सेवाएँ | 0.15 | 9.07 | 11.77 | 20.88 | 3.02 | (–) 85.54 |
| 5. | मध्यम सिंचाई | 26.22 | 20.82 | 10.82 | 10.95 | 9.67 | (–) 11.69 |
| 6. | चिकित्सा एवं लोक–स्वास्थ्य | 11.97 | 12.66 | 15.10 | 17.52 | 21.07 | (+) 20.26 |
| 7. | मत्स्य पालन | 5.07 | 5.15 | 5.69 | 6.09 | 6.57 | (+) 7.88 |
| 8. | पथ एवं पुलें | 10.63 | 8.43 | 12.05 | 16.75 | 17.95 | (+) 7.16 |
| 9. | पुलिस | 16.86 | 13.72 | 6.00 | 10.53 | 23.47 | (+)122.89 |
| 10. | अन्य प्रशासनिक सेवाएँ | 80.72 | 107.99 | 34.21 | 20.28 | 12.00 | (–) 40.83 |
| 11. | अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ | 66.05 | 77.64 | 100.80 | 98.29 | 75.83 | (–) 22.85 |
| | **कुल** | **320.38** | **417.79** | **522.30** | **511.28** | **525.59** | (+) **2.80** |

वर्ष 2006–07 की तुलना में वर्ष 2007–08 में प्राप्तियों में भिन्नता का कारण, जैसा कि संबंधित विभागों द्वारा सूचित किया गया था, नीचे दिये गये हैं:

**अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग** : यह वृद्धि (39.96 प्रतिशत) बालू घाटों में बढ़ोत्तरी तथा पत्थर के पट्टों की बन्दोबस्ती राशि में वृद्धि के कारण हुई।

**मध्यम सिंचाई** : यह कमी (11.69 प्रतिशत) राजस्व के कम संग्रहण के कारण हुई, जो कर्मचारियों के अभाव के फलस्वरूप बतलाई गई।

माँगे जाने (मई एवं अगस्त 2008) के बावजूद, अन्य विभाग भिन्नता का कारण सूचित नहीं किये थे (अक्तूबर 2008)।

## 1.2 बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नताएँ

वर्ष 2007–08 के लिए कर एवं कर भिन्न राजस्व के मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों के बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नताएँ नीचे दी गई है:

(करोड़ रुपये में)

| क्रम सं० | राजस्व शीर्ष | बजट अनुमान | वास्तविक प्राप्तियाँ | भिन्नताएँ वृद्धि (+)/ ह्रास (–) | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|
| • | कर राजस्व | | | | |
| 1. | बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 2,879.93 | 2,534..80 | (–)345.13 | (–) 11.98 |
| 2. | राज्य उत्पाद | 500.00 | 525.42 | (+) 25.42 | (+) 05.08 |
| 3. | मुद्रांक शुल्क एवं निबन्धन फीस | 720.00 | 654.15 | (–) 65.85 | (–) 09.15 |
| 4. | वाहनों पर कर | 375.00 | 273.21 | (–)101.79 | (–) 27.14 |
| 5. | विद्युत पर कर एवं शुल्क | 19.69 | 64.05 | (+) 44.36 | (+)225.29 |
| 6. | भू–राजस्व | 74.67 | 82.10 | (+) 7.43 | (+) 9.95 |
| 7. | वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क | 18.39 | 13.93 | (–) 4.46 | (–) 24.25 |
| 8. | माल एवं यात्रियों पर कर–स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर | 381.33 | 937.87 | (+)556.54 | (+)145.95 |
| • | कर भिन्न राजस्व | | | | |
| 1. | अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग | 102.93 | 178.66 | (+) 75.73 | (+) 73.57 |
| 2. | वानिकी एवं वन्य जीव | 4.65 | 6.64 | (+) 1.99 | (+) 42.80 |
| 3. | ब्याज प्राप्तियाँ | 58.89 | 170.71 | (+)111.82 | (+)189.88 |
| 4. | जल दर (मध्यम सिंचाई) | 1.50 | 9.67 | (+) 8.17 | (+)544.67 |

बजट अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नता का कारण, जैसा कि संबंधित विभागों द्वारा प्रतिवेदित किया गया था, नीचे दिये गये हैं :

**माल एवं यात्रियों पर कर – स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर** : इसमें वृद्धि (145.95 प्रतिशत) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में बढ़ोत्तरी के कारण हुई।

**अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग** : यह वृद्धि (73.57 प्रतिशत) बालू घाटों में बढ़ोत्तरी तथा पत्थर के पट्टों की बन्दोबस्ती राशि में वृद्धि के कारण हुई।

माँगे जाने (मई एवं अगस्त 2008) के बावजूद, अन्य विभाग भिन्नता का कारण सूचित नहीं किये थे (अक्तूबर 2008)।

## 1.3 संग्रहण की लागत

वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक की अवधि में मुख्य राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रहण, उस संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण से ऐसे व्यय की प्रतिशतता के साथ–साथ वर्ष 2006–07 के लिए सकल संग्रहण पर व्यय से सम्बन्धित अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता नीचे दर्शायी गयी है :

(करोड़ रुपये में)

| क्रम सं0 | राजस्व शीर्ष | वर्ष | सकल संग्रहण | संग्रहण पर व्यय | सकल संग्रहण से व्यय की प्रतिशतता | वर्ष 2006–07 के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 2005–06 | 1,733.60 | 25.47 | 1.47 | 0.82 |
| | | 2006–07 | 2081.49 | 27.30 | 1.31 | |
| | | 2007–08 | 3,550.65 | 42.73 | 1.20[2] | |
| 2. | राज्य उत्पाद | 2005–06 | 318.59 | 14.78 | 4.64 | 3.30 |
| | | 2006–07 | 381.93 | 18.31 | 4.79 | |
| | | 2007–08 | 525.42 | 22.14 | 4.21 | |
| 3. | मुद्रांक शुल्क एवं निबन्धन फीस | 2005–06 | 505.29 | 22.48 | 4.45 | 2.33 |
| | | 2006–07 | 455.02 | 36.86 | 8.10 | |
| | | 2007–08 | 654.15 | 34.03 | 5.20 | |
| 4. | वाहनों पर कर | 2005–06 | 302.44 | 5.09 | 1.68 | 2.47 |
| | | 2006–07 | 181.38 | 6.03 | 3.32 | |
| | | 2007–08 | 273.21 | 5.96 | 2.18 | |

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाता है कि बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद एवं मुद्रांक तथा निबन्धन फीस के संग्रहण पर किये गये व्यय की प्रतिशतता, अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से अधिक थी, जिस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

## 1.4 संग्रहण का विश्लेषण

कर निर्धारण के पूर्व तथा नियमित कर निर्धारण के बाद वर्ष 2007–08 की अवधि में बिक्री, व्यापार आदि पर कर के कुल संग्रहण का ब्योरा तथा वित्त (वाणिज्य कर) विभाग द्वारा प्रस्तुत विगत चार वर्षों के तदनुरूपी आँकड़े नीचे दिये गये हैं :

(करोड़ रुपये में)

| राजस्व शीर्ष | वर्ष | कर निर्धारण के पूर्व संग्रहित राशि | नियमित कर निर्धारण के बाद संग्रहित राशि | कर एवं शुल्क के भुगतान में विलम्ब के लिए अर्थदण्ड | वापस की गई राशि | विभाग के अनुसार निबल संग्रहण | वित्त लेखे के अनुसार निबल संग्रहण | कॉलम 8 से कॉलम 3 की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 2003–04 | 1,542.98 | 91.72 | 1.01 | 4.17 | 1,630.53 | 1,637.23 | 94.24 |
| | 2004–05 | 1,809.59 | 78.79 | 1.37 | 9.18 | 1,879.20 | 1,890.54 | 95.72 |
| | 2005–06 | 1664.13 | 69.92 | 0.89 | 17.36 | 1,716.70 | 1733.60 | 95.99 |
| | 2006–07 | 2,002.62 | 81.25 | 2.81 | 11.96 | 2,071.92 | 2,081.49 | 96.21 |
| | 2007–08 | 2,537.11 | 39.86 | 2.24 | 38.00 | 2,538.97 | 2,534,80 | 100.09 |

2 वर्ष 2007–08 के लिए सकल संग्रहण के व्यय की प्रतिशतता में बिक्री कर के अलावे माल एवं यात्रियों पर कर स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क तथा वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क शामिल है।

इस प्रकार, नियमित कर निर्धारण से पूर्व कर संग्रहण की प्रतिशतता 96.21 प्रतिशत से बढ़कर 100.09 प्रतिशत हुई, जो अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों का स्वेच्छा से अनुपालन में सुधार को दर्शाता है।

## 1.5 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

विभागों द्वारा यथा प्रतिवेदित प्रमुख शीर्षों से संबंधित 31 मार्च 2008 को बकाया राजस्व 1,596.08 करोड़ रुपये था, जिसमें से 673.85 करोड़ रुपये पाँच वर्षों से अधिक समय से लम्बित थे, जिसका ब्यौरा नीचे की तालिका में दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

| क्रम सं0 | राजस्व शीर्ष | 31 मार्च 2008 को बकाया राशि | 31 मार्च 2008 को पाँच वर्षों से अधिक पुराना बकाया राशि | अभ्युक्तियाँ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 916.08 | 552.09 | 916.08 करोड़ रुपये में से 300.58 करोड़ रुपये की माँग की वसूली के लिए बकाए भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किये गये थे। 427.58 करोड़ रुपये एवं 11.50 करोड़ रुपये की वसूली पर क्रमशः न्यायालय तथा सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी। 5.08 करोड़ रुपये की वसूली आवेदन के भूल–सुधार/पुनर्विचार के कारण रोकी गई थी। 1.72 करोड़ रुपये की राशि अपलेखन योग्य थी तथा 169.62 करोड़ रुपये अन्य स्थितियों में लम्बित थे। |
| 2. | वाहनों पर कर | 112.56 | 112.56 | 112.56 करोड़ रुपये में से 106.79 करोड़ रुपये की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किये गये थे। शेष 5.77 करोड़ रुपये के बकाये के सम्बन्ध में की गई स्पष्ट कार्रवाई की माँग (मई एवं अगस्त 2008) किये जाने के बावजूद सूचित नहीं किये गये (अक्तूबर 2008)। |
| 3. | भू–राजस्व | 133.94 | अनुपलब्ध | संग्रहण के लिए लम्बित बकायों की स्थितियों की माँग (मई एवं अगस्त 2008) किये जाने के बावजूद सूचित नहीं किये गये (अक्तूबर 2008)। |
| 4. | राज्य उत्पाद | 14.34[3] | 1.62 | 14.34 करोड़ रुपये में से 8.88 करोड़ रुपये की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किये गये थे। 1.44 करोड़ रुपये एवं 14.04 लाख रुपये की वसूली पर क्रमशः न्यायालय तथा सरकार द्वारा रोक लगायी गयी थी। 72.14 लाख रुपये की वसूली आवेदन के भूल–सुधार/पुनर्विचार के कारण रोकी गई थी। 37.97 लाख रुपये की राशि अपलेखन योग्य थी तथा 2.78 करोड़ रुपये अन्य स्थितियों में लम्बित थे। |
| 5. | विद्युत पर कर तथा शुल्क | 3.69 | 3.69 | संग्रहण के लिए लम्बित बकायों की स्थितियों की माँग (मई एवं अगस्त 2008) किये जाने के बावजूद सूचित नहीं किये गये (अक्तूबर 2008)। |

[3] बकाये की राशि में कैमूर, सारण, शिवहर, सुपौल, शेखपुरा, जमुई एवं बाँका जिला उत्पाद कार्यालयों तथा मीरगंज, नरकटियागंज एवं एस0 सी0 आई0 डिस्टीलरी के आँकड़े उनके प्रतिवेदन की अनुपलब्धता के कारण सम्मिलित नहीं हैं।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6. | प्रवेश कर | 40.75 | 2.22 | 40.75 करोड़ रुपये में से 7.07 करोड़ रुपये की वसूली न्यायालय द्वारा रोकी गई थी तथा 33.68 करोड़ रुपये अन्य स्थितियों में लम्बित थे। |
| 7. | मनोरंजन कर | 3.31 | 1.01 | 3.31 करोड़ रुपये में से 1.46 करोड़ रुपये की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किये गये थे तथा 1.85 करोड़ रुपये अन्य स्थितियों में लम्बित थे। |
| 8. | ईख पर कर | 15.34 | 0.66 | 15.34 करोड़ रुपये में से 3.50 करोड़ रुपये की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किये गये थे। 13 लाख रुपये और 10.89 करोड़ रुपये की वसूली पर क्रमशः न्यायालय और सरकार द्वारा रोक लगायी गयी थी। शेष 82 लाख रुपये के बकाये के संबंध में की गयी स्पष्ट कार्रवाई की माँग (मई एवं अगस्त 2008) किये जाने के बावजूद सूचित नहीं किये गये (अक्तूबर 2008)। |
| 9. | जल दर | 190.68 | अनुपलब्ध | 190.68 करोड़ रुपये में से 1.04 करोड़ रुपये की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किये गये थे। शेष 189.64 करोड़ रुपये के बकाये के संबंध में की गयी स्पष्ट कार्रवाई की माँग (मई एवं अगस्त 2008) किये जाने के बावजूद सूचित नहीं किये गये (अक्तूबर 2008)। |
| 10. | खान एवं खनिज | 165.39 | अनुपलब्ध | 165.39 करोड़ रुपये में से 142.44 करोड़ रुपये की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किये गये थे तथा 22.95 करोड़ रुपये अन्य स्थितियों में लम्बित थे। |
| | कुल | **1,596.08** | **673.85** | |

वर्ष 2007–08 के अन्त में अन्य विभागों से राजस्व के बकायों की स्थितियों की माँग (मई एवं अगस्त 2008) किये जाने के बावजूद सूचित नहीं किये गये (अक्तूबर 2008)।

## 1.6 बिक्री कर के निर्धारण में बकाये मामले

वर्ष 2003–04 से 2007–08 की अवधि में, वर्ष के प्रारम्भ में बिक्री कर निर्धारण सम्बन्धी लम्बित मामले, वर्ष के दौरान कर निर्धारण योग्य मामले, वर्ष की अवधि में निष्पादित मामले और प्रत्येक वर्ष के अन्त में लम्बित मामलों की संख्या का विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया, नीचे दिये गये हैं :

| वर्ष | प्रारम्भिक शेष | वर्ष के दौरान कर निर्धारण योग्य नये मामले | कुल | वर्ष के दौरान निष्पादित मामले | वर्ष के अन्त में शेष | कॉलम 4 से कॉलम 6 की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2003–04 | 2,08,212 | 66,398 | 2,74,610 | 49,202 | 2,25,408 | 82 |
| 2004–05 | 2,25,408 | 69,914 | 2,95,332 | 75,582 | 2,19,750 | 74 |
| 2005–06 | 2,19,750 | 65,917 | 2,85,667 | 64,944 | 2,20,723 | 77 |
| 2006–07 | 2,20,723 | 20,193 | 2,40,916 | 33,280 | 2,07,636 | 86 |
| 2007–08 | 2,07,636 | 2,882 | 2,10,518 | 1,43,417[4] | 67,101 | 32 |

4 इस आँकड़े में 98,315 मामले सम्मिलित हैं जो वर्ष 2005–06 से 2007–08 के दौरान स्व–कर निर्धारित मान लिये गये थे।

वर्ष 2006–07 की तुलना में वर्ष 2007–08 के दौरान कर निर्धारण हेतु नये मामलों की संख्या में कमी का कारण 2.50 लाख रुपये वार्षिक कर देयता वाले व्यवसायियों को विभाग द्वारा स्व–कर निर्धारित मान लिया जाना था।

## 1.7 कर का अपवंचन

विभागों द्वारा पता लगाये गये कर अपवंचन के मामले, निष्पादित मामले एवं सृजित माँग जैसा कि संबंधित विभागों द्वारा प्रतिवेदित थे, नीचे दिये गये हैं :

| क्रम सं. | राजस्व शीर्ष | 31 मार्च 2007 को बकाये मामले | वर्ष 2007–08 के दौरान पता लगाये गये मामले | योग | मामलों की संख्या जिनका निर्धारण/अनुसंधान पूरा किया गया तथा वर्ष 2007–08 के दौरान अर्थदण्ड इत्यादि सहित सृजित अतिरिक्त माँग | | 31 मार्च 2008 तक बकाये मामलों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | मामलों की सं. | माँग की गई राशि (लाख रुपये में) | |
| 1. | बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वस्तुओं और यात्रियों के प्रवेश पर कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क तथा सामानों तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क | 87 | 92 | 179 | 116 | 526.39 | 63 |
| 2. | राज्य उत्पाद | 1[5] | - | 1 | - | - | 1 |
| 3. | मुद्रांक एवं निबन्धन | 10,039 | 2,441 | 12,480 | 2,411 | 2.12 | 10,069 |

इस प्रकार, वर्ष 2007–08 के दौरान वाणिज्यकर विभाग मात्र 116 मामलों का अंतिम निपटारा कर सका, जो कुल निपटारा की जाने वाली बकाये मामलों का 65 प्रतिशत है जबकि निबंधन, उत्पाद एवं निषेध (निबंधन) विभाग मात्र 2,411 मामलों का अंतिम निपटारा कर सका जो कुल निपटारा की जाने वाली बकाये मामलों का मात्र 19.32 प्रतिशत है। निबंधन, उत्पाद एवं निषेध (उत्पाद एवं निषेध) विभाग वर्ष 2007–08 के दौरान एक भी मामले का निपटारा नहीं कर सका। हालाँकि, वाणिज्यकर विभाग द्वारा प्रतिवेदित आरम्भिक शेष 87, पिछले वर्ष की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शायी गयी अंतिम शेष से भिन्न था।

## 1.8 वापसी

वर्ष 2007–08 के आरम्भ में वापसी से सम्बन्धित लम्बित मामलों की संख्या, वर्ष की अवधि में प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान की गई वापसी तथा वर्ष के अन्त में (मार्च 2008) लम्बित मामले, जैसा कि विभागों द्वारा सूचित किये गये थे, नीचे दिए गए हैं :

5 इस आँकड़े में कैमूर, सारण, शिवहर, सुपौल, शेखपुरा, जमुई तथा बांका जिला उत्पाद कार्यालयों तथा मीरगंज, नरकटियागंज एवं एस० सी० आई० डिस्टीलरीज के आँकड़े उनके प्रतिवेदनों की अनुपलब्धता के कारण शामिल नहीं है।

(करोड़ रुपये में)

| क्र0 सं0 | ब्योरे | बिक्री कर | | स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर | | राज्य उत्पाद[6] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मामलों की संख्या | राशि | मामलों की संख्या | राशि | मामलों की संख्या | राशि |
| 1. | वर्ष के आरम्भ में बकाया दावे | 2,332 | 23.93 | 9 | 0.39 | 268 | 2.65 |
| 2. | वर्ष की अवधि में प्राप्त दावे | 231 | 61.70 | — | — | 214 | 5.86 |
| 3. | वर्ष की अवधि में की गई वापसी | 315 | 38.00 | 1 | 0.02 | 223 | 7.16 |
| 4. | वर्ष के अन्त में बकाया शेष | 2,248 | 47.63 | 8 | 0.37 | 259 | 1.35 |

बिक्री कर एवं स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर से संबंधित आरम्भिक शेष, जैसा कि संबंधित विभागों द्वारा प्रतिवेदित किया गया था, पिछले वर्ष की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समाहित अंतिम शेष से भिन्न था।

## 1.9 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो संगठन को स्वयं आश्वस्त कराता है कि विहित प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्यशील हैं।

वित्त अंकेक्षण विभाग के संकलित मैनुअल[7] तथा परिपत्र (1953) के अनुसार सरकारी विभागों के आंतरिक लेखापरीक्षा संगठन, वित्त विभाग के अधीन केन्द्रित थे। जैसा कि वित्त विभाग ने सूचित किया (नवम्बर 2008), बिहार सरकार के विभिन्न कार्यालयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा संबद्ध कार्यालयों के प्रशासनिक विभाग द्वारा प्राप्त अधियाचना के आधार पर किया जाता है। विभाग ने यह भी बताया कि कर्मियों के अभाव के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा में कमी हुई। हालाँकि, विभाग ने लेखापरीक्षा की जाने वाली कार्यालयों की संख्या, लेखापरीक्षा की गई कार्यालयों की संख्या, निर्गत अवलोकनों की संख्या तथा सन्निहित राशि की अद्यतन सूचना माँगे जाने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराया। यह संसूचित करता है कि आंतरिक लेखापरीक्षा अपने महत्व के अनुरूप नहीं है, जिसके लिए यह योग्य है तथा अप्रभावकारी रहा।

## 1.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2007–08 की अवधि में बिक्री कर, राज्य उत्पाद, मोटर वाहनों पर कर, मुद्रांक तथा निबन्धन फीस, विद्युत शुल्क, अन्य कर प्राप्तियाँ, वन प्राप्तियाँ, ब्याज प्राप्तियाँ तथा अन्य कर भिन्न प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जाँच से 1,290 मामलों में निहित 1,028.80 करोड़ रुपये के राजस्व के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/हानि का पता चला, जिसमें से सम्बन्धित विभागों ने 479 मामलों में सन्निहित 211.78 करोड़ रुपये का अवनिर्धारण एवं

[6] इस आँकड़े में कैमूर, सारण, शिवहर, सुपौल, शेखपुरा, जमुई तथा बांका जिला उत्पाद कार्यालयों तथा मीरगंज, नरकटियागंज एवं एस0 सी0 आई0 डिस्टीलरीज के आँकड़े उनके प्रतिवेदनों की अनुपलब्धता के कारण शामिल नहीं है।

[7] समय–समय पर निर्गत महत्वपूर्ण सरकारी अनुदेशों का संकलन।

अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया। सम्बन्धित विभागों ने 1.05 करोड़ रुपये की वसूली भी प्रतिवेदित किया है।

इस प्रतिवेदन में कर, शुल्क, ब्याज एवं अर्थदण्ड आदि के उद्ग्रहण नहीं किये जाने/कम उद्ग्रहण से सम्बन्धित दो समीक्षाओं सहित 31 कंडिकाएँ हैं, जिनमें 523.80 करोड़ रुपये सन्निहित हैं। विभागों/सरकार ने 17 कंडिकाओं से सम्बन्धित 28 मामलों में सन्निहित 417.49 करोड़ रुपये की लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया तथा 1.48 लाख रुपये की वसूली की। बाकी मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2008)।

## 1.11 लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा अवलोकन

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, लेन–देन की नमूना जाँच, महत्त्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों की विहित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार संधारण की जाँच हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। उन निरीक्षणों को निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि. प्र.) के रूप में, जिनमें निरीक्षण के दौरान पाई गई तथा स्थल पर समाधानित नहीं की जा सकी अनियमितताओं को सम्मिलित करते हुए, निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों एवं अगले उच्चतर प्राधिकारियों को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु प्रतियाँ भेजी जाती हैं। कार्यालय प्रमुखों/सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अवलोकनों का अनुपालन तथा त्रुटियों और चूकों का शीघ्र सुधार किया जाना और निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी किये जाने की तिथि से एक महीने के अन्दर प्रधान महालेखाकार को प्राथमिक उत्तर के माध्यम से अनुपालन रिपोर्ट भेजा जाना अपेक्षित है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएँ विभागों के अध्यक्षों तथा सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं।

दिसम्बर 2007 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों से स्पष्ट था कि जून 2008 के अन्त तक 3,564 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 4,358.62 करोड़ रुपये से सन्निहित 18,997 कंडिकाएँ लम्बित थीं, जैसा कि विगत दो वर्षों के सदृश आँकड़ों के साथ नीचे दी गई है :

| | जून 2006 | जून 2007 | जून 2008 |
|---|---|---|---|
| बकाये निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या | 2,823 | 3,126 | 3,564 |
| बकाये लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या | 15,324 | 16,835 | 18,997 |
| सन्निहित राशि (करोड़ रुपये में) | 2,628.21 | 3,273.56 | 4,358.62 |

30 जून 2008 तक बकाये निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा अवलोकनों की विभागावार विवरणी तथा सन्निहित राशि नीचे दी गई है :

| क्रम सं० | विभाग | प्राप्तियों की प्रकृति | बकाये निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या | बकाये लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या | सन्निहित राशि (करोड़ रुपये में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | वित्त | बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 470 | 4,777 | 869.30 |
| | | प्रवेश कर | 113 | 229 | 51.08 |
| | | विद्युत शुल्क | 21 | 25 | 16.74 |
| | | मनोरंजन कर, विलासिता कर आदि | 13 | 19 | 0.57 |
| 2. | उत्पाद | राज्य उत्पाद | 311 | 1,711 | 466.26 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | राजस्व | भू–राजस्व | 1,387 | 5,974 | 582.28 |
| 4. | परिवहन | वाहनों पर कर | 341 | 2,519 | 909.99 |
| 5. | मुद्रांक एवं निबन्धन | मुद्रांक एवं निबन्धन फीस | 343 | 945 | 111.37 |
| 6. | खनन एवं भूतत्व | अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग | 217 | 1,526 | 524.00 |
| 7. | वन एवं पर्यावरण | वानिकी एवं वन्य जीव | 109 | 459 | 189.55 |
| 8. | जल संसाधन | जल दर | 183 | 679 | 594.12 |
| 9. | ईख | ईख | 56 | 134 | 43.36 |
| कुल | | | **3,564** | **18,997** | **4,358.62** |

यहाँ तक कि दिसम्बर 2007 तक निर्गत किये गये 2,721 निरीक्षण प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में प्राथमिक उत्तर, जिन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन जारी होने के एक माह के अन्दर प्राप्त किया जाना अपेक्षित था, कार्यालयाध्यक्षों से प्राप्त नहीं हुए थे। उत्तरों की अप्राप्ति के कारण निरीक्षण प्रतिवेदनों का यह वृहद् विलम्बन, निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रधान महालेखाकार द्वारा इंगित की गयी गलतियों, चूकों एवं अनियमितताओं को सुधारने की कार्रवाई प्रारम्भ करने में कार्यालयाध्यक्षों तथा विभागाध्यक्षों की विफलता का सूचक है।

यह अनुशंसा की जाती है कि लेखापरीक्षा अवलोकनों के शीघ्र एवं उपयुक्त उत्तर भेजने के साथ–साथ निर्धारित समय–सूची के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के उत्तर भेजने तथा समयबद्ध तरीके से हानि/बकाया माँग वसूल करने में विफल रहे कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु सरकार एक प्रभावकारी प्रक्रिया की स्थापना के लिए उपयुक्त कदम उठाये।

## 1.12 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट बकाये लेखापरीक्षा अवलोकनों का शीघ्र निपटारा करने के उद्देश्य से सरकार ने विभागीय लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया। इन समितियों की अध्यक्षता सम्बन्धित विभाग के प्रशासनिक सचिव करते हैं तथा जिसमें अन्य के साथ–साथ राज्य सरकार एवं प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय के सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित होते हैं।

लेखापरीक्षा अवलोकनों/कंडिकाओं के निपटारे की प्रगति का अनुश्रवण तथा समीक्षा करने हेतु त्रैमासिक बैठकों का आयोजन किया जाना अपेक्षित है। वर्ष 2007–08 की अवधि में परिवहन विभाग से संबंधित लेखापरीक्षा समिति की मात्र एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें 19 कंडिकाएँ निष्पादित की गई थी। अन्य विभागों ने इस बैठक के माध्यम से लम्बित लेखापरीक्षा अवलोकनों का निपटारा करने के लिए कोई भी पहल नहीं की। प्रभावकारी प्रगति हेतु सरकार को इस समिति की आवधिक बैठकें सुनिश्चित करनी चाहिए।

## 1.13 प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया

वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी किया था कि भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में समावेशित किये जाने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर अपने उत्तर छः सप्ताह के अन्दर भेजें। प्रधान महालेखाकार द्वारा प्रारूप कंडिकाओं को अर्धशासकीय पत्रों के माध्यम से सम्बन्धित विभागों के सचिवों को, लेखापरीक्षा अवलोकनों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए तथा छः

सप्ताह के भीतर उनका उत्तर भेजने हेतु अनुरोध करते हुए अग्रसारित किया जाता है। विभागों से उत्तर की अप्राप्ति के तथ्यों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक कंडिका के अन्त में निरपवाद रूप से दर्शाया जाता है।

31 मार्च 2008 को समाप्त हुए वर्ष के इस प्रतिवेदन में सम्मिलित दो समीक्षाओं सहित 31 प्रारूप कंडिकाएँ, सम्बन्धित विभागों के सचिवों को मई और अगस्त 2008 के बीच अर्धशासकीय पत्रों के माध्यम से अग्रसारित किये गये थे। विभिन्न विभागों के सचिवों ने दो समीक्षाओं, चार प्रारूप कंडिकाओं का उत्तर एवं दो प्रारूप कंडिकाओं का आंशिक उत्तर प्रेषित किया, जबकि 23 प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः 23 प्रारूप कंडिकाएँ विभाग/सरकार के उत्तर के बिना इस प्रतिवेदन में सम्मिलित की गई हैं।

## 1.14 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कार्यवाही

सरकारी विभागों को लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विस्तृत स्पष्टीकरण (विभागीय टिप्पणी) तैयार करना है तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को विधानमंडल के पटल पर रखे जाने के तीन महीने के अन्दर इसे लोक लेखा समिति को भेजी जानी है।

समीक्षा से पता चला कि सितम्बर 2008 तक 13 विभागों द्वारा वर्ष 1990–91 एवं 2006–07 के बीच के वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित 208 कंडिकाओं के संबंध में विभागीय टिप्पणी पुनरीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया। विलम्ब की अवधि 3 महीने से लेकर 14 वर्षों से अधिक तक थी, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

| क्रम सं0 | विभाग | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष | विधानमंडल में प्रस्तुतीकरण की तिथियाँ | विभागीय टिप्पणियों के भेजे जाने की अंतिम तिथि | कंडिकाओं की संख्या जो विभागीय टिप्पणियों के लिए बकाये थे | विलम्ब (माह में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | वित्त | 2003-04 से 2004-05 | दिसम्बर 2005 से मार्च 2006 | मार्च 2006 से जून 2006 | 1 | 27 से 30 |
| 2. | वित्त (वाणिज्यकर) | 1993-94, 2000-01 से 2006-07 | दिसम्बर 1995, दिसम्बर 2003 से मार्च 2008 | मार्च 1996, मार्च 2004 से जून 2008 | 46 | 3 से 150 |
| 3. | राज्य उत्पाद | 1990-91 से 2006-07 | मार्च 1994 से मार्च 2008 | जून 1994 से जून 2008 | 41 | 3 से 171 |
| 4. | राजस्व एवं भूमि सुधार | 2005-06 एवं 2006-07 | जुलाई 2007 एवं मार्च 2008 | अक्तूबर 2007 एवं जून 2008 | 19 | 3 से 11 |
| 5. | निबंधन | 1996-97, 2000-01, 2002-03 से 2006-07 | जुलाई 1998, दिसम्बर 2003, दिसम्बर 2004 से मार्च 2008 | अक्तूबर 1998, मार्च 2004, मार्च 2005 से जून 2008 | 5 | 3 से 119 |
| 6. | परिवहन | 1996-97, 1998-99, 2000-01 से 2006-07 | जुलाई 1998, जुलाई 2000, दिसम्बर 2003 से मार्च 2008 | अक्तूबर 1998, अक्तूबर 2000, मार्च 2004 से जून 2008 | 28 | 3 से 119 |
| 7. | ईख | 1990-91 से 2000-01 | मार्च 1994 से दिसम्बर 2003 | जून 1994 से मार्च 2004 | 14 | 54 से 171 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | खनन एवं भूतत्व | 2000-01 से 2006-07 | दिसम्बर 2003 से मार्च 2008 | मार्च 2004 से जून 2008 | 18 | 3 से 54 |
| 9. | वन एवं पर्यावरण | 2000-01 से 2006-07 | दिसम्बर 2003 से मार्च 2008 | मार्च 2004 से जून 2008 | 16 | 3 से 54 |
| 10. | जल संसाधन | 1994-95 से 1998-99, 2000-01, 2002-03 से 2006-07 | जुलाई 1996 से जुलाई 2000, दिसम्बर 2003, दिसम्बर 2004 से मार्च 2008 | अक्तूबर 1996 से अक्तूबर 2000, मार्च 2004, मार्च 2005 से जून 2008 | 15 | 3 से 143 |
| 11. | गृह (पुलिस) | 1998-99 एवं 2005-06 | जुलाई 2000 एवं जुलाई 2007 | अक्तूबर 2001 एवं अक्तूबर 2007 | 2 | 11 से 95 |
| 12. | शहरी विकास | 1997-98 | अगस्त 1999 | नवम्बर 1999 | 1 | 106 |
| 13. | कृषि | 2005-06 | जुलाई 2007 | अक्तूबर 2007 | 2 | 11 |
| कुल | | | | | **208** | |

इस प्रकार, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाये गये महत्वपूर्ण मुद्दों, जिसमें अवसूलित राजस्व की काफी राशि सन्निहित थी, पर त्वरित कार्रवाई करने में कार्यपालिका विफल रही।

## 1.15 स्वीकृत मामलों के राजस्व की वसूली

वर्ष 2002–03 एवं 2006–07 के बीच विभाग/सरकार ने 146.11 करोड़ रुपये से सन्निहित लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया, जिसमें से 31 मार्च 2008 तक मात्र 2.75 करोड़ रुपये की ही वसूली हुई थी, जैसा कि नीचे दिया गया है :

**(करोड़ रुपये में)**

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सन्निहित राशि | स्वीकृत राशि | की गई वसूली |
|---|---|---|---|
| 2002–03 | 175.15 | 0.48 | उपलब्ध नहीं कराया गया |
| 2003–04 | 1,117.71 | 19.53 | वही |
| 2004–05 | 176.92 | 56.63 | 0.67 |
| 2005–06 | 304.68 | 8.07 | 1.26 |
| 2006–07 | 206.42 | 61.40 | 0.82 |
| कुल | **1,980.88** | **146.11** | **2.75** |

संबद्ध विभागों ने माँगे जाने (मई एवं अगस्त 2008) के बावजूद अद्यतन वसूली सूचित नहीं किये (अक्तूबर 2008)।

# अध्याय–II : बिक्री, व्यापार आदि पर कर

## 2.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2007–08 के दौरान विभिन्न वाणिज्यकर अंचलों में बिक्री कर निर्धारण एवं वापसी सम्बन्धी अभिलेखों की नमूना जाँच से 315.60 करोड़ रुपये से सन्निहित 479 मामलों में कर का अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियों का पता चला जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं :

(करोड़ रुपये में)

| क्रम सं0 | श्रेणी | मामलों की संख्या | राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | **'कार्य/आपूर्ति संविदा पर बिक्री कर/मूल्य वर्द्धित कर का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण'– एक समीक्षा** | 1 | 107.10 |
| 2. | कर का नहीं/कम लगाया जाना | 141 | 75.09 |
| 3. | कर के रियायती दर की अनियमित अनुमति | 04 | 73.67 |
| 4. | कर से छूट की अनियमित अनुमति | 51 | 10.95 |
| 5. | आवर्त के गलत निर्धारण के कारण कम कर लगाया जाना | 12 | 2.03 |
| 6. | अर्थदण्ड का नहीं लगाया जाना | 33 | 0.88 |
| 7. | कर का गलत दर लगाया जाना | 23 | 0.90 |
| 8. | अतिरिक्त कर एवं अधिभार का नहीं/कम लगाया जाना | 19 | 0.26 |
| 9. | कर के अधिक संग्रहण पर अर्थदण्ड का नहीं लगाया जाना/संगणना में भूल | 02 | 0.12 |
| 10. | अन्य अनियमितताएँ | 193 | 44.60 |
| | कुल | **479** | **315.60** |

वर्ष 2007–08 के दौरान विभाग ने 70 मामलों में 2.64 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जिसमें से 1.90 करोड़ रुपये से सन्निहित 18 मामले वर्ष 2007–08 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान इंगित किये गये थे। विभाग ने 13.63 लाख रुपये की वसूली प्रतिवेदित किया।

**''कार्य/आपूर्ति संविदा पर बिक्री कर/मूल्य वर्द्धित कर का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण''** पर समीक्षा के लेखापरीक्षा परिणाम, जिसमें कुल 107.10 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रभाव शामिल है तथा दृष्टांतस्वरूप 45.96 करोड़ रुपये से सन्निहित कुछ अन्य मामले निम्नलिखित कंडिकाओं में विवर्णित हैं।

## 2.2 कार्य/आपूर्ति संविदा पर बिक्री कर/मूल्य वर्द्धित कर का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण

### मुख्य अंश

करारोपण विभाग के साथ क्रय करने वाले विभागों के अभिलेखों की तिर्यक जाँच हेतु विस्तृत मार्गदर्शिका बनाने में विभाग की विफलता के फलस्वरूप अनिबंधित व्यवसायियों द्वारा आपूर्ति/कार्य संविदा किये जाने तथा निबंधित व्यवसायियों द्वारा आवर्त के छिपाव का पता नहीं लगाया जा सका। तदन्तर 106.26 करोड़ रुपये के कर की वसूली नहीं/कम हुई।

**(कंडिका 2.2.7)**

विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर कर निर्धारण पूरा नहीं किये जाने के फलस्वरूप 1.80 करोड़ रुपये के कर की वसूली नहीं हुई।

**(कंडिका 2.2.9)**

स्रोत पर कर की कटौती के मद में दो व्यवसायियों को 84.25 लाख रुपये की अनियमित छूट दी गई।

**(कंडिका 2.2.10)**

### 2.2.1 प्रस्तावना

कार्य/आपूर्ति संविदा पर बिक्री कर का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण 31 मार्च 2005 तक बिहार वित्त अधिनियम, 1981 द्वारा शासित होता था। इसके बाद बिहार मूल्य वर्द्धित कर (वैट) अधिनियम 2005 के अधिनियमन के साथ कार्य एवं आपूर्ति संविदा पर मूल्य वर्द्धित कर का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण बिहार वैट अधिनियम, इसके तहत् बनाये गये नियमों एवं निर्गत अधिसूचनाओं/अनुदेशों के अन्तर्गत निपटाया जा रहा है।

बिहार वित्त अधिनियम के साथ-साथ बिहार वैट अधिनियम के अनुसार 'कार्य संविदा' का अर्थ रोकड़ अथवा आस्थगित भुगतान अथवा अन्य मूल्यवान प्रतिफल, किसी भवन, पथ, पुल अथवा अन्य अचल एवं चल सम्पत्ति के निर्माण, सुसज्जितकरण, सुधार या मरम्मत करने हेतु किसी प्रकार का अनुबन्ध करना है। पुनः बिहार वित्त अधिनियम यह प्रावधित करता है कि राज्य में कार्य संविदा के कार्यान्वयन में लगे प्रत्येक संवेदकों, जिनका सकल आवर्त एक वर्ष में 25,000 रुपये से अधिक है, को निबंधन प्रमाण पत्र ले लेना है तथा अधिनियम में विहित दर पर कर का भुगतान करना है एवं आपूर्तिकर्त्ता के मामले में निबंधन हेतु आवर्त की विनिर्दिष्ट मात्रा एक लाख रुपये है। बिहार वैट अधिनियम के अनुसार किसी वस्तु के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप किसी सम्पति के हस्तांतरण से जुड़े कार्य संवेदकों अथवा व्यवसायियों हेतु सकल आवर्त की सीमा शून्य है। यद्यपि आपूर्तिकर्त्ता के मामले में निबंधन हेतु सकल आवर्त की विहित मात्रा पाँच लाख रुपया है।

कार्य/आपूर्ति संविदा के मामले में समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित दर से स्रोत पर कर की कटौती करने हेतु प्रावधान, बिहार वित्त अधिनियम तथा बिहार वैट अधिनियम दोनों में है। अधिनियमों के अनुसार कर के संग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने एवं संवेदकों/आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा कर के अपवंचन को रोकने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभागों अथवा लोक/निजी उपक्रमों के प्रत्येक व्यक्ति, जिनपर संवेदकों/आपूर्तिकर्त्ताओं को भुगतान करने की जिम्मेवारी है, को भुगतान करते समय

विहित दर से स्रोत पर ही बिक्री कर/मूल्य वर्द्धित कर की कटौती करनी है तथा सरकारी खाते में जमा करना है।

लेखापरीक्षा ने कार्य/आपूर्ति संविदा पर बिक्री कर/मूल्य वर्द्धित कर के निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण की पद्धति की समीक्षा की तथा कई प्रणालीगत एवं अनुपालन त्रुटियों का अवलोकन किया, जिन्हें अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित किया गया है।

## 2.2.2 संगठनात्मक ढाँचा

बिक्री कर/मूल्य वर्द्धित कर के निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण, सरकार स्तर पर सचिव, वाणिज्यकर एवं विभाग के शीर्ष स्तर पर वाणिज्यकर आयुक्त द्वारा शासित है। वाणिज्यकर आयुक्त को मुख्यालय स्तर पर वाणिज्यकर अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो के साथ अन्य वाणिज्यकर संयुक्त आयुक्तों एवं वाणिज्यकर उपायुक्तों/सहायक आयुक्तों का सहयोग प्राप्त होता है।

बिहार राज्य सात वाणिज्यकर प्रमण्डलों[1] एवं 50 वाणिज्यकर अंचलों[2] में विभाजित है और प्रत्येक के प्रभारी क्रमशः संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)) एवं वाणिज्यकर उपायुक्त/वाणिज्यकर सहायक आयुक्त होते हैं। इन 50 वाणिज्यकर अंचलों में से चार अंचलों[3] का सृजन वर्ष 2007–08 में हुआ है। अंचल प्रभारी, जिन्हें वाणिज्यकर पदाधिकारियों द्वारा सहयोग प्राप्त होता है, सरकार को देय बिक्री कर/मूल्य वर्द्धित कर की राशि का संग्रहण के अलावे बाजार सर्वेक्षण करने के लिए भी उत्तरदायी है।

## 2.2.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

समीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु किया गया कि क्या :

- कार्य एवं आपूर्ति संविदा पर कर का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण को शासित करने वाले अधिनियम एवं नियमों के प्रावधान पर्याप्त थे;
- कार्य/आपूर्ति संविदा पर बिक्री कर/मूल्य वर्द्धित कर का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण बिहार वित्त/बिहार वैट अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा था; तथा
- विभाग में एक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान था तथा कार्य/आपूर्ति संविदा पर बिक्री कर/मूल्य वर्द्धित कर का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण का अनुश्रवण करने एवं राजस्व के रिसाव को रोकने हेतु पर्याप्त था।

## 2.2.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं पद्धति

वर्ष 2002–03 से 2006–07 की अवधि के लिए कार्य/आपूर्ति संविदा पर बिक्री कर/मूल्य वर्द्धित कर का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण की समीक्षा सात वाणिज्यकर

---

1 भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, गया, पटना, पूर्णियाँ तथा तिरहुत।

2 औरंगाबाद, बगहा, भागलपुर, बाढ़, बेगुसराय, बेतिया, भभुआ, बिहारशरीफ, बक्सर, चम्पारण (मोतिहारी), दानापुर, दलसिंहसराय, दरभंगा, फारबिसगंज, गाँधी मैदान पटना, गया, गोपालगंज, हाजीपुर, जहानाबाद, झंझारपुर, जमुई, कदमकुआँ पटना, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, नवादा, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर पूर्वी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलीपुत्रा, पटना पश्चिमी, पटना केन्द्रीय, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी, पटना उत्तरी, पटना विशेष, पटना दक्षिणी, पूर्णियाँ, रक्सौल, शाहाबाद (आरा), सहरसा, समस्तीपुर, सारण (छपरा), सासाराम, सीतामढ़ी, सीवान तथा तेघड़ा।

3 गाँधी मैदान पटना, कदमकुँआ पटना, मुजफ्फरपुर पूर्वी तथा पटना केन्द्रीय।

प्रमंडलों के अन्तर्गत 46 में से 14 वाणिज्यकर अंचलों[4] तथा वाणिज्यकर आयुक्त कार्यालय में मार्च तथा जून 2008 के बीच की गई। समीक्षा के दौरान केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों तथा निजी/लोक उपक्रमों से प्राप्त आँकड़ों/सूचनाओं को कंप्यूटराईज्ड किया गया तथा 10 लाख रुपये अथवा उससे अधिक वाले भुगतान के मामलों को अलग कर संबंधित कार्य/आपूर्ति संवेदकों के बिक्री कर/मूल्य वर्द्धित कर अभिलेखों के साथ तिर्यक जाँच की गई। इसके अलावे समीक्षा के क्षेत्र को व्यापक करने हेतु अन्य 15 अंचलों[5] से प्राप्त सूचनाओं/आँकड़ों को भी शामिल किया गया है।

## 2.2.5 स्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा को आवश्यक सूचनाएँ एवं अभिलेख उपलब्ध कराने में वाणिज्यकर विभाग के सहयोग को स्वीकार करता है। प्रधान सचिव–सह–आयुक्त, वाणिज्यकर विभाग के साथ मार्च 2008 में एक आरंभिक सम्मेलन (इंट्री कन्फरेंस) आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा का उद्देश्य, क्षेत्र एवं कार्य प्रणाली को बतलाया गया था। समीक्षा के परिणाम सरकार एवं विभाग को अगस्त 2008 में अग्रसारित किया गया था और सितम्बर 2008 में आयोजित लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक में इस पर विचार विमर्श किया गया। सरकार के उत्तर को संबंधित कंडिकाओं में अनुकूलतः सम्मिलित कर लिया गया है।

## लेखापरीक्षा परिणाम

## प्रणालीगत त्रुटियाँ

## 2.2.6 मार्केट सर्वे एवं निबंधन

अनिबंधित व्यवसायियों/संवेदकों का पता लगाकर उनका निबंधन कराने तथा कर आधार को बढ़ाने हेतु प्रत्येक वर्ष अप्रैल से जून के दौरान मार्केट सर्वे संचालित करने के लिए वाणिज्यकर आयुक्त ने अप्रैल 1997 तथा मार्च 1999 में अनुदेश निर्गत किया था। अनिबंधित आपूर्ति/कार्य संवेदकों का पता लगाने हेतु मार्केट सर्वे करने का कोई अलग प्रावधान बिहार वित्त अधिनियम में नहीं था। जबकि बिहार वैट अधिनियम, अंचल प्रभारी द्वारा मार्केट सर्वे करने हेतु प्रावधित करता है ताकि किसी व्यवसायी अथवा व्यवसायियों के किसी वर्ग को सूचनाएँ प्रस्तुत करने हेतु सूचना निर्गत कर तथा बैंक, कम्पनी, वित्तीय संस्थानों, निकासी एवं अग्रेषण एजेंट, माल गोदामों के मालिक, दलाल, ट्रान्सपोर्टर इत्यादि जैसी सेवा मुहैय्या कराने वाले तथा नगर निकाय, ग्राम पंचायत, जिला पर्षद, विद्युत बोर्ड एवं राज्य परिवहन निगम जैसे लोक उपयोगिता देने वालों से सूचनाओं की माँग कर, उन व्यवसायियों की पहचान की जा सके, जिनपर कर भुगतान का दायित्व है, लेकिन अनिबंधित हैं। लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकटित हुआ कि यद्यपि अनिबंधित संवेदकों/आपूर्तिकर्त्ताओं के मार्केट सर्वे हेतु प्रावधान बिहार वैट अधिनियम में बनाया गया था, परन्तु इस प्रकार की सर्वे हेतु रीति यथा, सर्वे किये जाने वाले क्षेत्र, सर्वे की अवधि का अन्तराल, प्रत्येक सर्वे में लिये जाने वाले व्यवसायियों/क्रय विभागों की संख्या, सर्वे संचालन के बाद की जाने वाले कार्रवाई, उच्च अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु मार्केट सर्वे करने वाले अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने

[4] बेगुसराय, बिहारशरीफ, गया, हाजीपुर, जमुई, जहानाबाद, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पाटलीपुत्रा, पटना उत्तरी, पटना विशेष, पूर्णियाँ, समस्तीपुर तथा सासाराम।

[5] औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, फारबिसगंज, गाँधी मैदान पटना, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, नवादा, पटना केन्द्रीय, पटना पश्चिमी, पटना दक्षिणी तथा सहरसा।

वाले रिपोर्ट/रिटर्न इत्यादि अधिनियम तथा उसके तहत् बने नियमों में विहित नहीं किया गया था।

वाणिज्यकर आयुक्त एवं 46 में से 20 अंचलों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकटित हुआ कि वर्ष 2002–03 से 2006–07 की अवधि के दौरान 11 अंचलों[6] में कोई मार्केट सर्वे नहीं किया गया था। नौ अंचलों[7] में हालाँकि सर्वे किया गया था, लेकिन किसी भी अनिबंधित आपूर्तिकर्त्ता/कार्य संवेदक, जो निबंधन प्रमाण पत्र हेतु योग्य थे, का पता नहीं लगाया गया था। इसके अलावे, रिपोर्ट/रिटर्न के अभाव में 11 अंचलाधिकारियों द्वारा मार्केट सर्वे संचालित नहीं किये जाने एवं 9 अंचलों द्वारा संचालित किये गये सर्वे के निष्कर्षों से वाणिज्यकर आयुक्त अनभिज्ञ थे, जिसने अनुश्रवण प्रणाली को कमजोर किया।

इसे इंगित किये जाने के बाद सरकार ने सितम्बर 2008 में कहा कि अनिबंधित व्यवसायियों का पता लगाने हेतु नियमित मार्केट सर्वे कराया जायेगा।

सरकार अनिबंधित आपूर्तिकर्त्ताओं/कार्य संवेदकों का पता लगाने एवं उन्हें कर के दायरे में लाने के लिए मार्केट सर्वे करने हेतु विस्तृत रीति, यथा सर्वे किये जाने वाले क्षेत्रों का सीमांकन, सर्वे की अवधि का अन्तराल, प्रत्येक सर्वे में लिये जाने वाले व्यवसायियों/क्रय विभागों की संख्या, बनाने की योजना पर विचार कर सकती है। पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु अंचलों द्वारा उच्च प्राधिकारियों को प्रस्तुत किये जाने वाले रिपोर्ट/रिटर्न भी विहित कर सकती है।

### 2.2.7 लेन–देन की तिर्यक जाँच

बिहार वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक व्यवसायी, जो एक संवेदक है, कर भुगतान के लिए उत्तरदायी है, अगर उसका सकल आवर्त एक वर्ष में 25,000 रुपये से अधिक है। पुनः कोई भी व्यवसायी जो कर भुगतान हेतु उत्तरदायी है, तब तक सामग्रियों की बिक्री/खरीद नहीं करेगा, जब तक उसे वैध निबंधन प्रमाण पत्र नहीं दिया गया हो तथा वह उसके अधिकार में हो। निबंधन हेतु आवेदन करने में विफल रहने पर करारोपण के अतिरिक्त चूक के प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये की दर से अथवा निर्धारित कर की राशि के समतुल्य, जो भी कम हो, अर्थदण्ड का भुगतान करना पड़ सकता है।

बिहार वैट अधिनियम में कार्य संवेदक तथा आपूर्तिकर्त्ता, जिनका सकल आवर्त क्रमशः शून्य एवं 5 लाख रुपये तथा उससे अधिक हो, के निबंधन हेतु प्रावधान है। निबंधन हेतु आवेदन करने में विफल रहने पर करारोपण के अतिरिक्त चूक के प्रत्येक दिन के लिए 100 रुपये की दर से अथवा निर्धारित कर की राशि के समतुल्य, जो भी अधिक हो, अर्थदण्ड देना होगा। पुनः बिहार वित्त अधिनियम तथा बिहार वैट अधिनियम के अन्तर्गत यदि प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का ठोस कारण है कि व्यवसायी ने अपने आवर्त के किसी भाग को छिपाया या छोड़ा है या जानबूझकर प्रकट करने में विफल रहा है तो बिहार वित्त अधिनियम के तहत् वह छिपाये गये आवर्त पर कर की राशि का अधिकतम तीन गुणा तथा कम–से–कम कर की राशि के समतुल्य और बिहार वैट अधिनियम के अन्तर्गत छोड़े गये आवर्त पर निर्धारित कर राशि का तीन गुणा अर्थदण्ड भुगतान करने के लिए व्यवसायी को निर्देश देगा।

---

[6] बेगुसराय, बिहारशरीफ, दरभंगा, फारबिसगंज, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, पाटलीपुत्रा, पटना विशेष, पटना पश्चिमी तथा सहरसा।

[7] औरंगाबाद, भागलपुर, किशनगंज, मधेपुरा, नवादा, पटना उत्तरी, पटना दक्षिणी, पूर्णियाँ तथा समस्तीपुर।

बिहार वित्त अधिनियम के दौरान वाणिज्यकर आयुक्त ने मई 1990 में निर्गत एक अधिसूचना के द्वारा सभी अंचलों को क्रियान्वित कार्यों/की गई आपूर्तियों के आँकड़ों को इकट्ठा कर उनको बिक्री कर रिटर्न/अभिलेखों से तिर्यक जाँच करने हेतु अनुदेशित किया था। पुनः बिहार वैट अधिनियम एवं नियमों में अनिबंधित व्यवसायियों का पता लगाने अथवा निबंधित व्यवसायियों द्वारा आवर्त के छिपाव को रोकने हेतु व्यवसायियों के अभिलेखों को अन्य विभागों के अभिलेखों के साथ तिर्यक जाँच करने का प्रावधान है।

नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया कि यद्यपि मई 1990 में निर्गत वाणिज्यकर आयुक्त की अधिसूचना के अनुसार बिहार वित्त अधिनियम के दौरान कर निर्धारण प्राधिकारियों को कार्य संविदा के आँकड़े एकत्रित तथा इसे कार्य संविदा के ब्योरे के साथ तिर्यक जाँच करना अपेक्षित है, लेकिन तिर्यक जाँच की मात्रा, अवधि का अंतराल इत्यादि जैसी विस्तृत मार्गदर्शिका/रीति नहीं बनाई गई थी। इसके अलावे पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु उच्च प्राधिकारियों को तिर्यक जाँच करने वाले पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले रिपोर्ट/रिटर्न विहित नहीं किया गया था। बिहार वैट अधिनियम के संबंधित प्रावधानों में भी ये त्रुटियाँ हैं। तिर्यक जाँच हेतु विस्तृत मार्गदर्शिका/प्रणाली के अभाव में अनिबंधित व्यवसायियों द्वारा किये गये आपूर्ति/कार्य संविदा के मामले तथा निबंधित व्यवसायियों द्वारा आवर्त्त के छिपाव का पता, कराधान विभाग द्वारा नहीं लगाया जा सका, जैसा कि नीचे उल्लेखित है।

### 2.2.7.1 अनिबंधित व्यवसायियों द्वारा आपूर्ति/कार्य संविदा

सात केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों[8] से एकत्रित की गई आँकड़ों को वाणिज्यकर विभाग के आँकड़ों के साथ तिर्यक जाँच करने पर पता चला कि 131 संवेदकों/आपूर्तिकर्त्ताओं ने 255.45 करोड़ रुपये का भुगतान प्राप्त किया, जिसपर 29.92 करोड़ रुपये का कर आरोप्य था। हालाँकि क्रय विभागों ने स्रोत पर मात्र 90.12 लाख रुपये की ही कटौती की थी तथा 29.02 करोड़ रुपया शेष रह गया था। चूँकि, क्रय विभागों के अभिलेखों के साथ तिर्यक जाँच करने के लिए कराधान विभाग द्वारा कोई प्रणाली तैयार नहीं की गई थी, अनिबंधित व्यवसायियों द्वारा की गयी आपूर्ति/कार्य संविदा, वाणिज्यकर विभाग की नजर में नहीं आया। इसके फलस्वरूप बिहार वित्त अधिनियम के अन्तर्गत लागू मजदूरी खर्च के मद में 30 प्रतिशत की अधिकतम कटौती की अनुमति दिये जाने के बाद बचे 239.38 करोड़ रुपये के करदेय आवर्त पर 24.51 करोड़ रुपये के अर्थदण्ड सहित 53.53 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई।

मामले इंगित किये जाने के बाद सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार करते हुए सितम्बर 2008 में कहा कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

### 2.2.7.2 निबंधित कार्य संवेदकों/आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा आवर्त का छिपाव

छः क्रय विभागों से एकत्रित की गई आँकड़ों को नौ वाणिज्यकर अंचलों[9] में निबंधित 50 कार्य संवेदकों के अभिलेखों से तिर्यक जाँच करने पर पता चला कि वर्ष 2002–03 से 2006–07 के दौरान किये गये कार्यों के विरुद्ध इन संवेदकों द्वारा 242.05 करोड़ रुपये का भुगतान प्राप्त किया गया था। हालाँकि संवेदकों ने अपने रिटर्न में मात्र 134.45 करोड़ रुपये ही लेखापित किया था, इस तरह 107.60 करोड़ रुपये के आवर्त को

[8] केन्द्रीय लोक कार्य विभाग, पूर्व मध्य रेलवे, लघु सिंचाई विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, लोक कार्य (भवन निर्माण) विभाग, पथ निर्माण विभाग तथा ग्राम्य अभियंत्रण संगठन।

[9] बेगुसराय, बिहारशरीफ, गया, हाजीपुर, जमुई, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर तथा सासाराम।

छिपाया गया था। कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा क्रय विभागों के अभिलेखों से आवधिक तिर्यक जाँच नही किये जाने के कारण आवर्त के छिपाव का पता नहीं लगा, जिसके फलस्वरूप 37.28 करोड़ रुपये के अर्थदण्ड सहित 49.72 करोड़ रुपये का कर कम आरोपित हुआ, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

(करोड़ रुपये में)

| विभाग का नाम | सन्निहित संवेदकों / आपूर्तिकर्त्ताओं की संख्या | प्राप्त भुगतान | रिटर्न में दर्शायी गई राशि | छिपाई गई राशि | भुगतेय कर | स्रोत पर कर की कटौती | कम आरोपित कर | अर्थदण्ड | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भवन निर्माण विभाग | 03 | 1.84 | 0.03 | 1.81 | 0.23 | 0.07 | 0.16 | 0.46 | 0.62 |
| केन्द्रीय लोक कार्य विभाग | 01 | 0.48 | शून्य | 0.48 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.16 |
| पथ निर्माण विभाग | 09 | 5.65 | 0.30 | 5.35 | 0.66 | 0.15 | 0.51 | 1.54 | 2.05 |
| ग्राम्य अभियंत्रण संगठन | 23 | 17.75 | 0.09 | 17.66 | 2.21 | 0.71 | 1.50 | 4.50 | 6.00 |
| पूर्व मध्य रेलवे | 11 | 214.84 | 133.94 | 80.90 | 10.11 | शून्य | 10.11 | 30.34 | 40.45 |
| जल संसाधन विभाग | 03 | 1.49 | 0.09 | 1.40 | 0.16 | 0.04 | 0.12 | 0.32 | 0.44 |
| **कुल** | **50** | **242.05** | **134.45** | **107.60** | **13.43** | **0.99** | **12.44** | **37.28** | **49.72** |

अपने उत्तर में विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि अनुपालन की सूचना दी जायेगी।

अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद रेंज, हाजीपुर से प्राप्त कंक्रीट स्लीपर के एक विनिर्माता के वर्ष 2005–06 से संबंधित आँकड़ों की तिर्यक जाँच हाजीपुर बिक्री कर अंचल के अभिलेखों के साथ करने पर पता चला कि एक सरकारी आपूर्तिकर्त्ता ने वर्ष 2005–06 के दौरान 1,97,820 कंक्रीट स्लीपर की बिक्री की, परन्तु उक्त आपूर्तिकर्त्ता द्वारा मात्र 1,39,390 स्लीपर की ही बिक्री प्रतिवेदित किया गया था और इस तरह उपरोक्त अवधि के दौरान 6.02 करोड़ रुपये मूल्य के 58,430 स्लीपर की बिक्री का छिपाव किया गया था। क्रय विभाग के अभिलेखों की तिर्यक जाँच करने में निर्धारण प्राधिकारी की विफलता के परिणामस्वरूप 2.26 करोड़ रुपये के अर्थदण्ड सहित 3.01 करोड़ रुपये के मूल्य वर्द्धित कर का अवनिर्धारण हुआ।

कराधान विभाग द्वारा क्रय विभागों की अभिलेखों की तिर्यक जाँच हेतु विस्तृत मार्गदर्शिका विहित करने के साथ–साथ तिर्यक जाँच की मात्रा, अवधि अंतराल तथा अनिबंधित व्यवसायियों द्वारा किये गये आपूर्ति / कार्य संविदाओं के मामले एवं निबंधित व्यवसायियों द्वारा आवर्त के छिपाव को पकड़ने हेतु अंचलों द्वारा पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण के लिए उच्च अधिकारियों को भेजने हेतु रिपोर्ट / रिटर्न विनिर्दिष्ट करने पर सरकार विचार कर सकती है।

## 2.2.8 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

### 2.2.8.1 रिटर्न/रजिस्टर का अनुश्रवण

बिहार वित्त अधिनियम तथा उसके तहत् बनाये गये नियमों के अनुसार प्रत्येक संवेदक को, जिसका स्वीकृत कर की राशि 2,500 रुपये से अधिक है, संबंधित कर निर्धारण प्राधिकारी के पास प्रपत्र XIA में बिक्री एवं खरीद का एक मासिक सार, प्रपत्र XI में त्रैमासिक रिटर्न तथा प्रपत्र XII में वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करना अपेक्षित है, जिसमें बिक्री के मद में प्राप्त कुल राशि, खरीद पर भुगतान की गई राशि, भुगतान किया गया/भुगतेय कर इत्यादि दर्शाया गया हो। मासिक सार, त्रैमासिक एवं वार्षिक रिटर्न भुगतान के साक्ष्य के साथ माह/तिमाही की समाप्ति के बाद वाले महीने के अंतिम दिन तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 31 जुलाई तक प्रस्तुत करना है।

बिहार वैट अधिनियम तथा उसके तहत् बनाये गये नियमों के अनुसार प्रत्येक संवेदक को विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पास प्रपत्र आर0 टी0 I तथा आर0 टी0 III में द्वितीयक प्रति के साथ एक त्रैमासिक एवं वार्षिक रिटर्न क्रमशः तिमाही की समाप्ति के बाद वाले महीने के अंतिम दिन या उससे पहले तथा रिटर्न से संबंधित वर्ष के बाद वाले वर्ष के 31 जुलाई तक प्रस्तुत करना होगा। एक संवेदक/आपूर्तिकर्त्ता, जिसका सकल आवर्त 40 लाख रुपये से अधिक है और जहाँ अंकेक्षित लेखा प्रस्तुत करना आवश्यक है, के मामले में रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि इसके संबंधित वर्ष के बाद 31 दिसम्बर है।

अप्रैल 1985 में निर्गत कार्यपालक अनुदेश के तहत् रजिस्टर VI यथा माँग, संग्रहण एवं शेष पंजी एवं रजिस्टर VIII यथा दैनिक संग्रहण पंजी जैसे अभिलेख, जिन्हें अंचलों द्वारा संधारित किया जाना अपेक्षित है, क्रमशः रिटर्न की प्राप्ति के अनुश्रवण एवं स्वीकृत कर के संग्रहण को सुगम बनाने के लिए आंतरिक नियंत्रण के साधन हैं।

संवीक्षा से पता चला कि बिहार वैट अधिनियम के लागू होने के बाद रजिस्टर VI रजिस्टर VR IV द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया परन्तु रजिस्टर VIII के स्थान पर कोई रजिस्टर विहित नहीं था। यह देखा गया कि खासकर कार्य/आपूर्ति संविदा के मामले में रजिस्टर VI एवं VR IV अपूर्ण था। कर के भुगतान/रिटर्न जमा करने में विलम्ब के लिए कार्य संवेदकों द्वारा भुगतान किये गये ब्याज एवं अर्थदण्ड के विवरणों को दर्शाने वाला कोई कॉलम रजिस्टर में नहीं था।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि राज्य के सभी वाणिज्यकर अंचलों में संबंधित रजिस्टर अद्यतन किया जा रहा है।

कर के भुगतान तथा रिटर्न जमा करने में विलम्ब के लिए कार्य संवेदकों द्वारा भुगतान किये गये ब्याज/अर्थदण्ड के स्पष्ट ब्योरे को समावेशित करने हेतु रजिस्टर VR IV के फॉर्मेट को सुधार करने पर सरकार विचार कर सकती है।

### 2.2.8.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा, एक संगठन को इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि विहित प्रणालियाँ उचित ढंग से कार्यशील हैं। वित्त (अंकेक्षण) विभाग, वित्त (वाणिज्यकर) विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में काम करता है तथा उसे विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित करना है। मई 1960 के एक आदेश के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा दल को सभी निष्पादित कर निर्धारणों की शत प्रतिशत लेखापरीक्षा के साथ कर निर्धारण आदेशों, निर्गत माँग पत्रों, संग्रहित कर की राशि की जाँच तथा कोषागार में जमा राशि का सत्यापन करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये सूचनाओं से पता चला कि वर्ष 2003–04 से 2006–07 की अवधि के दौरान वाणिज्यकर आयुक्त के कार्यालय तथा अंचलों में आन्तरिक लेखापरीक्षा संचालित नहीं किये गये थे। आन्तरिक लेखापरीक्षा के अभाव में प्रणाली के दोषपूर्ण क्रियाकलापों के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रबंधन के पास कोई साधन नहीं था तथा इस प्रकार सही समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु कोई अवसर नहीं रह गया था।

कर निर्धारण, आरोपण एवं राजस्व के संग्रहण में चूकों का पता लगाने एवं सुधार को सुनिश्चित करने हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा को पुनर्जीवित करने पर सरकार विचार कर सकती है।

## अनुपालन त्रुटियाँ

### 2.2.9 कर निर्धारण पूरा नहीं किया जाना

बिहार वैट अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि एक संवेदक अधिनियम में विनिर्दिष्ट देय तिथि से पहले रिटर्न जमा करने में विफल रहता है, तब विहित प्राधिकारी सुनवाई करने हेतु संवेदक को उचित अवसर प्रदान करने के बाद व्यवसायी से देय कर की राशि तथा कर के भुगतेय तिथि से इसके भुगतान तक देय राशि पर डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर ब्याज निर्धारित करेगा।

दो वाणिज्यकर अंचलों[10] के अभिलेखों को पूर्व मध्य रेलवे, पटना के अभिलेखों के साथ तिर्यक जाँच करने पर पता चला कि यद्यपि तीन संवेदकों जिनका आवर्त वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 के दौरान 11.29 करोड़ रुपये था, विनिर्दिष्ट अवधि में कोई भी रिटर्न जमा करने में विफल रहे, लेकिन उनके मामले में कर निर्धारण पूरा नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप 38.91 लाख रुपये के ब्याज सहित 1.80 करोड़ रुपये के कर की वसूली नहीं हुई।

विभाग ने अपने उत्तर में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि अनुपालन की सूचना दी जायेगी।

### 2.2.10 स्रोत पर कर की कटौती के विरुद्ध अनियमित छूट

बिहार वैट नियमावली के प्रावधानों के तहत् स्रोत पर कर की कटौती करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, पूर्णतः अथवा आंशिक भुगतान करने के समय उस व्यक्ति को जिससे ऐसी कटौती की गई है, प्रपत्र C II में एक प्रमाण पत्र निर्गत करेगा तथा पूर्णतः उसमें विनिर्दिष्ट सभी ब्योरे को देगा। इस प्रकार कटौती की गई तथा सरकारी खाते में जमा की गई राशि को उस हद तक व्यवसायी की ओर से कर का भुगतान समझा जायेगा एवं कर निर्धारण पूरा किये जाने के समय इस प्रकार से की गई कटौती की राशि उसके द्वारा जमा दिखलायी जायेगी।

समस्तीपुर वाणिज्यकर अंचल में दो संवेदकों को वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 के दौरान 21.84 करोड़ रुपये के आवर्त पर स्रोत पर की गई कर की कटौती के मद में 85.75 लाख रुपये की छूट दी गई थी, हालाँकि, संवेदकों ने मात्र 1.50 लाख रुपये की राशि का ही प्रपत्र C II प्रस्तुत किया था। इसके फलस्वरूप 84.25 लाख रुपये की गलत छूट दी गई।

---

10 बिहारशरीफ तथा समस्तीपुर।

विभाग ने अपने उत्तर में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि अनुपालन की सूचना दी जायेगी।

## 2.2.11 निष्कर्ष

समीक्षा से आपूर्ति/कार्य संविदा पर बिक्री कर/मूल्य वर्द्धित कर के निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण की पद्धति में काफी संख्या में प्रणालीगत एवं अनुपालन त्रुटियों का पता चला। यद्यपि बिहार वैट अधिनियम तथा वाणिज्यकर आयुक्त द्वारा निर्गत अधिसूचना मार्केट सर्वे करने हेतु विहित करती है, लेकिन मार्केट सर्वे हेतु विस्तृत रीति के अभाव में प्रावधानें अप्रभावी रहीं। न तो मई 1990 के वाणिज्यकर आयुक्त का परिपत्र और न ही बिहार वैट अधिनियम एवं नियमावली, क्रय विभागों के अभिलेखों के साथ कराधान विभाग के अभिलेखों की तिर्यक जाँच करने हेतु विस्तृत मार्गदर्शिका विहित करती है, जिसके कारण अनिबंधित आपूर्तिकर्त्ताओं/कार्य संवेदकों द्वारा कर की चोरी तथा निबंधित व्यवसायियों द्वारा कर के छिपाव का पता नहीं लगा। विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर थी, जैसा कि आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रभाग के अभाव से साबित होता है।

## 2.2.12 अनुशंसाओं का सार

प्रणालीगत एवं अनुपालन बिन्दुओं को सुधारने हेतु सरकार निम्नलिखित अनुशंसाओं को लागू करने पर विचार कर सकती है :

- राज्य के राजस्व के हित में अनिबंधित व्यवसायियों का पता लगाने तथा उन्हें कर के दायरे में लाने हेतु मार्केट सर्वे करने के लिए विस्तृत रीति बनाने की योजना पर;

- कराधान विभाग द्वारा क्रय विभागों के अभिलेखों की तिर्यक जाँच हेतु विस्तृत मार्गदर्शिका विहित करने के साथ–साथ तिर्यक जाँच की मात्रा, अवधि अन्तराल तथा तिर्यक जाँच करने वाले पदाधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण के लिए उच्च अधिकारियों को भेजने हेतु रिपोर्ट/रिटर्न विनिर्दिष्ट करने पर;

- कर के भुगतान तथा रिटर्न जमा करने में विलम्ब के लिए कार्य संवेदकों द्वारा भुगतान किये गये ब्याज/अर्थदण्ड के स्पष्ट ब्योरे को समावेशित करने हेतु रजिस्टर VR IV के फॉर्मेट को सुधारने पर; तथा

- कर निर्धारण, आरोपण एवं राजस्व के संग्रहण में चूकों का पता लगाने एवं सुधार को सुनिश्चित करने हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा को पुनर्जीवित करने पर।

## 2.3 आवर्त का गलत निर्धारण

**2.3.1** बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत 'बिक्री राशि' का अर्थ, मालों की बिक्री या आपूर्ति से सम्बन्धित किसी व्यवसायी को मूल्यवान प्रतिफल के रूप में भुगतेय राशि है। न्याय निर्णय[11] भी दिया गया है कि सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद या राज्य उत्पाद नियमों के अन्तर्गत भुगतान किया गया शुल्क या कर, बिक्री राशि का अभिन्न भाग होगा, चाहे उसे अलग से प्रभारित किया गया हो अथवा नहीं तथा या तो विक्रेता द्वारा बिक्री राशि के साथ अथवा उसके बाद की तिथि में वसूलनीय हो।

---

[11] हिन्दुस्तान सुगर मिल्स बनाम राजस्थान राज्य (1978) 43 एस0 टी0 सी0 13 एस0 सी0; के0 एल0 जोहार एण्ड कम्पनी बनाम केरल राज्य (1972) 30 एस0 टी0 सी0 394 केरल।

**2.3.1.1** पटना विशेष अंचल के अभिलेखों की फरवरी 2008 में किये गये नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि पेट्रोलियम उत्पाद के एक व्यवसायी ने वर्ष 2002–03 के दौरान नेपाल को किये गये 735.20 करोड़ रुपये के निर्यात बिक्री के मद में छूट का दावा किया। निर्धारण प्राधिकारी ने मार्च 2007 में कर निर्धारण पूरा करते समय बिल ऑफ एक्सपोर्ट के अभाव में निर्यात बिक्री के दावे को अस्वीकृत कर दिया तथा इसे राज्य के अन्दर बिक्री मानते हुए राज्य में लागू दर पर कर आरोपित किया। हालाँकि अस्वीकृत दावे पर 185.09 करोड़ रुपये के उत्पाद शुल्क को आवर्त में शामिल नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप अतिरिक्त कर तथा अधिभार सहित 32.85 करोड़ रुपये के कर का आरोपण कम हुआ।

इसे इंगित किये जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी ने सितम्बर 2008 में कहा कि निर्यात पर उत्पाद शुल्क प्रभारित नहीं करना है, अतः निर्यात से संबंधित बिक्री मूल्य में यह शामिल करने योग्य नहीं है। निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि निर्यात बिक्री को स्वयं निर्धारण प्राधिकारी ने ही अस्वीकृत किया था और इसे राज्य के अन्दर बिक्री मानते हुये कर निर्धारण पूरा किया था। अतः विक्रय आवर्त में उत्पाद शुल्क शामिल किया जाना तथा तदनुसार कर लगाना चाहिए था।

**2.3.1.2** पटना विशेष अंचल के अभिलेखों की फरवरी 2008 में किये गये नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि निर्धारण प्राधिकारी ने वर्ष 2002–03 की अवधि के लिए कर निर्धारण मार्च 2007 में पूरा करते समय पेट्रोलियम उत्पाद के एक व्यवसायी का करदेय आवर्त पेट्रोलियम उत्पादों के राज्य के अन्दर तथा अन्तर्राज्यीय बॉण्डेड बिक्री[12] में 259.91 करोड़ रुपये का उत्पाद शुल्क शामिल करते हुये निर्धारित किया। हालाँकि, समीक्षा से पता चला कि इन पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री पर सही दर लगाये जाने पर उत्पाद शुल्क की राशि 301.16 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार, करदेय आवर्त का निर्धारण 41.25 करोड़ रुपये कम किये जाने के फलस्वरूप अतिरिक्त कर एवं अधिभार सहित 1.15 करोड़ रुपये के कर का अवनिर्धारण हुआ।

इसे इंगित किये जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी ने सितम्बर 2008 में कहा कि वास्तविक तेल मूल्यों, जिसपर उत्पाद शुल्क दर लगाया गया था, को ध्यान में नहीं रखे जाने के कारण लेखापरीक्षा द्वारा गलत निष्कर्ष निकाला गया। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि वास्तविक तेल मूल्यों एवं मात्रा, जैसा कि स्वयं व्यवसायी द्वारा 29 मार्च 2007 को प्रस्तुत किये गये विवरणी में दर्शाया गया था तथा जो व्यवसायी के अभिलेखों पर 31 मार्च 2007 को कर निर्धारण के निष्पादन के समय उपलब्ध था, के आधार पर वास्तविक उत्पाद शुल्क की राशि की गणना की गई थी।

**2.3.2** बिहार वित्त अधिनियम के अन्तर्गत एक व्यवसायी का करदेय आवर्त उसके सकल आवर्त का हिस्सा होगा जो वास्तविक संग्रहित कर की राशि एवं मजदूरी की राशि तथा अन्य प्रभार, उस तरीके एवं उस सीमा तक जैसा कि कार्य संवेदकों के मामलों में विहित है, घटाने के बाद शेष बचा हो।

**2.3.2.1** सासाराम वाणिज्यकर अंचल की अभिलेखों की जून 2007 में किये गये नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि हालाँकि एक व्यवसायी ने वर्ष 2004–05 के दौरान विभिन्न खर्चों[13] के मद में 54.23 करोड़ रुपये की छूट का दावा किया था, परन्तु निर्धारण पदाधिकारी ने सितम्बर 2005 में कर निर्धारण पूरा करते समय 58.52 करोड़ रुपये की छूट की गलत स्वीकृति दी। पुनः यह देखा गया कि व्यवसायी के

12 एक तेल मार्केटिंग कम्पनी द्वारा दूसरे तेल मार्केटिंग कम्पनी को अनुबंध पत्र (बॉण्ड) के तहत की गयी बिक्री, जिसमें उत्पाद शुल्क का भुगतान क्रय करने वाले तेल मार्केटिंग कम्पनी द्वारा किया जायेगा।

13 मजदूरी एवं पारिश्रमिक, वास्तुशिल्पीय एवं रूपांकन, कार्यालय व्यय, औजार एवं संयंत्र का रख रखाव, ईंधन एवं मिट्टी कार्य इत्यादि।

54.23 करोड़ रुपये के दावे में मजदूरी के रूप में 18.10 करोड़ रुपये का खर्च दिखलाया गया था जबकि लाभ एवं हानि खाते में यह खर्च 16.24 करोड़ रुपये ही दर्शित था।

इस प्रकार छूट की अधिक स्वीकृति के फलस्वरूप 6.14 करोड़ रुपये के करदेय आवर्त का कम निर्धारण हुआ, तदन्तर अतिरिक्त कर एवं अधिभार सहित 61.34 लाख रुपये के कर का कम आरोपण हुआ।

**2.3.2.2** पटना विशेष अंचल के अभिलेखों की फरवरी 2008 में किये गये नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि निर्धारण वर्ष 2002–03 के लिए एक व्यवसायी का करदेय आवर्त की गणना फरवरी 2006 में करते समय निर्धारण प्राधिकारी ने सकल आवर्त में से कर संग्रहण के मद में 118.87 करोड़ रुपये की कटौती की जबकि व्यवसायी ने 118.67 करोड़ रुपये की कटौती का ही दावा किया था। इसके परिणामस्वरूप 20 लाख रुपये के करदेय आवर्त का कम निर्धारण हुआ, तदन्तर अतिरिक्त कर एवं अधिभार सहित पाँच लाख रूपये का कर कम आरोपित किया गया।

इसे इंगित किये जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी ने सितम्बर 2008 में कहा कि इसपर सुनवाई की जा रही है। आगे की प्रगति पर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2008)।

**2.3.3** बिहार वित्त अधिनियम के अन्तर्गत किसी व्यवसायी का सकल आवर्त, कार्य संविदा के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त या प्राप्य सकल राशि अथवा किसी दिये गये अवधि के दौरान किसी भी प्रयोजन हेतु किसी वस्तु के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण सहित कुल बिक्री मूल्य का योग होगा।

सासाराम वाणिज्यकर अंचल के अभिलेखों की जून 2007 में किये गये नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि निर्धारण प्राधिकारी ने वर्ष 2004–05 के लिए एक व्यवसायी का कर निर्धारण सितम्बर 2005 में पूरा करते समय कहा कि व्यवसायी द्वारा दर्शाये गये 3.17 करोड़ रुपये के मुनाफे के अवयव के बदले आवर्त में 4.51 करोड़ रुपये को जोड़कर सकल आवर्त का निर्धारण किया जायेगा। लेकिन व्यवसायी का सकल आवर्त निर्धारित करते समय मात्र 63.87 लाख रुपये ही जोड़ा गया था। इस प्रकार व्यवसायी का सकल आवर्त 70.25 लाख रुपया कम निर्धारित की गयी थी जिसके फलस्वरूप अतिरिक्त कर एवं अधिभार सहित 7.02 लाख रुपये का कर कम आरोपित हुआ।

मामले सरकार को मई 2008 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2008)।

## 2.4 वापसी पर ब्याज का अधिक भुगतान

बिहार वित्त अधिनियम एवं बिहार वैट अधिनियम के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी, विहित तरीके से, अन्तिम रूप से निर्धारित किये गये किसी व्यवसायी द्वारा भुगतेय राशि से अधिक भुगतित राशि की वापसी करेगा और अगर अनुबंधित समय यथा व्यवसायी अथवा संबंधित व्यक्ति से इस हेतु आवेदन प्राप्त करने की तिथि से क्रमशः छः एवं तीन महीने के अन्दर वापसी योग्य राशि की वापसी नहीं करता है, तब विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तिथि से नौ प्रतिशत[14] एवं छः प्रतिशत[15] की दर से ब्याज देना होगा।

पटना उत्तरी अंचल के अभिलेखों की अक्तूबर 2007 में किये गये नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि एक व्यवसायी का वर्ष 1988–89 से 1992–93 के लिए कर निर्धारण, वाणिज्यकर आयुक्त, बिहार के आदेश के तहत् संशोधित किया गया था (मई 2001) तथा मई 2001 में 61.37 लाख रुपये की अधिक जमा राशि दर्शाते हुये सूचना निर्गत

14 बिहार वित्त अधिनियम के अन्तर्गत।

15 बिहार वैट अधिनियम के अन्तर्गत।

की गयी थी। व्यवसायी ने वापसी हेतु जुलाई 2001 में आवेदन दिया परन्तु इसका आदेश जून 2006 में पारित किया गया। व्यवसायी ने विलम्ब से वापसी पर ब्याज के भुगतान हेतु न्यायालय का सहारा लिया तथा पटना उच्च न्यायालय ने सांविधिक ब्याज के भुगतान हेतु अक्तूबर 2006 में एक आदेश पारित किया। तद्नुसार निर्धारण प्राधिकारी ने 24.57 लाख रुपये के ब्याज की गणना कर नवम्बर 2006 में ब्याज के भुगतान हेतु आदेश पारित किया। इस प्रकार वापसी के दावे की पहल तथा निपटारे में विलम्ब के परिणामस्वरूप 24.57 लाख रुपये के ब्याज का भुगतान करना पड़ा, तदन्तर राजकोष की हानि हुई।

मामला सरकार को मई 2008 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 2008)।

## 2.5 कर का कम आरोपण

बिहार बिक्री कर नियमावली, 1983 के साथ पठित बिहार वित्त अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार ने जून 1985 एवं जुलाई 2002 में अधिसूचनाएँ निर्गत कर कुछ विशिष्ट वस्तुओं, श्रेणियों या वस्तुओं के प्रकार को विनिर्दिष्ट किया, जिन पर बिक्री के एक बिन्दु से अधिक या सभी बिन्दुओं पर बिक्री कर आरोप्य था तथा बिक्री के प्रत्येक पूर्ववर्ती प्रक्रम पर भुगतान की गयी बिक्री कर की राशि का बिक्री के प्रत्येक अनुवर्ती प्रक्रम पर भुगतेय बिक्री कर की राशि के विरुद्ध विहित तरीके से समायोजन किया जाना था।

तीन वाणिज्यकर अंचलों के अभिलेखों की नवम्बर 2006 एवं मार्च 2007 के बीच किये गये नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि चार व्यवसायियों ने वर्ष 2001–02 से 2004–05 के दौरान 25.78 करोड़ रुपये मूल्य के वस्तुओं की बिक्री की, जिनपर बिक्री के सभी बिन्दुओं पर कर आरोप्य था। हालाँकि, निर्धारण प्राधिकारी ने दिसम्बर 2003 और अगस्त 2006 के बीच कर निर्धारण पूरा करते समय 68.97 लाख रुपये के बदले गलत तरीके से 52.59 लाख रुपये के कर का गलत आरोपण किया, जिसके फलस्वरूप 16.38 लाख रुपये का कर कम आरोपित हुआ, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है :

(लाख रुपये में)

| क्र० सं० | अंचल का नाम / व्यवसायियों की सं० | वस्तु / आवर्त | आरोप्य कर | आरोपित कर | कर का कम आरोपण | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पटना उत्तरी / 2 | टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलित मशीन, वाशिंग मशीन, भारत निर्मित विदेशी शराब / 1,074.16 | 32.43 | 24.12 | 8.31 | पूर्ववर्ती प्रक्रम पर भुगतान किये गये कर की राशि की गणना गलत की गई थी। |
| 2 | पटना दक्षिणी / 1 | भारत निर्मित विदेशी शराब / 1,018.86 | 28.73 | 23.14 | 5.59 | निर्धारण प्राधिकारी ने प्रत्येक बिंदु पर कर आरोपित करने के बदले अतिरिक्त कर और अधिभार ही आरोपित किया। |
| 3 | दरभंगा / 1 | साबुन एवं डिटर्जेंट / 484.59 | 7.81 | 5.33 | 2.48 | तथैव |
| कुल | | | **68.97** | **52.59** | **16.38** | |

मामले इंगित किये जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी, पटना दक्षिणी अंचल ने नवम्बर 2006 में कहा कि कर निर्धारण आदेश संशोधित किया जायेगा जबकि बाकी निर्धारण प्राधिकारियों ने नवम्बर 2006 और मार्च 2007 के बीच कहा कि मामले की जाँच की जायेगी। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2008)।

मामले सरकार को जून 2007 एवं मई 2008 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2008)।

## 2.6 अतिरिक्त कर का कम आरोपण

बिहार वित्त अधिनियम तथा उसके तहत् जारी अधिसूचना के अन्तर्गत प्रत्येक व्यवसायी को सकल आवर्त पर एक प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर (शराब को छोड़कर, जिस पर दो प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर आरोप्य है) तथा उसपर अधिभार का भुगतान करना है, बशर्ते कि अतिरिक्त कर आरोपित किये जाने से उसे विशेष रूप से छूट न दी गई हो। अतिरिक्त कर बिक्री के प्रत्येक बिंदु पर आरोप्य है, चाहे वह करदेय अथवा कर प्रदत्त वस्तु[16] हो।

सासाराम वाणिज्यकर अंचल के अभिलेखों की जून 2007 में किये गये नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि निर्धारण प्राधिकारी एक व्यवसायी का वर्ष 2004–05 के लिए कर निर्धारण सितम्बर 2005 में पूरा करते समय 12.70 करोड़ रुपये के वस्तुओं की कर प्रदत्त बिक्री पर अतिरिक्त कर आरोपित नहीं किया। इसके फलस्वरूप अधिभार सहित 13.97 लाख रुपये के अतिरिक्त कर का कम आरोपण हुआ।

मामला सरकार को मई 2008 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 2008)।

## 2.7 कर का गलत दर लगाया जाना

बिहार वित्त अधिनियम के अन्तर्गत समय–समय पर अधिसूचनाओं द्वारा राज्य सरकार किसी भी वस्तु की श्रेणी या उसके प्रकार पर कर की दर को विनिर्दिष्ट कर सकती है।

तीन वाणिज्यकर अंचलों[17] के अभिलेखों की फरवरी और दिसम्बर 2007 के बीच किये गये नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि तीन व्यवसायियों ने कर निर्धारण वर्ष 2001–02 से 2003–04 के दौरान 9 तथा 12 प्रतिशत के बीच की दर पर करदेय 2.41 करोड़ रुपये मूल्य के वस्तुओं की बिक्री की। हालाँकि, निर्धारण प्राधिकारियों ने फरवरी 2004 एवं फरवरी 2007 के बीच कर निर्धारण पूरा करते समय 8 से 10 प्रतिशत के बीच कर का गलत दर आरोपित किया। इसके फलस्वरूप अतिरिक्त कर तथा अधिभार सहित 6.68 लाख रुपये का कर कम आरोपित किया गया, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है :

---

[16] वस्तुओं, जिस पर बिहार राज्य में बिक्री के प्रथम बिंदु पर कर का भुगतान किया गया हो, को अनुवर्ती स्तर पर कर प्रदत्त बिक्री कहा जाता है।

[17] दरभंगा, पटना सिटी पूर्वी तथा रक्सौल।

(लाख रुपये में)

| क्र0 सं0 | अंचल का नाम व्यवसायी की सं0 | वस्तु का नाम | कर निर्धारण वर्ष कर निर्धारित किये जाने का माह / वर्ष | वस्तुओं का मूल्य | कर की दर (प्रतिशत में) | | कर का कम आरोपण (अतिरिक्त कर एवं अधिभार सहित) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | आरोप्य | आरोपित | |
| 1. | रक्सौल<br>1 | शैम्पू | 2001–02 एवं 2002–03<br>फरवरी / 2004 एवं दिसम्बर / 2004 | 143.63 | 12 | 10 | 3.19 |
| 2. | दरभंगा<br>1 | बिरला व्हाईट सीमेंट | 2002–03 एवं 2003–04<br>मई / 2005 | 66.85 | 11 | 8 | 2.26 |
| | | चूना | तथैव | 2.49 | 9 | 8 | |
| 3. | पटना सिटी पूर्वी<br>1 | ऑक्सीजन गैस | 2002–03 एवं 2003–04<br>फरवरी / 2007 | 27.72 | 12 | 8 | 1.23 |
| | | कुल | | **240.69** | | | **6.68** |

मामले सरकार को मई 2008 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2008)।

## 2.8 आवर्त का छिपाव

**2.8.1** केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के साथ पठित बिहार वित्त अधिनियम के अन्तर्गत यदि विहित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का ठोस कारण है कि व्यवसायी ने बिक्री राशि के ब्योरे को छिपाया या छोड़ा है अथवा जानबूझकर प्रकट नहीं किया है अथवा ऐसे आवर्त के लिए गलत विवरण दिया है, तो उक्त प्राधिकारी, वैसे आवर्त पर व्यवसायी द्वारा देय कर की राशि का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करेगा तथा छोड़े गये आवर्त पर निर्धारित कर के अलावे अर्थदण्ड, जो छोड़े गये आवर्त पर कर की राशि का अधिकतम तीन गुणा तथा कम–से–कम कर के समतुल्य राशि होगा, भुगतान करने के लिए व्यवसायी को निर्देश देगा।

14 वाणिज्यकर अंचलों[18] के अभिलेखों की मई 2006 एवं जनवरी 2008 के बीच किये गये नमूना जाँच में यह पाया गया कि 19 व्यवसायियों ने वर्ष 2001–02 तथा 2004–05 के बीच के कर निर्धारण वर्षों के दौरान 591.28 करोड़ रुपये मूल्य के वस्तुओं का क्रय / विक्रय किया जैसा अपने क्रय / विक्रय विवरणी, पथ अनुज्ञा पत्र उपयोगिता विवरणी, घोषणा प्रपत्रों 'सी' एवं 'एफ' के साथ–साथ वार्षिक लेखाओं इत्यादि में दर्शाया था, लेकिन अपने व्यापार लेखा एवं रिटर्न में मात्र 566.80 करोड़ रुपये ही लेखापित किया था। इस प्रकार व्यवसायियों ने 24.49 करोड़ रुपये मूल्य के वस्तुओं के क्रय / विक्रय को छिपाया। हालाँकि, फरवरी 2004 एवं मार्च 2007 के बीच कर निर्धारण पूरा करते समय निर्धारण प्राधिकारी क्रय / विक्रय के छिपाव को पकड़ने में विफल रहे, जिसके फलस्वरूप अतिरिक्त कर, अधिभार एवं न्यूनतम आरोप्य अर्थदण्ड सहित 7.44 करोड़ रुपये का कर कम आरोपित हुआ जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है :

[18] आरा, बेगुसराय, भभुआ, बक्सर, छपरा, समस्तीपुर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पटना उत्तरी, पटना सिटी पूर्वी, पटना विशेष, पटना पश्चिमी, पूर्णियाँ तथा रक्सौल।

(लाख रुपये में)

| क्रम सं0 | अंचल का नाम व्यवसायियों की संख्या | कर निर्धारण की अवधि कर निर्धारण का माह/वर्ष | वस्तु | लागू दर (प्रतिशत) | वास्तविक क्रय लेखापित क्रय | वास्तविक बिक्री लेखापित बिक्री | छिपायी गयी आवर्त की राशि | कर, अतिरिक्त कर एवं अधिभार की राशि अर्थदण्ड | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | पटना विशेष<br>3 | 2002–03 एवं 2004–05<br>7/05 एवं 3/07 के बीच | दवा[19] | 8 एवं 10[20] | 4,169.98<br>3,770.47 | 790.51<br>685.63 | 2,047.56 | 359.16<br>327.47 | 686.63 |
| | | | डीजल एवं पेट्रोल | 17 एवं 21.5 | 46,023.47<br>44,787.57 | — | | | |
| | | | ल्युब्रिकेन्ट | 16 | — | 1,405.57<br>1,188.27 | | | |
| | | | ग्लू एवं एडेसिव | 12 | 1,280.47<br>1,190.49 | — | | | |
| 2. | समस्तीपुर<br>1 | 2001–02<br>3/06 | दुग्ध उत्पाद | 8 | 3,473.12<br>3,405.77 | — | 67.35 | 6.73<br>6.11 | 12.84 |
| 3. | बेगुसराय<br>2 | 2001–02 से 2004–05<br>1/05 तथा 3/07 के बीच | इन्सुलेशन सामग्री | 8 | 337.18<br>271.31 | — | 65.87 | 6.25<br>5.68 | 11.93 |
| | | | फर्टिलाइजर | 6 | | | | | |
| 4. | बक्सर<br>2 | 2001–02 से 2003–04<br>2/04 एवं 3/06 के बीच | देशी शराब | 25 | — | 91.64<br>79.74 | 20.92 | 4.44<br>4.03 | 8.47 |
| | | | लिक्विफायड पेट्रोलियम गैस | 9 | 243.94<br>234.91 | | | | |
| 5. | पटना उत्तरी<br>2 | 2002–03<br>6/04 एवं 10/05 के बीच | भवन सामग्रियाँ | 8 | — | 72.12<br>61.10 | 35.27 | 3.52<br>3.20 | 6.72 |
| | | | दवा | 8 | 128.21<br>103.96 | — | | | |
| 6. | पटना सिटी पूर्वी<br>1 | 2003–04<br>10/05 | मशाला | 9 | 287.87<br>266.45 | — | 21.42 | 2.38<br>2.16 | 4.54 |
| 7. | छपरा<br>1 | 2001–02<br>10/05 | फर्टिलाइजर | 1 (अति0 कर) | 134.46<br>शून्य | — | 134.46 | 1.48<br>1.34 | 2.82 |
| 8. | पूर्णियाँ<br>1 | 2004–05<br>9/05 | ल्युब्रिकेन्ट | 21.5 | 100.82<br>95.63 | — | 5.19 | 1.30<br>1.18 | 2.48 |
| 9. | मोतिहारी<br>1 | 2002–03<br>4/06 | बिस्किट का कच्चा माल एवं पैकिंग सामग्री | 8 | 52.83<br>42.18 | — | 10.65 | 1.06<br>0.97 | 2.03 |
| 10. | पटना पश्चिमी<br>1 | 2003–04<br>7/05 | स्टील पाईप एवं कार्बन पेस्ट | 4 एवं 8 | 100.72<br>89.85 | — | 10.87 | 0.87<br>0.81 | 1.68 |
| 11. | रक्सौल<br>1 | 2003–04<br>12/04 | सरसों तेल | 4 | 143.94<br>128.30 | — | 15.64 | 0.68<br>0.63 | 1.31 |
| 12. | मुजफ्फरपुर<br>1 | 2002–03<br>4/05 | साईकिल एवं कल पुर्जे | 8 | 127.09<br>121.49 | — | 5.60 | 0.56<br>0.51 | 1.07 |
| 13. | भभुआ<br>1 | 2002–03<br>9/04 | सीमेंट | 11 | 106.54<br>102.98 | — | 3.56 | 0.47<br>0.43 | 0.90 |
| 14. | आरा<br>1 | 2002–03<br>5/06 | भारत निर्मित विदेशी शराब | 2 (अति0 कर) | 57.80<br>53.54 | — | 4.26 | 0.09<br>0.09 | 0.18 |
| | कुल | | | | **56,768.44<br>54,664.91** | **2,359.84<br>2,014.74** | **2,448.88** | **388.99<br>354.61** | **743.60** |

19 व्यवसायी ने क्रय एवं विक्रय दोनों का छिपाव किया था।

20 व्यवसायी ने 1.05 करोड़ रुपये के अन्तर्राज्यीय बिक्री को छिपाया जिसपर 10 प्रतिशत की दर पर कर आरोप्य है।

इसे इंगित किये जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी, पूर्णियाँ ने सितम्बर 2008 में कहा कि 2.48 लाख रुपये की माँग का सृजन किया गया है जबकि निर्धारण प्राधिकारी, पटना विशेष अंचल ने सितम्बर 2008 में कहा कि सभी मामलों की सुनवाई की जा रही है।

मामले सरकार को मई 2008 में प्रतिवेदित किये गये थे; सरकार ने जून 2008 में उत्तर दिया कि छपरा, मोतिहारी तथा मुजफ्फरपुर अंचल से सम्बन्धित मामलों में 7.04 लाख रुपये की माँग का सृजन किया गया है जिसमें से 1.48 लाख रुपये की वसूली हुई है। अन्य मामलों में उत्तर तथा वसूली का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

**2.8.2** बिहार वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि विहित प्राधिकारी किसी कार्यवाही के दौरान अथवा अन्य किसी प्रकार से यह संतुष्ट हो जाता है कि व्यवसायी ने अपने भुगतेय कर की राशि को कम करने की मंशा से किसी बिक्री या क्रय या उसके किसी ब्योरे को छिपाया है अथवा बिक्री या क्रय का गलत ब्योरा दाखिल किया है, तब विहित प्राधिकारी छोड़े गये आवर्त पर निर्धारित कर के अलावे अर्थदण्ड, जो छोड़े गये आवर्त पर कर की राशि का अधिकतम तीन गुणा तक किन्तु कम–से–कम कर के समतुल्य राशि होगा, भुगतान करने के लिए व्यवसायी को निर्देश देगा। बिहार वैट अधिनियम, कर के अलावे छिपाई गई राशि पर निर्धारित कर के तीन गुणा के समतुल्य अर्थदण्ड लगाने हेतु भी प्रावधित करता है।

जिला खनन पदाधिकारी, आरा के अभिलेखों के साथ शाहाबाद अंचल, आरा के एक व्यवसायी के कर निर्धारण अभिलेखों की तिर्यक जाँच करने पर पता चला कि एक पट्टेधारी ने वर्ष 2002–03 से 2005–06 की अवधि के दौरान 8.09 करोड़ रुपये मूल्य के बालू का उठाव तथा विक्रय किया था। जबकि व्यवसायी ने 3.11 करोड़ रुपये की ही बिक्री स्वीकार की थी और उक्त अवधि में 4.98 करोड़ रुपये के विक्रय आवर्त को छिपा लिया था। इसके फलस्वरूप 49.27 लाख रुपये के न्यूनतम आरोप्य अर्थदण्ड सहित 90.55 लाख रुपये की बिक्री कर/मूल्य वर्द्धित कर की वसूली नहीं हुई।

## 2.9 केन्द्रीय बिक्री कर का अवनिर्धारण

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8(5) के तहत् बिहार सरकार ने जून 1986 में एक अधिसूचना जारी कर जूट के अन्तर्राज्यीय बिक्री पर बिक्री कर की दर को घटाकर चार से तीन प्रतिशत कर दिया। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के इसी धारा के अधीन मई 1996 में एक दूसरी अधिसूचना जारी कर औद्योगिक इकाइयों को विनिर्मित वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय बिक्री पर बिक्री कर से छूट की स्वीकृति प्रदान की गई थी। पुनः मई 2002 में संशोधित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय बिक्री पर छूट की स्वीकृति/घटे दर पर कर लगाये जाने की अनुमति देने के समय प्रपत्र 'सी' प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रपत्र 'सी' में घोषणा प्रस्तुत करने में विफल रहने पर घोषित वस्तुओं[21] के मामले में राज्य में लागू दर की दुगुनी तथा घोषित वस्तुओं को छोड़ अन्य वस्तुओं के मामले में 10 प्रतिशत अथवा राज्य में लागू दर, जो भी अधिक हो, की दर पर कर आरोप्य है।

**2.9.1** दो वाणिज्यकर अंचलों[22] की अभिलेखों की मार्च एवं दिसम्बर 2007 के बीच किये गये नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2002–03 से 2004–05 के दौरान आठ व्यवसायियों ने 15.72 करोड़ रुपये मूल्य के विभिन्न वस्तुओं[23] के अन्तर्राज्यीय बिक्री पर छूट/घटे दर पर कर भुगतान का दावा किया था। निर्धारण प्राधिकारियों ने जून

---

[21] अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में विशेष महत्व के वस्तुओं जैसा कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 14 में वर्णित है।

[22] पटना सिटी पूर्वी तथा पूर्णियाँ।

[23] लौह एवं इस्पात, जूट तथा वनस्पति।

2004 तथा जनवरी 2007 के बीच कर निर्धारण पूरा करते समय छूट/घटे दर पर कर के भुगतान की अनुमति दी, यद्यपि बिक्री प्रपत्र 'सी' में घोषणा पत्र द्वारा समर्थित नहीं था। छूट/घटे दर पर कर के भुगतान की अनियमित अनुमति के फलस्वरूप 85.40 लाख रुपये के कर का अवनिर्धारण हुआ।

मामले इंगित किये जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी, पूर्णियाँ ने सितम्बर 2008 में कहा कि पाँच मामलों में कर निर्धारण आदेश संशोधित कर दिया गया है तथा 27.99 लाख रुपये हेतु माँग निर्गत की गयी है। निर्धारण प्राधिकारी, पटना सिटी पूर्वी अंचल ने एक मामले में अप्रैल 2007 में कहा कि मेसर्स दिग्विजय सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य के मामले में शीर्ष न्यायालय के न्याय निर्णय के आलोक में अपीलीय न्यायालय ने इसी तरह के मामले में सर्मथन नहीं किया था, जबकि दूसरे व्यवसायी के मामले में इसकी समीक्षा करने हेतु सहमति दी। पहले मामले में निर्धारण प्राधिकारी, पटना सिटी पूर्वी अंचल का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम मई 2002 में संशोधित की गयी थी जिसमें घोषणा प्रपत्रों को प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाया गया था, जबकि वर्ष 1999 में निर्गत शीर्ष न्यायालय का निर्णय केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में किये गये संशोधन से पूर्व का था एवं इस प्रकार इस मामले में लागू नहीं था।

**2.9.2** बिहार वित्त अधिनियम तथा उसके अधीन बने नियमावली के साथ पठित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत उन वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री पर कर भुगतेय नहीं होगा, जो भारतीय क्षेत्र से बाहर निर्यात के क्रम में किये जायेंगे, बशर्ते बिक्री, दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित हो। राज्य सरकार द्वारा मार्च 1986 एवं अगस्त 1991 में निर्गत आदेशों के अनुसार निर्यात के क्रम में नेपाल को की गयी बिक्री पर कर से छूट के लिए लेन–देन, अन्य साक्ष्यों के अलावा भारतीय सीमा शुल्क विभाग द्वारा प्रदान किये गये बिल ऑफ एक्सपोर्ट द्वारा अवश्य समर्थित होनी चाहिए।

मुंगेर वाणिज्यकर अंचल के अभिलेखों की मई 2006 में किये गये नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2001–02 की अवधि में एक व्यवसायी का 1.83 करोड़ रुपये मूल्य के वस्तुओं का निर्यात बिक्री, भारतीय सीमा शुल्क विभाग द्वारा प्रदान किये गये बिल ऑफ एक्सपोर्ट जैसे विहित दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं था। हालाँकि निर्धारण प्राधिकारी मार्च 2006 में कर निर्धारण पूरा करते समय कर आरोपण से छूट की अनुमति दी, जिसके फलस्वरूप 18.34 लाख रुपये के कर का अवनिर्धारण हुआ।

**2.9.3** केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत् जब अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान किसी वस्तु की बिक्री या तो एक राज्य से दूसरे राज्य में ऐसी वस्तुओं के परिचलन के दौरान हुई हो अथवा एक राज्य से दूसरे राज्य में परिचलन के दौरान ऐसी वस्तुओं के स्वामित्व के अधिकार के हस्तांतरण के कारण हुई हो तब ऐसी वस्तुओं का स्वामित्व के अधिकार के हस्तांतरण पर एक निबंधित व्यवसायी को ऐसी परिचलन के दौरान अनुवर्ती बिक्री पर कर से छूट दी जायेगी।

पटना विशेष अंचल के अभिलेखों की फरवरी 2008 में किये गये नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि पटना विशेष अंचल में निबंधित एक व्यवसायी ने वर्ष 2002–03 के दौरान इसी अंचल में निबंधित एक दूसरे व्यवसायी (मेसर्स इन्डियन ऑयल कॉरपोरेशन, बरौनी) को पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित दो व्यवसायियों को 30.81 करोड़ रुपये मूल्य के वस्तुओं (पेट्रोलियम उत्पाद) को सौंपने हेतु आदेशित किया। हालाँकि व्यवसायी ने इन वस्तुओं के ट्रांजिट सेल हेतु छूट का दावा किया यद्यपि बिक्री राज्य के अन्दर की गयी थी न कि वस्तुओं के एक राज्य से दूसरे राज्य में परिचलन के दौरान और इस तरह लेन–देन ट्रांजिट सेल के शर्तो को पूरा नहीं करता था। निर्धारण प्राधिकारी

मार्च 2007 में कर निर्धारण पूरा करते समय छूट की अनुमति दी जिसके फलस्वरूप 1.23 करोड़ रुपये के केन्द्रीय बिक्री कर का आरोपण कम हुआ।

इसे इंगित किये जाने के बाद सम्बन्धित निर्धारण प्राधिकारी ने सितम्बर 2008 में मामले को स्वीकार किया तथा संशोधन के उपरांत 1.23 करोड़ रुपये के अतिरिक्त माँग का सृजन किया। वसूली पर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2008)।

मामले सरकार को मई 2008 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2008)।

# अध्याय–III : राज्य उत्पाद

## 3.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2007–08 के दौरान उत्पाद कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से 149 मामलों में 149.60 करोड़ रुपये की राशि के न्यूनतम गारंटी कोटा का कम उठाव, उत्पाद दूकानों की बंदोबस्ती नहीं/विलम्ब से किये जाने, राजस्व की हानि इत्यादि तथा अन्य त्रुटियों का पता चला, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं :

(करोड़ रुपये में)

| क्रम सं0 | श्रेणी | मामलों की संख्या | राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | न्यूनतम गारंटी कोटा का उठाव कम किया जाना | 38 | 67.41 |
| 2. | उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती नहीं/विलम्ब से होना | 37 | 29.82 |
| 3. | भंडारण, परिगमन एवं कार्य प्रणाली में मोलासेस की हानि/बर्बादी | 03 | 15.29 |
| 4. | स्पिरीट के कम प्राप्ति के कारण राजस्व की हानि | 02 | 2.46 |
| 5. | अनुज्ञप्ति फीस की वसूली नहीं होना | 04 | 0.90 |
| 6. | अन्य मामले | 65 | 33.72 |
| | **कुल** | **149** | **149.60** |

वर्ष 2007–08 की अवधि में विभाग ने चार मामलों में अन्तर्निहित 47 लाख रुपये के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया जो वर्ष 2007–08 के दौरान इंगित किये गये थे।

दृष्टान्तस्वरूप कुछ मामले, जिनमें 53.85 करोड़ रुपये अन्तर्निहित हैं, निम्नलिखित कंडिकाओं में विवर्णित हैं।

## 3.2 न्यूनतम गारंटी कोटा का उठाव कम किये जाने के कारण राजस्व की हानि

बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 के प्रावधानों के तहत् निर्गत बिक्री अधिसूचना के शर्त–19 के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी को माह के दौरान संपूर्ण न्यूनतम गारंटी कोटा का उठाव करना है, इसमें विफल रहने पर अनुज्ञप्ति को निरस्त किया जाना है। पुनः बिहार उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2006 प्रावधित करता है कि अनुज्ञप्ति के किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर, जिससे राज्य के राजस्व की हानि हो, सन्निहित राजस्व की कुल राशि के अतिरिक्त समतुल्य राशि अर्थदण्ड के रूप में आरोपित किया जाएगा।

चार उत्पाद जिलों[1] में सितम्बर 2007 एवं फरवरी 2008 के बीच किये गये अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि उत्पाद दुकानों के खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों ने वर्ष 2006–07 के दौरान भारत निर्मित विदेशी शराब का 37.91 लाख लन्दन प्रूफ लीटर[2] (एल0पी0एल0) एवं बियर का 48.93 लाख बल्क लीटर (बी0एल0) के निर्धारित न्यूनतम गारंटी कोटा के विरुद्ध भारत निर्मित विदेशी शराब का मात्र 23.10 लाख एल0पी0एल0 एवं बियर का मात्र 17.74 लाख बी0एल0 का ही उठाव किया था। इस प्रकार अनुज्ञप्तिधारियों ने भारत निर्मित विदेशी शराब का 14.81 लाख एल0पी0एल0 एवं बियर का 31.19 लाख बी0एल0 का कम उठाव किया, जिसकी गणना संबंधित दुकानों हेतु निर्धारित न्यूनतम गारंटी कोटा के आधार पर की गई है। इसके परिणामस्वरूप उत्पाद अधीक्षक, कटिहार द्वारा जब्त 17.10 लाख रुपये की जमानत राशि का समायोजन करने के उपरान्त आरोप्य अर्थदण्ड सहित 39.44 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

मामले इंगित किये जाने के बाद सहायक उत्पाद आयुक्त, पटना ने नवम्बर 2007 में कहा कि शीर्ष न्यायालय के आदेश[3] के अनुसार कम उठाव के विरुद्ध उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जा सकता है तथा पुनः बतलाया कि राजस्व के हित में धारा 68 के तहत् कम्पोजिशन फीस अधिरोपित करने के पश्चात् अनुज्ञप्तियों को चालू रखा गया था क्योंकि दुकानों की पुनः बन्दोबस्ती संदिग्ध थी, फिर भी जमानत राशि को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। उत्पाद अधीक्षक, कटिहार ने अक्तूबर 2007 में कहा कि 17.10 लाख रुपये की जमानत राशि जब्त करने के बाद अनुज्ञप्तियाँ रद्द कर दी गई थी। उत्पाद अधीक्षक, जहानाबाद–सह–अरवल ने सितम्बर 2007 में कहा कि दुकानों का विलम्ब से बन्दोबस्ती होने के कारण शराब का उठाव कम हुआ था, फिर भी उनकी जमानत राशि नहीं लौटायी जाएगी, जबकि उत्पाद अधीक्षक, भागलपुर–सह–बाँका ने जनवरी 2008 में कहा कि मामले की जाँच किये जाने के बाद जवाब भेज दिया जाएगा। उपरोक्त उत्तर मान्य नहीं थे, क्योंकि अनुज्ञप्ति के शर्तों के उल्लंघन के मामले में बिहार उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2006 के तहत् हानि की कुल राशि के अलावे इसके समतुल्य राशि अर्थदण्ड के रूप में आरोप्य था तथा इन मामलों में आरोप्य अर्थदण्ड, जब्त किये गये/जब्त किये जा रहे जमानत राशि से काफी अधिक है। पुनः सहायक उत्पाद, पटना द्वारा उल्लेख किया गया शीर्ष न्यायालय का निर्णय (1970) इन मामलों में लागू नहीं है क्योंकि यह बिहार उत्पाद अधिनियम में वर्ष 2006 में किये गये संशोधन से काफी पहले का है।

---

1 भागलपुर–सह–बाँका, जहानाबाद–सह–अरवल, कटिहार तथा पटना।

2 अल्कोहल की शक्ति 'डिग्री प्रूफ में' मापी जाती है। अल्कोहल की शक्ति, जिसके 13 भाग का वजन, 51 डिग्री फारेनहाइट पर जल के 12 भाग के वजन के ठीक–ठीक बराबर हो उसे 100 डिग्री प्रूफ निर्दिष्ट किया जाता है। अल्कोहल के दिये गये नमूना के आभासी आयतन को अल्कोहल के आयतन में बदले जाने पर, जिसकी शक्ति 100 डिग्री हो, को लन्दन प्रूफ लीटर कहा जाता है।

3 वाद सं0–1970 (2) सुप्रीम कोर्ट–467 : विमल चन्द्र बनर्जी बनाम मध्य प्रदेश राज्य।

मामले सरकार को फरवरी तथा मई 2008 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अक्तूबर 2008)।

## 3.3 उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती नहीं/विलम्ब से किये जाने के कारण राजस्व की हानि

बिहार उत्पाद अधिनियम तथा इसके तहत् बने नियमों के अन्तर्गत देशी शराब, मशालेदार देशी शराब एवं भारत निर्मित विदेशी शराब की खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञप्तियों की वार्षिक बन्दोबस्ती, उत्पाद आयुक्त द्वारा पूर्व में स्वीकृत रिजर्व फीस तथा इस प्रयोजन हेतु जारी बिक्री अधिसूचना के शर्तों के अनुसार, सार्वजनिक नीलामी के आधार पर किया जाना है। जब स्वीकृत फीस प्राप्त न हो तो उत्पाद आयुक्त के अनुमोदन के शर्त पर जिला समाहर्त्ता अपने विवेक से उससे कम फीस स्वीकृत कर दुकानों की औपबंधिक बन्दोबस्ती कर सकता है। दुकानों के अबन्दोबस्त रहने पर, जून 1995 में पुनः जारी विभागीय अनुदेश के अनुसार, संबंधित क्षेत्रों में शराबों की आपूर्ति अपने प्रबंधन के माध्यम से विभाग द्वारा संचालित करना था। हालाँकि, अबन्दोबस्त दुकानों के विभागीय संचालन से संबंधित जून 1995 का अनुदेश अक्तूबर 2003 में इस निर्देश के साथ वापस ले लिया गया था कि सभी जिला समाहर्त्ता बन्दोबस्ती वर्ष के प्रारम्भ में अलाभकारी दुकानों की स्थिति की समीक्षा कर दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु लाभकारी दुकानों के साथ सम्मिलित करेंगे। देशी शराब/मशालेदार देशी शराब की दुकानों का विभागीय संचालन का प्रावधान अप्रैल 2005 में केवल 10 जिलों[4] के लिए पुनः बहाल की गई थी।

उत्पाद दुकानों के बन्दोबस्ती से संबंधित प्रावधानों में एक संशोधन (जनवरी 2005) द्वारा विभाग ने राजस्व के हित में एक से अधिक समूह की व्यवस्था के साथ अवर प्रमंडलीय स्तर पर मुख्यतः एक लॉट में सभी दुकानों का समूहीकरण कर देशी शराब/मशालेदार देशी शराब की दुकानों की खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञप्ति की बन्दोबस्ती की नीति को अपनाया। वर्ष 2006–07 हेतु बिक्री अधिसूचना की शर्त 6 पुनः यह प्रावधित करता है कि अनुज्ञप्ति की बन्दोबस्ती उत्पाद वर्ष (पहली अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष की 31 मार्च तक) के शुरूआत से पहले हो जानी चाहिए। प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञप्तियों की बन्दोबस्ती एक वर्ष के लिए की जानी है, जिसे तीन वर्षों तक के लिए विस्तारित/नवीकरण किया जा सकता है।

**3.3.1** पाँच उत्पाद जिलों[5] में सितम्बर 2007 तथा मार्च 2008 के बीच किये गये अभिलेखों की नमूना जाँच में यह पाया गया कि नीलामी पर रखे गये 135 में से 25 देशी शराब, 61 में से आठ मशालेदार देशी शराब तथा 199 में से नौ भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानें वर्ष 2006–07 के दौरान अबन्दोबस्त पड़े थे तथा जहानाबाद जिले के 11 देशी शराब दुकानों को छोड़ उनका विभागीय तौर पर संचालन भी नहीं किया गया था। इसके फलस्वरूप जहानाबाद जिले में संग्रहित राजस्व के समायोजन के उपरान्त उत्पाद शुल्क के रूप में 5.91 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई, जिसकी गणना संबंधित उत्पाद दुकानों हेतु वर्ष 2006–07 में निर्धारित न्यूनतम गारंटी कोटा के आधार पर की गई है।

मामले इंगित किये जाने के बाद चार[6] सहायक उत्पाद आयुक्त/उत्पाद अधीक्षक ने अक्तूबर 2007 एवं मार्च 2008 के बीच कहा कि काफी प्रयासों के बावजूद डाककर्त्ताओं

4 अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, गया, जहानाबाद, नवादा, पूर्णियाँ, रोहतास, सारण तथा पश्चिमी चम्पारण।

5 औरंगाबाद, छपरा, जहानाबाद–सह–अरवल, पटना तथा पूर्णियाँ।

6 औरंगाबाद, छपरा, पटना तथा पूर्णियाँ।

की अनुपलब्धता के कारण दुकानें अबन्दोबस्त रह गये, जबकि उत्पाद अधीक्षक, जहानाबाद–सह–अरवल ने सितम्बर 2007 में कहा कि समूह बनाकर दुकानों को बन्दोबस्त करने का प्रयास किया गया था लेकिन डाककर्त्ताओं की अनुपलब्धता के कारण बन्दोबस्ती नहीं की जा सकी तथा विभागीय तौर पर दुकानों का संचालन किया गया था। उत्तर मान्य नहीं हैं, क्योंकि विभागीय तौर पर दुकानों का संचालन तो किया गया था, परन्तु संबंधित दुकानों के लिए निर्धारित रिजर्व फीस/न्यूनतम गारंटी कोटा की तुलना में निबल राजस्व की वसूली नगण्य थी।

**3.3.2** पाँच उत्पाद जिलों[7] में सितम्बर 2007 एवं मार्च 2008 के बीच किये गये अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि 113 देशी शराब, 71 मशालेदार देशी शराब एवं 42 भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानों की बन्दोबस्ती वर्ष 2006–07 के दौरान 19 से 289 दिनों का समय बीत जाने के बाद की गई थी। यद्यपि इन दुकानों को बन्दोबस्ती की तिथि तक विभागीय तौर पर संचालित किया जा सकता था, लेकिन इस संबंध में जहानाबाद जिले के अलावे कोई प्रयास नहीं किया गया था। इस प्रकार दुकानों की बन्दोबस्ती विलम्ब से किये जाने के साथ–साथ विभागीय तौर पर संचालित नहीं किये जाने के कारण जहानाबाद जिले में दुकानों के विभागीय संचालन द्वारा संग्रहित 48,840 रुपये के राजस्व के समायोजन के पश्चात् सरकार को 6.67 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई ।

मामले इंगित किये जाने के बाद संबंधित उत्पाद अधीक्षकों ने सितम्बर 2007 तथा मार्च 2008 के बीच कहा कि डाककर्त्ताओं के अनुपलब्धता के कारण दुकानों की बन्दोबस्ती में विलम्ब हुआ था। चार उत्पाद जिलों[8], जहाँ अप्रैल 2005 का अनुदेश लागू था, में विभागीय तौर पर दुकानों का संचालन नहीं किये जाने के कारणों के प्रति उत्तर मौन था।

मामले सरकार को फरवरी तथा मई 2008 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अक्तूबर 2008)।

## 3.4 मोलासेस से शराब की कम प्राप्ति के कारण राजस्व की हानि

मोलासेस नियंत्रण अधिनियम, 1947 बिहार राज्य में कारखानों द्वारा मोलासेस के उत्पादन की कीमत एवं भंडारण, आपूर्ति एवं वितरण का नियंत्रण प्रावधित करता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत् बनाया गया बिहार मोलासेस नियंत्रण (नियमावली), 1955 यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक डिस्टीलरी आगामी 1 जनवरी से प्रारंभ होने वाले बारह महीनों के दौरान मोलासेस की अपनी आकलित आवश्यकता संबंधी माँग–पत्र (31 अक्तूबर तक) नियंत्रक को सौंपेगा। माँग–पत्र के अनुसार तथा इसकी जाँच करने के उपरान्त नियंत्रक, डिस्टीलरी के लिए मोलासेस का आवंटन करेंगे।

राजस्व पर्षद द्वारा 19 जनवरी 2000 में बनाये गये नियमों के अनुसार प्रत्येक डिस्टीलरी के मालिक, शराब के उत्पादन के लिए खपत हुए मोलासेस में विद्यमान किण्वित शक्कर के प्रत्येक क्विंटल से कम–से–कम 92 एल0पी0एल0 शराब की प्राप्ति बनाये रखने हेतु उत्तरदायी होंगे। इसे सुनिश्चित करने हेतु डिस्टीलरी के प्रभारी उत्पाद अधिकारी द्वारा मोलासेस का मिश्रित नमूना लेना है तथा जाँच हेतु रासायनिक परीक्षक को भेजा जाना है।

उत्पाद अधीक्षक, एस0सी0आई0 डिस्टीलरी, रजौन, बाँका के अभिलेखों की फरवरी 2008 में किये गये नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि डिस्टीलरी में दिसम्बर 2005 से नवम्बर 2006 की अवधि में 37,175 क्विंटल मोलासेस की खपत हुई थी,

7 औरंगाबाद, छपरा, जहानाबाद–सह–अरवल, नवादा तथा पूर्णियाँ।

8 औरंगाबाद, छपरा, नवादा तथा पूर्णियाँ।

जिससे मानक के अनुसार आवश्यक 9,81,568.70 एल0पी0एल0 शराब की प्राप्य मात्रा के विरुद्ध वास्तव में 5,94,113.16 एल0पी0एल0 शराब की ही प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार 3,87,455.54 एल0पी0एल0 शराब की कम प्राप्ति के परिणामस्वरूप 35 रुपये प्रति एल0पी0एल0 की दर से की गई गणना के अनुसार 1.36 करोड़ रुपये की राजस्व की हानि हुई।

मामले विभाग एवं सरकार को मई 2008 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अक्तूबर 2008)।

## 3.5 देशी शराब/मशालेदार देशी शराब के अधिक उठाव किये जाने पर निर्गमन फीस की कम वसूली

बिहार उत्पाद (देशी शराब/मशालेदार देशी शराब की खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञप्तियों की बन्दोबस्ती) नियमावली, 2004 के तहत् राजस्व पर्षद द्वारा नवम्बर 2004 में निर्गत अधिसूचना के अनुसार खुदरा बिक्री हेतु देशी शराब तथा मशालेदार देशी शराब पर निर्गमन फीस की दर निर्धारित न्यूनतम गारंटी कोटा तक 2.50 रुपये प्रति एल0पी0एल0 तथा निर्धारित न्यूनतम गारंटी कोटा से अधिक मात्रा का उठाव किये जाने पर देशी शराब एवं मशालेदार देशी शराब के लिए क्रमशः 37.50 रुपये तथा 42.50 रुपये प्रति एल0पी0एल0 निर्धारित की गई थी।

दो उत्पाद जिलों[9] में जनवरी तथा फरवरी 2008 के बीच किये गये अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2006–07 के दौरान देशी शराब के 1,43,852.24 एल0पी0एल0 तथा मशालेदार देशी शराब के 3,89,573.20 एल0पी0एल0 के आवंटित न्यूनतम गारंटी कोटा के विरुद्ध उत्पाद दुकानों के खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों ने देशी शराब का 2,26,164.60 एल0पी0एल0 तथा मशालेदार देशी शराब का 4,34,232.84 एल0पी0एल0 का उठाव किया। इस प्रकार अनुज्ञप्तिधारियों ने अपने आवंटित न्यूनतम गारंटी कोटा से देशी शराब का 82,312.36 एल0पी0एल0 तथा मशालेदार देशी शराब का 44,659.64 एल0पी0एल0 का अधिक उठाव किया, जिसपर 63.18 लाख रुपये का निर्गमन फीस आरोप्य था, जिसके विरुद्ध मात्र 16.43 लाख रुपये की राशि आरोपित की गई थी। इसके फलस्वरूप 46.75 लाख रुपये के निर्गमन फीस की कम वसूली हुई।

मामले विभाग एवं सरकार को मई 2008 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अक्तूबर 2008)।

9 मुजफ्फरपुर तथा सहरसा–सह–सुपौल।

# अध्याय–IV: मोटर वाहनों पर कर

## 4.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2007–08 की अवधि में परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से 201 मामलों में 141.29 करोड़ रुपये की राशि के मोटर वाहनों पर कर, फीस, अर्थदण्ड/जुर्माना आदि के नहीं/कम कर लगाये जाने तथा अन्य त्रुटियों का पता चला, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं :

(करोड़ रुपये में)

| क्रम सं0 | श्रेणी | मामलों की संख्या | राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | मोटर वाहन पर कर की वसूली नहीं किया जाना | 63 | 34.77 |
| 2. | जुर्माना एवं अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जाना | 83 | 3.87 |
| 3. | योग्यता प्रमाण पत्र का अनियमित निर्गमन | 10 | 1.97 |
| 4. | व्यापार कर की वसूली नहीं/कम किया जाना | 09 | 0.30 |
| 5. | अन्य मामले | 36 | 100.38 |
| | **योग** | **201** | **141.29** |

वर्ष 2007–08 की अवधि में विभाग ने 215 मामलों में अन्तर्निहित 142.94 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जिसमें से 121.93 करोड़ रुपये से सन्निहित 160 मामले वर्ष 2007–08 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये थे। विभाग ने पाँच मामलों में 36.94 लाख रुपये की वसूली की।

दृष्टान्तस्वरूप 36.18 करोड़ रुपये से अन्तर्निहित कर प्रभाव वाले कुछ मामलों का उल्लेख निम्नलिखित कंडिकाओं में किया गया है।

## 4.2 मोटर वाहन पर कर की वसूली नहीं किया जाना

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत मोटर वाहन कर का भुगतान उसी निबन्धन प्राधिकारी को किया जाना है जिसके क्षेत्राधिकार में वाहन निबन्धित है। निवास स्थान/व्यवसाय स्थल के परिवर्तन की स्थिति में, वाहन मालिक नये निबन्धन प्राधिकारी को कर का भुगतान कर सकता है, बशर्ते की पूर्ववर्ती निबंधन प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें। पुनः निबंधन प्राधिकारी, वाहन मालिकों को कर के भुगतान से छूट प्रदान कर सकता है, यदि वह संतुष्ट हो कि वाहन मालिक द्वारा विहित शर्त्तों को पूरा कर लिया गया है। समय पर वसूली सुनिश्चित करने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा माँग पत्र निर्गत किया जाना अपेक्षित है तथा माँग पत्र का जवाब नहीं दिये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत कार्यपालक अनुदेशों के अनुसार नीलामवाद प्रक्रिया आरम्भ किया जाना है। 90 दिनों से भी अधिक समय तक कर का भुगतान नहीं किये जाने पर देय कर का 200 प्रतिशत की दर पर अर्थदण्ड लगाया जाना है।

अप्रैल 2006 एवं मार्च 2008 के बीच 37 जिला परिवहन कार्यालयों[1] के कराधान पंजियों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि 1,320 परिवहन वाहन के मालिकों ने यद्यपि जुलाई 2002 एवं जून 2007 के बीच की अवधि से संबंधित 10.23 करोड़ रुपये के कर का भुगतान नहीं किया था फिर भी, जिला परिवहन पदाधिकारियों ने दोषी वाहन मालिकों से बकाये की वसूली हेतु कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की थी। किसी भी मामले में मालिकों के पते में परिवर्तन होने अथवा कर भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिए वाहनों के कागजात अभ्यर्पित किए जाने का उल्लेख अभिलेख पर नहीं पाया गया। इसके फलस्वरूप 200 प्रतिशत की दर पर 20.45 करोड़ रुपये के अर्थदण्ड सहित कुल 30.68 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई।

मामले इंगित किये जाने के बाद 34 जिला परिवहन पदाधिकारियों[2] ने अप्रैल 2006 एवं मार्च 2008 के बीच कहा कि माँग पत्र निर्गत किया जायेगा। जिला परिवहन पदाधिकारी, लखीसराय ने दिसम्बर 2007 में कहा कि माँग पत्र निर्गत कर दिया गया है, जबकि जिला परिवहन पदाधिकारी, भभुआ ने अक्तूबर 2007 में कहा कि नीलामवाद की कार्रवाई आरम्भ की जाएगी। जिला परिवहन पदाधिकारी, सुपौल द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया था।

मामले सरकार को नवम्बर 2006 एवं मई 2008 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2008)।

## 4.3 ट्रेलरों के विरुद्ध कर की वसूली नहीं किया जाना

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम तथा उसके तहत् बने नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत ट्रेलरों के मालिकों को विहित दर पर पथ कर तथा अतिरिक्त मोटर वाहन कर का भुगतान करना है। उपरोक्त अधिनियम यह भी प्रावधित करता है कि कृषि उत्पाद के परिवहन में उपयोग किए गए एक मोटर वाहन को सिर्फ कृषि प्रयोजन हेतु उपयोग

[1] अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बाँका, बेतिया, बेगुसराय, भभुआ, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, छपरा, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, नवादा, पटना, पूर्णियाँ, रोहतास, सहरसा, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल एवं वैशाली।

[2] अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बाँका, बेतिया, बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, छपरा, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, नवादा, पटना, पूर्णियाँ, रोहतास, सहरसा, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान एवं वैशाली।

किया जाना नहीं माना जाएगा। समय पर कर की वसूली सुनिश्चित करने हेतु संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी को माँग का सृजन तथा तदनुसार कर की वसूली करनी है। अगर कर के भुगतान में 90 दिनों से अधिक का विलम्ब हो तो देय कर की राशि के दुगुनी दर पर अर्थदण्ड आरोपित किया जाएगा।

दिसम्बर 2007 एवं मार्च 2008 के बीच छः जिला परिवहन कार्यालयों[3] के कराधान पंजियों के नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि 421 ट्रेलरों के मालिकों ने यद्यपि जुलाई 2002 एवं जून 2007 के बीच की अवधि से संबंधित पथ कर एवं अतिरिक्त मोटर वाहन कर का भुगतान नहीं किया था, फिर भी विभाग ने दोषी वाहन मालिकों के विरुद्ध किसी प्रकार की माँग का सृजन नहीं किया था। इसके फलस्वरूप अर्थदण्ड सहित 2.46 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई।

मामले इंगित किये जाने के बाद संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने दिसम्बर 2007 एवं मार्च 2008 के बीच कहा कि माँग पत्र निर्गत किया जायेगा। आगे की प्रगति पर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2008)।

मामले सरकार को अप्रैल एवं मई 2008 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2008)।

## 4.4 योग्यता प्रमाण पत्र का अनियमित निर्गमन

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अन्तर्गत किसी भी परिवहन वाहन को योग्यता प्रमाण पत्र तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता है, जब तक कि वाहन मालिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में कर भुगतान का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लेते हैं। पटना उच्च न्यायालय के न्यायनिर्णय[4] के अनुसार योग्यता प्रमाण पत्र लेने हेतु टैक्स टोकन, जो कि कर भुगतान का एक साक्ष्य है, प्रस्तुत करना अपेक्षित है। पुनः राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार द्वारा अप्रैल 1994 में निर्गत कार्यपालक अनुदेशों के अनुसार मोटर वाहन निरीक्षकों को उन परिवहन वाहनों को योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान/नवीकरण करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिनके विरुद्ध कर का भुगतान नहीं किया गया है।

जुलाई 2007 एवं मार्च 2008 के बीच 10 जिला परिवहन कार्यालयों[5] के कराधान पंजियों के साथ योग्यता प्रमाण पत्र पंजियों में दर्ज प्रविष्टियों के तिर्यक जाँच के दौरान यह पाया गया कि कर का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित किये बगैर 71 परिवहन वाहनों को योग्यता प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया था। इस चूक के कारण न केवल नियमों तथा राज्य परिवहन आयुक्त के आदेश की अवहेलना हुई, बल्कि जुलाई 2002 एवं जून 2007 के बीच की अवधि से संबंधित अर्थदण्ड सहित 1.97 करोड़ रुपये के कर की वसूली भी नहीं हुई।

मामले इंगित किये जाने के बाद सात जिला परिवहन पदाधिकारियों[6] ने जुलाई 2007 एवं मार्च 2008 के बीच कहा कि मामले को अनुपालन हेतु मोटर वाहन निरीक्षकों को संदर्भित किया जाएगा। जिला परिवहन पदाधिकारी, भागलपुर एवं दरभंगा ने सितम्बर 2007 एवं जनवरी 2008 के बीच कहा कि मामले की जाँच की जायेगी, जबकि जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना ने दिसम्बर 2007 में कहा कि माँग पत्र निर्गत किये जायेंगे। आगे की प्रगति पर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2008)।

---

3 बेतिया, दरभंगा, मधुबनी, पटना, सहरसा एवं सीतामढ़ी।

4 पटना जिला ट्रक संघ बनाम बिहार राज्य 1993(1) पी एल जे आर 211

5 आरा, भागलपुर, दरभंगा, कटिहार, किशनगंज, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियाँ एवं सीतामढ़ी।

6 आरा, कटिहार, किशनगंज, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ एवं सीतामढ़ी।

मामले सरकार को अप्रैल एवं मई 2008 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2008)।

## 4.5 अभ्यर्पण में अन्तर्ग्रस्त वाहनों से कर की वसूली नहीं किया जाना

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत जब कोई मोटर वाहन मालिक एक बार में छः महीने से कम अवधि के लिए अपने वाहन का उपयोग नहीं करना चाहता है तब उसे वाहन का उपयोग नहीं किये जाने की अवधि के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा कर से भुगतान हेतु छूट प्रदान किया जा सकता है बशर्ते कि छूट का दावा निबन्धन प्रमाण पत्र, योग्यता प्रमाण पत्र, टैक्स टोकन इत्यादि जैसे आवश्यक प्रलेखों को अभ्यर्पित कर दिये जाने के साक्ष्यों से समर्थित हो। उपरोक्त अवधि के विस्तार, यदि कोई हो, के लिए वाहन मालिक को समय–समय पर संबंधित करारोपण पदाधिकारी के समक्ष वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा। करारोपण पदाधिकारी को महीने में कम–से–कम एक बार वाहन के पार्किंग स्थल का औचक रूप में भौतिक सत्यापन करना है और वाहन के अभिलेख में इस निरीक्षण मेमो को दर्ज करना है। वचन पत्र में उल्लिखित अवधि के दौरान यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि मोटर वाहन का उपयोग किया गया है अथवा वाहन को वचन पत्र में दर्शाये गये स्थान की अपेक्षा किसी अन्य स्थान पर रखा गया है तो इस अधिनियम के अन्तर्गत यह माना जायेगा कि उक्त सम्पूर्ण अवधि में कर का भुगतान किये बगैर वाहन का उपयोग किया गया है। अगर कर के भुगतान में 90 दिनों से अधिक का विलम्ब हो तो देय कर की राशि के दुगुनी दर पर अर्थदण्ड आरोपित किया जाएगा।

जुलाई एवं दिसम्बर 2007 के बीच तीन जिला परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान कराधान/अभ्यर्पण पंजी एवं अन्य संबद्ध अभिलेखों से यह पता चला कि दिसम्बर 2003 एवं अगस्त 2005 के बीच अभ्यर्पित 31 वाहनों को 19 से 39 महीनों तक के लिए अवधि के विस्तार की अनियमित अनुमति दी गई थी। इसके फलस्वरूप मार्च 2004 एवं जून 2007 तक की अवधि हेतु अर्थदण्ड सहित 47.48 लाख रुपये के कर, जो वसूलनीय थी, की वसूली नहीं की गई थी। इसका विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख रुपये में)

| क्रम सं0 | जिला परिवहन कार्यालय का नाम<br>वाहनों की संख्या | कर गणना की अवधि | अनियमितताएँ | कर प्रभाव |
|---|---|---|---|---|
| 1. | पटना<br>13 | 01 अप्रैल 2004 से 30 जून 2007 | आरम्भिक अभ्यर्पण अवधि के कालातीत हो जाने के बाद नये वचन पत्र प्राप्त किये बगैर 19 एवं 39 महीनों के बीच की अवधि विस्तार की अनुमति दी गई थी। पुनः इन 13 वाहनों में से एक मामले में आरम्भिक अभ्यर्पण निबंधन प्रमाण पत्र एवं योग्यता प्रमाण पत्र की छायाप्रति के आधार पर अनियमित रूप से स्वीकार किया गया था। | 17.02 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | पूर्णियाँ<br>10 | 01 जनवरी 2005 से 30 जून 2007 | आरम्भिक अभ्यर्पण अवधि के कालातीत हो जाने के बाद नये वचन पत्र प्राप्त किये बगैर 19 से 30 महीनों के बीच की अवधि विस्तार की अनुमति दी गई थी। पुनः इन 10 वाहनों में से छः मामलों में निबंधन प्रमाण पत्र लिये बगैर अथवा निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति के आधार पर आरम्भिक अभ्यर्पण अनियमित रूप से स्वीकार किया गया था तथा एक मामले में अभ्यर्पण की तिथि तक का देय कर की वसूली किये बिना ही अभ्यर्पण स्वीकार कर लिया गया था। | 16.17 |
| 3. | भागलपुर<br>8 | 04 मार्च 2004 से 30 जून 2007 | आरम्भिक अभ्यर्पण अवधि के कालातीत हो जाने के बाद नये वचन पत्र प्राप्त किये बगैर 19 एवं 39 महीनों के बीच की अवधि विस्तार की अनुमति दी गई थी। पुनः इन आठ वाहनों में से एक मामले में आरम्भिक अभ्यर्पण करने के समय निबंधन प्रमाण पत्र अभ्यर्पित नहीं किया गया था। | 14.29 |
| **कुल** | **31** | | | **47.48** |

मामले इंगित किये जाने के बाद संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने जुलाई एवं दिसम्बर 2007 के बीच कहा कि माँग पत्र निर्गत किया जाएगा एवं तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। हालाँकि यह उत्तर आगे की अवधि के लिए वाहन मालिकों से नये वचन पत्र प्राप्त किये बगैर आरम्भिक अभ्यर्पण अवधि के अनियमित विस्तार एवं उचित कागजात के बगैर/कागजातों की छायाप्रति पर अभ्यर्पण की अनुमति देने के कारणों को स्पष्ट नहीं करता है। आगे की प्रगति पर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2008)।

मामले सरकार को मई 2008 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2008)।

## 4.6 मोटर वाहनों के व्यवसायियों से व्यापार कर की वसूली नहीं/कम किया जाना

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत विनिर्माता अथवा व्यवसायी को उसके व्यवसाय के क्रम में अधिकार में रहे मोटर वाहनों पर एक व्यवसायी के रूप में विहित वार्षिक दर पर कर का भुगतान करना है। देय तिथि के अन्दर कर का भुगतान नहीं करने की स्थिति में देय कर का 25 एवं 200 प्रतिशत के बीच अर्थदण्ड आरोप्य है। पुनः राज्य परिवहन आयुक्त ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को कर की वसूली एवं व्यापार प्रमाण पत्र का नवीकरण हेतु वैध कार्रवाई शुरू करने हेतु अनुदेशित किया (मई 2001)।

जनवरी 2007 एवं फरवरी 2008 के बीच नौ जिला परिवहन कार्यालयों[7] के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि मोटर वाहनों के 85 व्यवसायियों ने वर्ष 2002–03 एवं 2006–07 की अवधि के बीच अपने अधिकार में रखे गये 35,293 वाहनों (28,898 दोपहिया एवं 6,395 तीन/चार पहियों वाली गाड़ियाँ) हेतु या तो विहित दर पर कर का भुगतान नहीं किया था या कम कर का भुगतान किया था। जिला परिवहन पदाधिकारियों ने भी दोषी व्यवसायियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके फलस्वरूप अर्थदण्ड सहित 29.80 लाख रुपये के व्यापार कर की वसूली नहीं/कम हुई।

मामले इंगित किये जाने पर सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों ने जनवरी 2007 एवं फरवरी 2008 के बीच कहा कि माँग पत्र निर्गत किया जाएगा। आगे की प्रगति पर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2008)।

मामले सरकार को अगस्त 2007 तथा मई 2008 के बीच प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2008)।

## 4.7 द्वितीयक निबंधन प्रमाण पत्र के अनियमित निर्गमन/स्वामित्व के हस्तांतरण के कारण कर की वसूली नहीं किया जाना

समय–समय पर निर्गत राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के कार्यपालक अनुदेशों, जिसमें अद्यतन सितम्बर 1996 में जारी किया गया है, के अनुसार कर के चोरी रोकने हेतु एक परिवहन वाहन के संबंध में विहित फीस तथा अद्यतन कर एवं व्यक्तिगत वाहन के मामले में एकमुश्त कर का भुगतान किये जाने के बाद ही संबंधित निबंधन प्राधिकारी द्वारा स्वामित्व का हस्तांतरण, द्वितीयक निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत, मोटर वाहन के गिरवी को मंजूर/समाप्त किया जाना है।

अक्तूबर एवं दिसम्बर 2007 के बीच जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर तथा पटना के निबंधन पंजी एवं कराधान पंजी के तिर्यक जाँच के दौरान यह पाया गया कि आठ परिवहन वाहनों के मामले में कर का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित किये बगैर स्वामित्व का हस्तांतरण, द्वितीयक निबंधन प्रमाण पत्र इत्यादि की अनुमति दी गई/निर्गत की गई थी। इस चूक से न केवल राज्य परिवहन आयुक्त के आदेश का उल्लंघन हुआ बल्कि सितम्बर 2002 एवं जून 2007 के बीच की अवधि के लिए अर्थदण्ड सहित 24.86 लाख रुपये के कर की वसूली भी नहीं हुई।

मामले इंगित किये जाने के बाद संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने अक्तूबर एवं दिसम्बर 2007 के बीच कहा कि माँग पत्र निर्गत किया जायेगा। आगे की प्रगति पर प्रतिवदेन प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2008)।

मामले सरकार को मई 2008 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2008)।

## 4.8 अतिरिक्त निबंधन फीस की वसूली नहीं/कम किया जाना

बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 के अनुसार अगर कोई वाहन मालिक अनुक्रम से हटकर एक विशेष निबंधन संख्या के लिए आवेदन करता है तब 100 रुपये का अतिरिक्त फीस आरोपित किया जाएगा। बिहार सरकार ने जून 2003 में एक अधिसूचना के द्वारा अतिरिक्त फीस की दर को प्रत्येक मामले में 5,000 रुपये पुनरीक्षित कर दिया। यह अधिसूचना उसमें विनिर्दिष्ट विशेष निबंधन संख्या के लिए 5,000 रुपये से 25,000 रुपये तक का अतिरिक्त फीस भी निर्धारित करता है।

---

7 आरा, अररिया, बक्सर, लखीसराय, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियाँ एवं सहरसा।

मई 2006 तथा फरवरी 2008 के बीच पाँच जिला परिवहन कार्यालयों[8] के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि जून 2003 और नवम्बर 2006 के बीच निबंधित 101 वाहनों हेतु अतिरिक्त निबंधन फीस या तो वसूल नहीं की गई थी अथवा इसकी वसूली पुनरीक्षण से पूर्व की दर पर की गई थी। इसके फलस्वरूप 5.24 लाख रुपये के अतिरिक्त निबंधन फीस की वसूली नही/कम हुई।

मामले इंगित किये जाने के बाद संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने मई 2006 तथा फरवरी 2008 के बीच कहा कि बकाये की वसूली हेतु वाहन मालिकों को माँग पत्र निर्गत किया जाएगा। आगे की प्रगति पर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2008)।

मामले सरकार को अप्रैल तथा मई 2008 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2008)।

8 आरा, अररिया, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा तथा शिवहर।

# अध्याय–V: अन्य कर प्राप्तियाँ

## 5.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2007–08 के दौरान निम्नलिखित प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 348 मामलों में अन्तर्निहित 292.22 करोड़ रुपये के कर, फीस, शुल्क के अवनिर्धारण एवं राजस्व की हानि इत्यादि का पता लगा, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं :

(करोड़ रुपये में)

| क्रम सं0 | श्रेणियाँ | मामलों की संख्या | राशि |
|---|---|---|---|
| **क. भू–राजस्व** | | | |
| 1. | सलामी एवं व्यावसायिक लगान का निर्धारण नहीं होना | 75 | 16.04 |
| 2. | सन्निहित भूमि की बन्दोबस्ती नहीं होना | 83 | 2.58 |
| 3. | उपकर एवं/या बकाया उपकर पर ब्याज का नहीं/कम आरोपण | 28 | 0.20 |
| 4. | सैरातों की बन्दोबस्ती नहीं होना | 35 | 1.13 |
| 5. | पट्टे पर दिए खास महाल भूमि का नवीकरण नहीं किये जाने के कारण राजस्व की वसूली नहीं होना | 02 | 153.60 |
| 6. | काबिल लगान भूमि पर लगान का निर्धारण नहीं किये जाने के कारण कर एवं उपकर आरोपित नहीं किया जाना। | 02 | 51.12 |
| 7. | अन्य मामले | 50 | 30.30 |
| | **कुल** | **275** | **254.97** |
| **ख. प्रवेश कर** | | | |
| 1. | कर का नहीं/कम आरोपण | 37 | 16.65 |
| 2. | कर का गलत दर लगाया जाना | 05 | 0.21 |
| 3. | कर से छूट की अनियमित अनुमति | 02 | 3.11 |
| 4. | अन्य मामले | 17 | 17.06 |
| | **कुल** | **61** | **37.03** |
| **ग. मनोरंजन कर/विलासिता कर** | | | |
| 1. | आवर्त के छिपाव के कारण विलासिता कर कम आरोपित किया जाना | 1 | 0.05 |
| | **कुल** | **1** | **0.05** |
| **घ. मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस** | | | |
| 1. | अन्य मामले | 11 | 0.17 |
| | **कुल** | **11** | **0.17** |
| | **कुल योग** | **348** | **292.22** |

वर्ष 2007–08 के दौरान संबंधित विभागों ने 276 मामलों में सन्निहित 49.77 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, इसमें से 233 मामलों में अन्तर्निहित 48.99 करोड़ रुपये वर्ष 2007–08 में एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान इंगित किये गये थे। संबंधित विभागों ने चार मामलों में 5.81 लाख रुपये की वसूली भी प्रतिवेदित किया है।

दृष्टान्तस्वरूप 205.36 करोड़ रुपये से सन्निहित कर प्रभाव वाले कुछ मामलों का उल्लेख निम्नलिखित कंडिकाओं में किया गया है।

## क : भू–राजस्व

## 5.2 पट्टे पर दी गई खास महाल भूमि का नवीकरण नहीं किये जाने के कारण राजस्व की वसूली नहीं होना

बिहार सरकार एस्टेट (खास महाल)[1] मैनुअल, 1953 एवं इसके तहत् निर्गत सरकारी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार को मूल पट्टे के कालातीत होने के छः माह पूर्व, पट्टों के नवीकरण हेतु आवेदन करने के लिए पट्टेधारियों को नोटिस जारी करना है, जबकि पट्टेधारी को अपने वर्तमान पट्टे के कालातीत होने के तीन माह पूर्व इसके नवीकरण हेतु आवेदन करना है। यदि एक पट्टाधारी लगान का भुगतान तथा पट्टे का नवीकरण किये बगैर पट्टे वाली सम्पति पर कब्जा बनाये रखता है अथवा सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदन के बिना पट्टे के उद्देश्य को बदल देता है या सम्पति का हस्तांतरण करता है तो उसे उल्लंघनकर्त्ता माना जायेगा और पूर्व में किये गये पट्टा अनुबंध की शर्तों पर पट्टे की नवीकरण हेतु उसका कोई दावा नहीं होगा एवं सरकार ऐसी भूमि को पुनः अपने अधिकार में ले सकती है। हालाँकि, वर्तमान कब्जाधारी को अपनी मंशा एक निर्धारित तिथि तक यह सूचित करने के लिए पूछा जाना चाहिए कि क्या वह नये पट्टों पर भूमि लेने के लिए इच्छुक है।

नये पट्टे पर वार्षिक लगान (आवासीय एवं व्यावसायिक पट्टों के लिए सलामी[2] का क्रमशः पचासवाँ एवं बीसवाँ हिस्सा) के अलावे भूमि के चालू बाजार मूल्य पर सलामी आरोप्य है। बकायों के मामलों में पट्टाधारी, लगान का भुगतान नहीं करने की तिथि से नये पट्टे पर निर्धारित लगान के दुगुना के साथ–साथ बकायों पर दस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी है।

31 मार्च 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ), बिहार सरकार की कंडिका 5.3 में उपर्युक्त विषय एवं उसके राजस्व प्रभाव की चर्चा की गई थी। यह अनुशंसा की गई थी कि अगर पट्टेधारी तीन माह के अन्दर कुल लगान का भुगतान नहीं करते हैं तो उसकी वसूली की जा सकती है अन्यथा पट्टे को छः माह के भीतर समाप्त किया जा सकता है। इस अनुशंसा के बावजूद भी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

जिला खास महाल पदाधिकारी, आरा तथा बक्सर के अभिलेखों की जून 2007 एवं मई 2008 के बीच किये गये नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि हालाँकि 2,701 कब्जाधारियों के पास पड़े 142.75 एकड़ खास महाल भूमि के पट्टे वर्ष 1956–57 में कालातीत हो गये थे, फिर भी ये पट्टाधारी अब तक भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा बनाये हुए थे। मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान पट्टे को निरस्त करने एवं वर्तमान कब्जाधारियों के साथ नये रूप से बन्दोबस्ती करने हेतु जमीन को अपने अधिकार में लेने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इस प्रकार भूमि को अपने अधिकार में लेने तथा नई शर्तों पर वर्तमान कब्जाधारियों के साथ बन्दोबस्ती करने में विभाग की निष्क्रियता के कारण वर्ष 2003–04 से 2007–08 की अवधि के लिए दंड लगान एवं ब्याज सहित 153.60 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

1 खास महाल का अर्थ सरकार के सीधे प्रबन्धन में सरकारी भू–सम्पदा है।

2 सलामी, भूमि के बाजार मूल्य में सरकारी अंश है।

(लाख रुपये में)

| क्र0 सं0 | जिला शहर का नाम | पट्टेवाली भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में) | मूल पट्टेधारियों की संख्या | नवीकरण हेतु भुगतेय सलामी | पाँच वर्षों के लिए भुगतेय दंड लगान | दंड ब्याज | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आरा | 34.11 | 1,242 | 2,902.90 | 580.58 | 87.09 | 3,570.57 |
| 2 | बक्सर | 108.64 | 1,459 | 9,584.60 | 1,916.92 | 287.54 | 11,789.06 |
| कुल | | **142.75** | **2,701** | **12,487.50** | **2,497.50** | **374.63** | **15,359.63** |

मामले इंगित किये जाने के बाद उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, आरा ने मई 2008 में कहा कि पूर्व में समय पर कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण ऐसा हुआ। हालाँकि, विभाग के अनुदेशों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। अंचल अधिकारी, बक्सर ने मई 2008 में बतलाया कि राजस्व के आरोपण एवं संग्रहण हेतु विभागीय कार्रवाई की जा रही है।

मामला सरकार को मई 2008 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 2008)।

## 5.3 काबिल लगान भूमि पर लगान का निर्धारण नहीं होने के कारण लगान एवं उपकर आरोपित नहीं किया जाना

बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 के तहत् सरकार किसी भी मामले में अगर वह उपयुक्त समझती है, तब किसी स्थानीय क्षेत्र की भूमि, काश्तकारी की भू-संपदा अथवा उसके हिस्से के मामले में राजस्व पदाधिकारी को सर्वे कर खतियान[3] तैयार करने का दिशानिर्देश दे सकती है। राजस्व पदाधिकारी स्वामित्व के अभिलेखों के अंतिम प्रकाशन से पहले किसी भी समय संबंधित पक्ष को उचित अवसर प्रदान करने के बाद खतियान को प्रारूप स्तर पर पुनरीक्षित कर सकता है।

अंतिम रूप से प्रकाशित खतियान में काबिल लगान[4] घोषित भूमि के मामले में अंचल अधिकारी को अपने क्षेत्राधिकार के अधीन काबिल लगान भूमि के लगान के निर्धारण हेतु अभिलेख तैयार करना है तथा अनुमोदन के लिए उप समाहर्त्ता भूमि सुधार को भेजना है। बिहार शहरी भूमि कर अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के तहत् शहरी भूमि के प्रत्येक भूमि मालिक पर आवासीय एवं वाणिज्यिक उपयोग के लिए भूमि के मूल्य के क्रमशः 0.2 से 0.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से लगान के साथ-साथ लगान के 145 प्रतिशत[5] की दर पर लागू उपकर आरोप्य है।

मार्च एवं मई 2008 के बीच दो शहरी अंचल कार्यालयों, बक्सर तथा गया एवं उप समाहर्त्ता भूमि सुधार कार्यालय, आरा के काबिल लगान भूमि पर लगान के निर्धारण से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि अंतिम रूप से प्रकाशित खतियान (जून 1992 और मार्च 2005 के बीच प्रकाशित) में 2,532.99 एकड़ क्षेत्रफल वाली 11,223 भू-खण्ड काबिल लगान घोषित किये गये थे। लेकिन लेखापरीक्षा की तिथि तक काबिल लगान भूमि पर लगान निर्धारित नहीं किया गया था, जिसके

[3] खतियान (स्वामित्व का अभिलेख) सभी वर्गों के मालिकों तथा रैय्यतों के लिए एवं बंगाल काश्तकारी अधिनियम की धारा 102 में विहित सभी सूचनाओं से समाहित मुख्य दस्तावेज है।

[4] काबिल लगान भूमि वे है जो वैध रूप से लगान निर्धारण योग्य है परन्तु अब तक उन पर लगान का निर्धारण नहीं हुआ है, जैसे कि नये भूमि-उद्धार, नई बन्दोबस्तियाँ तथा अतिक्रमण, जो मान्य है तथा जिस पर लगान निर्धारण किया गया है।

[5] शिक्षा उपकर : 50 प्रतिशत; स्वास्थ्य उपकर : 50 प्रतिशत; पथ उपकर : 25 प्रतिशत तथा कृषि उपकर : 20 प्रतिशत।

फलस्वरूप वर्ष 2003–04 से 2007–08 की अवधि के लिए 51.12 करोड़ रुपये के लगान एवं उपकर आरोपित नहीं किया गया, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

(लाख रुपये में)

| क्र0 सं0 | जिला शहर का नाम | वार्डों की संख्या | काबिल लगान भूमि के भूखण्डों की संख्या | सन्निहित क्षेत्रफल (एकड़ में) | भूमि का मूल्य | पाँच वर्षों के लिए भूमि के मूल्य के 0.2 प्रतिशत की दर से आवासीय लगान का आरोपण नहीं होना | पाँच वर्षों के लिए उपकर का आरोपण नहीं होना | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आरा | 9 | 2,679 | 178.97 | 18,800.40 | 188.00 | 272,61 | 460.61 |
| 2 | बक्सर | 13 | 4,662 | 2,204.08 | 1,67,976.12 | 1,679.76 | 2,435.65 | 4,115.41 |
| 3 | गया | 7 | 3,882 | 149.94 | 21,883.33 | 218.83 | 317.31 | 536.14 |
| कुल | | | **11,223** | **2,532.99** | **2,08,659.85** | **2,086.59** | **3,025.57** | **5,112.16** |

मामले इंगित किये जाने के बाद अंचल अधिकारी, गया ने मार्च 2008 में कहा कि लगान निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जबकि अंचल अधिकारी, बक्सर तथा उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, आरा ने मई 2008 में बतलाया कि खतियान में त्रुटियाँ तथा दरों की अनुपलब्धता के कारण लगान का निर्धारण प्रारम्भ नहीं की जा सकी। आगे की प्रगति पर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2008)।

मामला सरकार को मई 2008 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 2008)।

## खः प्रवेश कर

### 5.4 आयात मूल्य के छिपाव के कारण प्रवेश कर का कम आरोपण

बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के साथ पठित बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपयोग, व्यवहार अथवा बिक्री हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (प्रवेश कर अधिनियम) के अन्तर्गत यदि विहित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का ठोस कारण है कि व्यवसायी ने आवर्त के ब्योरे को छिपाया या छोड़ा है या जानबूझकर प्रकट नहीं किया है अथवा ऐसे आवर्त के लिए गलत विवरण दिया है तो उक्त प्राधिकारी वैसे आवर्त पर व्यवसायी द्वारा देय कर की राशि का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करेगा तथा छिपाये गये आवर्त पर निर्धारित किये गये कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड जो कर का अधिकतम तीन गुणा तक किन्तु कम–से–कम कर के समतुल्य राशि होगा, भुगतान करने के लिए व्यवसायी को निर्देश देगा।

अगस्त 2007 में वाणिज्यकर अंचल, गया के एक व्यवसायी द्वारा जमा किये गये रिटर्न के साथ रोड परमिट उपयोगिता विवरणी, क्रय विवरणी, व्यापार लेखा इत्यादि के तिर्यक जाँच से पता चला कि यद्यपि व्यवसायी ने वर्ष 2004–05 के दौरान 12.75 करोड़ रुपये मूल्य के अनुसूचित मालों को आयात/क्रय किया था, लेकिन उसने मात्र 8.59 करोड़ रुपये के आयात मूल्य पर प्रवेश कर स्वीकार किया था। इस प्रकार व्यवसायी ने 4.16 करोड़ रुपये मूल्य के अनुसूचित मालों के आयात/क्रय का छिपाव किया। निर्धारण प्राधिकारी मार्च 2007 में कर निर्धारण करते समय छिपाव का पता लगाने में विफल रहे, जिसके फलस्वरूप न्यूनतम आरोप्य अर्थदण्ड सहित 33.31 लाख रुपये के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ।

मामला विभाग एवं सरकार को मई 2008 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 2008)।

## 5.5 प्रवेश कर का गलत दर लगाया जाना

प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार ने अगस्त 2003 में एक अधिसूचना जारी कर स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर की दरों को पुनरीक्षित किया। पुनरीक्षित दरों के अनुसार सीमेंट पर तत्काल प्रभाव से 12 प्रतिशत की दर पर प्रवेश कर आरोप्य था।

गया अंचल के अभिलेखों की अगस्त 2007 में किये गये नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2003–04 के दौरान एक व्यवसायी ने 4.23 करोड़ रुपये मूल्य का सीमेंट आयात किया, जैसा कि मासिक/वार्षिक विवरणी में दर्शाया गया था। हालाँकि, निर्धारण प्राधिकारी ने दिसम्बर 2006 में कर निर्धारण पूरा करते समय सितम्बर 2003 से मार्च 2004 से सम्बन्धित आवर्त पर 12 प्रतिशत के बढ़े दर के बदले प्रवेश कर का आरोपण सम्पूर्ण आवर्त पर पुनरीक्षण से पूर्व के पाँच प्रतिशत की दर पर किया। इसके फलस्वरूप 14.92 लाख रुपये का प्रवेश कर कम आरोपित हुआ।

मामला विभाग एवं सरकार को मई 2008 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 2008)।

## 5.6 अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

बिहार वित्त अधिनियम के साथ पठित प्रवेश कर अधिनियम तथा इसके तहत् बने नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक व्यवसायी, जो प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत कर का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी है, सभी अनुसूचित मालों एवं उसपर भुगतेय कर के संबंध में एक सही एवं पूर्ण विवरणी प्रस्तुत करेगा। बिहार वित्त अधिनियम प्रावधित करता है कि विहित प्राधिकारी को कर निर्धारण से पूर्व यदि आवर्त के छिपाव का पता चलता है तो निर्धारित किये गये कर के अलावे अर्थदण्ड, जो कर का अधिकतम दुगुना किन्तु कम–से–कम कर के समतुल्य राशि तक होगा, भुगतान करने के लिए व्यवसायी को निर्देश देगा। पुनः बिहार वित्त अधिनियम के अन्तर्गत विवरणियों, कर निर्धारण, पुनर्निर्धारण, आवर्त का छिपाव, कर की वसूली, अपराध एवं अर्थदण्ड इत्यादि से संबंधित प्रावधान, प्रवेश कर अधिनियम के तहत् भी लागू होंगे। विभाग द्वारा नवम्बर 1998 एवं मई 2002 में निर्गत कार्यपालिका अनुदेशों के अनुसार निर्धारण प्राधिकारियों को विवरणियों की समीक्षा करना अपेक्षित था तथा चूककर्त्ता व्यवसायियों के विरुद्ध बिहार वित्त अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करनी थी।

गया वाणिज्यकर अंचल में पथ निर्माण कार्य से जुड़े एक व्यवसायी के प्रवेश कर अधिनियम के तहत् जमा किये गये रिटर्न के साथ बिहार वित्त अधिनियम के तहत् जमा किये गये रिटर्न का तिर्यक जाँच करने पर पता चला (अगस्त 2007) कि व्यवसायी ने वर्ष 2004–05 के दौरान प्रवेश कर अधिनियम के तहत् 1.50 करोड़ रुपये मूल्य के अनुसूचित मालों के आयात को नहीं दर्शाया था। हालाँकि, निर्धारण प्राधिकारी रिटर्न की समीक्षा तथा उपरोक्त आयात मूल्य के छिपाव का पता लगाने में विफल रहे, जिसके फलस्वरूप 10.87 लाख रुपये का न्यूनतम अर्थदण्ड आरोपित नहीं हुआ।

मामला विभाग एवं सरकार को मई 2008 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नही हुआ है (अक्तूबर 2008)।

## ग : विलासिता कर

### 5.7 आवर्त के छिपाव के कारण विलासिता कर का कम आरोपण

बिहार होटल विलास वस्तु कर अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि कोई स्वामी देय तिथि तक अथवा विस्तारित अवधि में कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तब उसे चूक के प्रत्येक दिवस हेतु 50 रुपये की दर पर अर्थदण्ड अथवा प्रत्येक माह एवं उसके किसी भाग के लिए देय कर की राशि का ढाई प्रतिशत की दर पर ब्याज, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना होगा।

गया वाणिज्यकर अंचल के अभिलेखों की अगस्त 2007 में किये गये नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि एक होटल ने वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 के दौरान किराया के रूप में 1.81 करोड़ रुपये प्राप्त किया था, लेकिन व्यवसायी ने उक्त अवधि के दौरान अपने रिटर्न में मात्र 1.34 करोड़ रुपये का आवर्त ही दर्शाया था, इस प्रकार 46.93 लाख रुपये के आवर्त को छिपाया था। कर निर्धारण प्राधिकारी अक्तूबर 2006 में कर निर्धारण पूरा करते समय इस छिपाव को नहीं पकड़े, जिसके फलस्वरूप ब्याज सहित 5.29 लाख रुपये के विलासिता कर का आरोपण कम हुआ।

मामला विभाग एवं सरकार को मई 2008 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 2008)।

# अध्याय–VI : कर भिन्न प्राप्तियाँ

## 6.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

जल दर, खान एवं खनिज, वन इत्यादि प्राप्तियों के अभिलेखों की वर्ष 2007–08 के दौरान किये गये नमूना जाँच से 113 मामलों में 130.09 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि/वसूली नहीं होने एवं अन्य त्रुटियों का पता चला, जो निम्न श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

(करोड़ रुपये में)

| क्रम संख्या | श्रेणी | मामलों की संख्या | राशि |
|---|---|---|---|
| क. | जल दर | | |
| 1. | 'जल दर प्राप्तियाँ' – एक समीक्षा | 1 | 72.97 |
| | **कुल** | **1** | **72.97** |
| ख. | खान एवं खनिज | | |
| 1. | नीलामवाद प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं किया जाना | 9 | 10.44 |
| 2. | अर्थदण्ड/फीस का आरोपण नहीं किया जाना | 14 | 7.41 |
| 3. | रॉयल्टी एवं उपकर का नहीं/कम आरोपण | 8 | 5.20 |
| 4. | ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना | 7 | 1.51 |
| 5. | बालू घाट के नहीं/अनियमित बन्दोबस्ती होने के कारण नीलामी राशि का आरोपण नहीं/कम किया जाना | 5 | 0.81 |
| 6. | मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण नहीं किया जाना | 8 | 0.46 |
| 7. | डेड रेन्ट/सतही रेन्ट का आरोपण नहीं किया जाना अथवा कम आरोपण | 1 | 0.11 |
| 8. | अन्य मामले | 25 | 25.54 |
| | **कुल** | **77** | **51.48** |
| ग. | वन प्राप्तियाँ | | |
| 1. | अतिक्रमित वन भूमि से बेदखल नहीं किया जाना | 5 | 2.06 |
| 2. | संग्रहित लकड़ी का निष्पादन नहीं होने के कारण राजस्व का अवरुद्ध होना | 16 | 1.36 |
| 3. | अन्य मामले | 14 | 2.22 |
| | **कुल** | **35** | **5.64** |
| | **कुल योग** | **113** | **130.09** |

वर्ष 2007–08 के दौरान संबंधित विभागों ने 76 मामलों में शामिल 40.48 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जिसमें से 38.49 करोड़ रुपये से सन्निहित 64 मामले वर्ष 2007–08 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान इंगित किये गये थे। विभाग ने तीन मामलों में 48.52 लाख रुपये की वसूली की।

**"जल दर प्राप्तियाँ"** पर एक समीक्षा के लेखापरीक्षा परिणाम जिसमें 72.97 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रभाव शामिल हैं एवं दृष्टांतस्वरूप 2.38 करोड़ रुपये से सन्निहित कुछ अन्य मामले निम्नलिखित कंडिकाओं में विवर्णित हैं।

## क : जल दर

## 6.2 जल दर प्राप्तियाँ

### मुख्य अंश

जल संसाधन की उपलब्धता से संबंधित आँकड़ों के अभाव में उपलब्ध सिंचाई क्षमता का निर्धारण अवास्तविक एवं अविश्वसनीय था। फलस्वरूप, विभाग सिंचाई हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका, तदन्तर 50.21 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

**(कंडिका 6.2.7)**

सहभागिता सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम के तहत् जल उपभोक्ता संघ को भूमि के हस्तांतरण की स्थिति पर अनुश्रवण के अभाव के परिणामस्वरूप 98 प्रतिशत की कमी के कारण योजना का प्राथमिक उद्देश्य निष्फल रहा। इसके अलावे, 14 उपभोक्ता संघों, जिन्हें कार्यक्रम के तहत् भूमि हस्तांतरित की गयी थी, द्वारा 48 लाख रुपये का भुगतान कम किये जाने की जानकारी से भी निदेशालय अनभिज्ञ था।

**(कंडिका 6.2.8)**

रिपोर्ट/रिटर्न के अभाव में प्रमण्डलों द्वारा चाट भूमि के अभिलेखों का संधारण नहीं किये जाने तथा 1.22 करोड़ रुपये की बन्दोबस्ती राशि का अग्रिम में भुगतान किये बगैर चाट भूमि की बन्दोबस्ती किये जाने से निदेशालय/सरकार अनभिज्ञ था।

**(कंडिका 6.2.10)**

सुनिश्चित एवं संभावित सिंचाई योग्य भूमि का खतियान तैयार नहीं किये जाने के फलस्वरूप 16.56 करोड़ रुपये की माँग का सृजन नहीं किया गया एवं तैयार खतियान के मामले में 4.35 करोड़ रुपये की माँग का सृजन कम हुआ।

**(कंडिका 6.2.11)**

### 6.2.1 प्रस्तावना

जल दर, जो राज्य सरकार का एक कर भिन्न राजस्व है, का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 एवं इसके तहत् बनाये गये बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं निस्सरण नियमावली, 2003 द्वारा शासित होता है।

कृषि योग्य कमान क्षेत्र[1] तथा कृषि प्रयोजन हेतु नहर के पानी द्वारा सिंचित किये जाने वाले चाट भूमि[2] से संबंधित सुनिश्चित/संभावित सिंचाई योग्य कमान क्षेत्र[3] के अन्तर्गत भूमि पर सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से मुख्यतः सिंचाई हेतु जल संसाधनों के प्रबंधन का कार्य जल संसाधन विभाग को सौंपा गया है।

सिंचाई परियोजनाओं को कृषि कमान क्षेत्र के आधार पर सामान्यतः वृहद्, मध्यम एवं लघु परियोजनाओं में वर्गीकृत किया गया है। विभिन्न दरों पर अनिवार्य मूल जल दर का

1 कृषि कमान क्षेत्र का अर्थ वह भूमि है जो किसी सिंचाई कार्य अथवा सिंचाई योग्य क्षेत्र के अधीन कृषि योग्य है।

2 सरकारी भूमि, जो नहर के दोनों किनारों पर अवस्थित है।

3 सुनिश्चित सिंचाई योग्य कमान क्षेत्र का अर्थ है, वह क्षेत्र जिसे पिछले पाँच वर्षों से लगातार सिंचाई हेतु जल प्राप्त हो रहा है, जबकि संभावित सिंचाई योग्य कमान क्षेत्र का अर्थ, वह क्षेत्र है जिसकी सिंचाई सुनिश्चित नहीं है बल्कि उसकी सिंचाई पानी की उपलब्धता पर निर्भर है।

आरोपण के उद्देश्य के लिए अलग–अलग वर्गीकरण, क्षेत्र के मुख्य फसल यथा धान (खरीफ) एवं गेहूँ (रबी) की वृद्धि के दौरान जल आपूर्ति की अवधि एवं सुनिश्चित गहराई के आधार पर किया गया है।

जल दर के निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण की समीक्षा से कई प्रणालीगत एवं अनुपालन त्रुटियों का पता चला, जिनका उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

### 6.2.2 संगठनात्मक ढाँचा

वर्ष 1975 से पूर्व, उप सचिव–सह–विशेष पदाधिकारी, जल दर के निर्धारण एवं संग्रहण तथा इसके नियंत्रण एवं समन्वयन के लिए उत्तरदायी थे। वर्ष 1975 में, राजस्व–सह–अपर सचिव के शीर्षस्थ एक निदेशालय एवं 17 राजस्व प्रमंडलों[4] को स्थापित किया गया था। विभाग को पुनः जून 2005 में पुनर्गठित किया गया और वर्तमान 17 राजस्व प्रमंडलों को प्रतिस्थापित कर दिया गया तथा इन प्रमंडलों के कार्यो को 17 सिंचाई प्रमंडलों[5] के साथ संविलयित कर दिया गया।

वर्तमान में जल संसाधन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रधान सचिव होते हैं जिनकी सहायता सरकार के स्तर पर एक अतिरिक्त सचिव, निदेशालय स्तर पर सिंचाई अनुश्रवण अंचल में एक अधीक्षण अभियंता एवं कमान क्षेत्रों में 10 मुख्य अभियंता करते हैं। प्रमंडलीय स्तर पर कार्यपालक अभियंता की सहायता सहायक अभियंता तथा कनीय अभियंता करते हैं।

### 6.2.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

समीक्षा, यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि क्या

- बिहार सिंचाई अधिनियम एवं इनके तहत् बनाये गये नियमों के प्रावधान पर्याप्त थे;
- बिहार सिंचाई अधिनियम एवं इनके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार जल दर उचित ढंग से निर्धारित, आरोपित एवं संग्रहित की गई थी तथा लेखा के विहित शीर्ष में जमा किया गया था;
- विभाग द्वारा वृहद्/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए सिंचाई क्षमता सृजित/वृद्धि की गई थी तथा इससे राजस्व का सृजन हुआ था; तथा
- विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त था तथा सरकारी राजस्व के रिसाव को रोकने हेतु प्रभावी था।

---

4 उप समाहर्त्ता, राजस्व प्रमण्डल; आरा, अररिया, औरंगाबाद, बेतिया, भागलपुर, बिहारशरीफ, बक्सर, गया, गोपालगंज, मधुबनी, मोहनियाँ, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियाँ, सहरसा एवं तारापुर।

5 सिंचाई प्रमण्डल, अररिया; सिंचाई प्रमण्डल, भागलपुर; सिंचाई प्रमण्डल, पूर्णियाँ; सिंचाई नहर प्रमण्डल, सहरसा; सिंचाई प्रमण्डल, तारापुर; गंडक नहर प्रमण्डल, गोपालगंज; सोन नहर प्रमण्डल, आरा; सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमण्डल, औरंगाबाद; सोन नहर प्रमण्डल, बक्सर; सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमण्डल, भभुआ; सोन नहर प्रमण्डल, पटना; तिरहुत नहर प्रमण्डल सं0–1, बेतिया; तिरहुत नहर प्रमण्डल सं0–1, मोतिहारी; जलपथ प्रण्डल, बिहारशरीफ; जलपथ प्रमण्डल, गया; जलपथ प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर तथा कोसी नहर प्रमण्डल, मधुबनी।

### 6.2.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

जनवरी एवं जून 2008 के बीच 17 में से छः सिंचाई प्रमंडलों[6] तथा निदेशक, अनुश्रवण कोषांग के कार्यालय के वर्ष 2002–03 से 2006–07 तक की अभिलेखों की समीक्षा की गई थी। प्रमंडलों का चयन प्रतिस्थापन सहित समग्र अनुपात प्रतिचयन विधि के माध्यम से सांख्यिकी प्रतिचयन पर आधारित था।

### 6.2.5 स्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा को आवश्यक सूचना एवं अभिलेखों को उपलब्ध कराने में जल संसाधन विभाग के सहयोग को स्वीकार करता है। समीक्षा के परिणामों को सरकार एवं विभाग को जुलाई 2008 में अग्रसारित किया गया और 26 सितम्बर 2008 को सम्पन्न लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक में इसपर विचार विमर्श किया गया था। सरकार की ओर से अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), जल संसाधन विभाग द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। सरकार के उत्तर को संबंधित कंडिकाओं में अनुकूलतः सम्मिलित कर लिया गया है।

## लेखापरीक्षा परिणाम

### 6.2.6 राजस्व की प्रवृत्ति

बिहार बजट प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों में केवल वर्ष के अंदर संभावित वसूली (माँग) की राशि को ही दर्शाया जाना चाहिए। बकाया एवं चालू माँग को अलग–अलग दिखलाया जाना चाहिए तथा यदि पूर्ण वसूली न हो सकने की संभावना हो तो उसका कारण दिया जाना चाहिए। राजस्व के उतार–चढ़ाव के मामले में अनुमान विगत तीन वर्षों के प्राप्तियों की तुलना पर आधारित होनी चाहिए।

वर्ष 2002–03 से 2006–07 तक की माँग, तत्संबंधी बजट अनुमान एवं विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के साथ–साथ वास्तविक प्राप्तियों की तुलनात्मक स्थिति निम्नवत थी :

(करोड़ रुपये में)

| वर्ष | माँग<br>बकाया<br>चालू<br>कुल | बजट अनुमान<br>वृहद<br>मध्यम<br>कुल | विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य | वास्तविक प्राप्ति<br>वृहद<br>मध्यम<br>कुल | कुल माँग के विरुद्ध बजट अनुमान की प्रतिशतता | वास्तविक प्राप्ति एवं बजट अनुमान के बीच विभिन्नता की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002–03 | 95.59<br>26.35<br>**121.94** | शून्य<br>29.87<br>**29.87** | 14 | शून्य<br>15.43<br>**15.43** | (–) 76 | (–) 48 |
| 2003–04 | 111.43<br>29.23<br>**140.66** | शून्य<br>30.00<br>**30.00** | 30 | शून्य<br>26.22<br>**26.22** | (–) 79 | (–) 13 |

6 सोन नहर प्रमण्डल, आरा; सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमण्डल, औरंगाबाद; सोन नहर प्रमण्डल, बक्सर; सोन उच्चस्तरीय नहर प्रमण्डल, भभुआ; तिरहुत नहर प्रमण्डल सं0–1, बेतिया तथा तिरहुत नहर प्रमण्डल सं0–1, मोतिहारी।

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004–05 | 129.89<br>25.08<br>**154.97** | शून्य<br>30.00<br>**30.00** | 25 | शून्य<br>20.82<br>**20.82** | (–) 81 | (–) 31 |
| 2005–06 | 147.45<br>26.24<br>**173.69** | 15.00<br>1.50<br>**16.50** | 16.50 | 1.63<br>10.82<br>**12.45** | (–) 91 | (–) 75 |
| 2006–07 | 165.66<br>19.44<br>**185.10** | 25.00<br>1.50<br>**26.50** | 26.50 | 1.95<br>10.95<br>**12.90** | (–) 86 | (–) 49 |

इस प्रकार, वर्ष के दौरान विभाग के बकाया एवं चालू माँग को ध्यान में रखकर बजट अनुमान तैयार नहीं किया गया था। माँग जबकि बढ़ रही थी, बजट अनुमान (–76) तथा (–91) प्रतिशत के भारी अंतर के साथ निर्धारित किया गया था। यह प्रकटित करता है कि बजट प्रक्रिया के अनुसार बजट अनुमान नहीं बनाया गया था तथा इस प्रकार अवास्तविक था। इसके अलावे, यह भी देखा गया कि इन वर्षों के लिए यद्यपि बजट अनुमान कुल माँग से काफी कम रखा गया था, फिर भी वर्ष 2002–03 एवं 2004–05 के दौरान लक्ष्य तत्संबंधी बजट अनुमान से भी कम, यथा 29.87 करोड़ रुपये एवं 30 करोड़ रुपये के विरुद्ध क्रमशः 14 करोड़ रुपये एवं 25 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था।

पुनः हालाँकि, वर्ष के दौरान विभाग का बजट अनुमान वास्तविक माँग से बहुत नीचे निर्धारित किया गया था फिर भी बजट अनुमान के साथ वास्तविक प्राप्तियों की तुलना करने पर यह देखा गया कि इसमें काफी भिन्नता थी, जो (–)13 प्रतिशत से (–)75 प्रतिशत के बीच थी।

इसे इंगित किये जाने के बाद सरकार ने सितम्बर 2008 में कहा कि बजट अनुमान पिछले बजट के आधार पर बनाया जाता है। कभी–कभी वित्त विभाग के निदेशानुसार बजट को पुनरीक्षित किया जाता है तथा इस कारण विभिन्न वर्षों के बजट अनुमानों में भिन्नता है। इसी प्रकार, प्रस्तावित बजट अनुमानों की समीक्षा के उपरान्त वित्त विभाग द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। हालाँकि, उन्होंने बकाया एवं चालू माँग को ध्यान में रखते हुए बजट अनुमानों को निर्धारित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वर्ष 2002–03 एवं 2004–05 के बीच लक्ष्य का निर्धारण बजट अनुमान से नीचे किये जाने के कारणों के प्रति उत्तर नहीं दिया गया था।

## प्रणालीगत त्रुटियाँ

### 6.2.7 सिंचाई क्षमता एवं सिंचाई का लक्ष्य

#### 6.2.7.1 सिंचाई क्षमता का कम उपयोग

जल ही सिंचाई क्षमता का आधार है, हालाँकि, जल की उपलब्धता सीमित है। जल दर प्राप्ति का निर्धारण, सिंचाई हेतु जल की उपयोगिता पर आधारित है। जल के परिगमन हानि एवं सिंचाई हेतु जल के अवशेष मात्रा सहित विस्तृत जल लेखा, प्रमंडल स्तर पर तैयार करना आवश्यक है। लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकटित हुआ कि इस समीक्षा हेतु चयनित किसी भी सिंचाई प्रमंडल ने जल लेखा तैयार नहीं किया था। सिंचाई हेतु उपलब्ध जल संसाधनों की विस्तृत विवरणी को दर्शाने वाला रिपोर्ट/रिटर्न, जिसे प्रमंडलों द्वारा उच्चाधिकारियों को भेजा जाय, भी निर्धारित नहीं किया गया था। इसके

कारण, निदेशालय/सरकार सिंचाई हेतु जल संसाधन के वास्तविक उपलब्धता से अनभिज्ञ था।

संवीक्षा में पुनः पाया गया कि यद्यपि निदेशालय/सरकार के पास जल संसाधन की उपलब्धता का विस्तृत विवरण नहीं था, फिर भी इस समीक्षा में लिये गये सभी वर्षों के दौरान उपलब्ध सिंचाई क्षमता के ऊर्ध्वगामी रूप से संशोधित किया गया था। नीचे दी गई तालिका, विगत पाँच वर्षों के दौरान सिंचाई हेतु कृषि योग्य कमान क्षेत्र, निर्धारित उपलब्ध सिंचाई क्षमता और वास्तव में उपयोग की गई क्षमता के आँकड़ों को दर्शाता है (विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन पर आधारित) :

(आँकड़े हजार हेक्टेयर में)

| वर्ष | कृषि योग्य कमान क्षेत्र | उपलब्ध सिंचाई क्षमता | वर्ष 2002–03 के संदर्भ में क्षमता में वृद्धि की प्रतिशतता | वास्तविक सिंचित क्षेत्र | क्षमता जिसका उपयोग नहीं किया गया | सिंचाई क्षमता की उपयोगिता की प्रतिशतता (+) अधिकता (–) कमी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002–03 | 7,957.4 | 2,509 | — | 1,594.12 | 917.88 | (–) 64 |
| 2003–04 | 7,957.4 | 2,574 | 2.59 | 1,677.06 | 896.94 | (–) 65 |
| 2004–05 | 7,957.4 | 2,619 | 4.38 | 1,528.45 | 1,090.55 | (–) 58 |
| 2005–06 | 7,957.4 | 2,636 | 5.06 | 1,665.09 | 970.91 | (–) 63 |
| 2006–07 | 7,957.4 | 2,832 | 12.87 | 1,469.89 | 1,362.11 | (–) 52 |
| कुल | | **13,170** | | **7,934.61** | **5,238.39** | |

इस प्रकार, वर्ष 2002–03 से 2006–07 के दौरान 13,170 हजार हेक्टेयर उपलब्ध सिंचाई क्षमता में से केवल 7,934.61 हजार हेक्टेयर क्षमता का ही उपयोग किया गया था एवं शेष 5,238.39 हजार हेक्टेयर का उपयोग नहीं किया गया। उपलब्ध सिंचाई क्षमता एवं वास्तविक सिंचित क्षेत्र के बीच भारी भिन्नता इंगित करता है कि उपलब्ध सिंचाई क्षमता का निर्धारण, उपलब्ध जल संसाधनों को ध्यान में रखे बगैर ही काल्पनिक रूप से किया गया था।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को सितम्बर 2008 में स्वीकार किया एवं सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता के स्तर पर जल लेखा का संधारण करने की सहमति दी।

### 6.2.7.2 सिंचाई के लक्ष्य की प्राप्ति में कमी

निदेशालय स्तर पर अधीक्षण अभियंता, अनुश्रवण कोषांग के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि यद्यपि वर्ष 2002–03 से 2006–07 के लिए सिंचाई का लक्ष्य, उपलब्ध कुल सिंचाई क्षमता से काफी कम निर्धारित किया गया था फिर भी लक्ष्य की प्राप्ति में कमी पायी गयी, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

(आँकड़े हजार हेक्टेयर में)

| वर्ष | उपलब्ध सिंचाई क्षमता | फसलवार लक्ष्य एवं सिंचाई | | | | कुल लक्ष्य एवं सिंचाई | | | कमी की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | खरीफ | | रबी | | | | | |
| | | लक्ष्य | सिंचाई | लक्ष्य | सिंचाई | लक्ष्य | सिंचाई | अंतर | |
| 2002–03 | 2,509 | 1,653.48 | 1,188.09 | 463.37 | 390.87 | 2,116.85 | 1,578.96 | 537.89 | (–) 25 |
| 2003–04 | 2,574 | 1,653.48 | 1,250.56 | 597.64 | 414.58 | 2,251.12 | 1,665.14 | 585.98 | (–) 26 |
| 2004–05 | 2,619 | 1,654.01 | 1,161.58 | 448.13 | 355.08 | 2,102.14 | 1,516.66 | 585.48 | (–) 28 |
| 2005–06 | 2,636 | 1,642.77 | 1,253.46 | 512.95 | 399.99 | 2,155.72 | 1,653.45 | 502.27 | (–) 23 |
| 2006–07 | 2,832 | 1,389.00 | 1,222.32 | 477.62 | 477.62 | 1,866.62 | 1,699.94 | 166.68 | (–) 9 |
| कुल | | **7,992.74** | **6,076.01** | **2,499.71** | **2,038.14** | **10,492.45** | **8,114.15** | **2,378.30** | |

इस प्रकार, 2,378.30 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई नहीं किये जाने के कारण, न केवल कृषकों को सिंचाई सुविधा से वंचित होना पड़ा बल्कि सरकार को भी 50.21 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

इसे इंगित किये जाने के बाद सरकार ने इस कमी को स्वीकार किया और अगस्त 2008 में कहा कि नहरों की खराब स्थिति के कारण लक्ष्य की प्राप्ति में कमी हुई तथा जीर्णोद्धार का कार्य स्तर–दर–स्तर किया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विस्तृत विश्लेषण के बाद ही सिंचाई के लक्ष्य का निर्धारण किया गया था, जो उपलब्ध सिंचाई क्षमता से काफी कम था।

प्रमण्डलों द्वारा जल लेखा तैयार करना अनिवार्य करने पर सरकार विचार कर सकती है। प्रमण्डलों द्वारा निदेशालय/सरकार को भेजने हेतु रिपोर्ट/रिटर्न, जिसमें सिंचाई हेतु उपलब्ध जल एवं इन आँकड़ों पर आधारित उपलब्ध सिंचाई क्षमता तथा लक्ष्य के निर्धारण को दर्शाया गया हो, विहित करने पर भी विचार किया जा सकता है।

### 6.2.8 सहभागिता सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) में सृजित सिंचाई क्षमता के 50 प्रतिशत भाग को सहभागिता सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम के तहत् लिये जाने का लक्ष्य था। तद्नुसार, सरकार की ओर से जल संसाधन विभाग के संबंधित प्रमण्डलों के कार्यपालक अभियंता को एक निश्चित अवधि के लिए नहर प्रणाली का प्रबंधन (संचालन, जल दर का निर्धारण एवं वसूली), ग्राम स्तरीय समिति की सहायता से अधिकृत प्रणाली नहर स्तरीय समिति के रूप में कार्य करने वाले वैसे जल उपभोक्ता संघों को हस्तांतरित करना था, जो विहित प्रपत्र में इस हेतु आवेदन करेंगे तथा जिन्हें जल संसाधन विभाग इसके लिए सक्षम समझेगी एवं अनुमति प्रदान करेगी। बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं निस्सरण नियमावली के अनुसार एक मेमोरेन्डम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक एकरारनामा, संबंधित प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता (बिहार के राज्यपाल के प्रतिनिधि) एवं संघ (संबंधित क्षेत्र के कृषक/जल उपभोक्ता के प्रतिनिधि) के बीच, किया जाएगा।

नियमावली यह भी प्रावधित करता है कि नहर प्रणाली के हस्तांतरण के ठीक पहले तीन लगातार खरीफ एवं रबी सत्र के औसत सिंचाई क्षेत्र के आधार पर प्रथम पाँच वर्षों के लिए जल दर का निर्धारण किया जाएगा तथा मेमोरेन्डम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में सहमत सरकारी अंश राशि (30 प्रतिशत) जल उपभोक्ता संघ जमा करेंगे तथा शेष राशि (70 प्रतिशत) नहर के रख–रखाव, संचालन एवं इसके विकास पर खर्च करने के लिए अपने पास रखेंगे। साथ ही नियम 3.6.9 (बी) के अनुसार संघ द्वारा जल दर का उपरोक्त हिस्सा, प्रत्येक वर्ष (खरीफ के लिए 31 मार्च से पहले एवं रबी के लिए 30 जून से पहले) सरकारी खाते में विहित प्रक्रिया के अनुसार जमा करेंगे।

पुनः यदि जल उपभोक्ता संघ द्वारा सरकार को भुगतेय जल दर को विनिर्दिष्ट समय के भीतर जमा नहीं किया जाता है तब अगले सत्र में जल की आपूर्ति बंद कर दी जायेगी और नियमानुसार बकाये की वसूली हेतु कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकटित हुआ कि जल उपभोक्ता संघ से प्राप्त आवेदनों की स्थिति एवं उसके निष्पादन से संबंधित कोई रिपोर्ट/रिटर्न, जिसे प्रमण्डलों द्वारा उच्च प्राधिकारियों को भेजा जाये, विहित नहीं था। इसके कारण जल उपभोक्ता संघ द्वारा दिये गये आवेदनों के निष्पादन तथा निष्पादित मामलों से वसूल की गई राजस्व की स्थिति से निदेशालय/सरकार अनभिज्ञ था।

### 6.2.8.1 लक्ष्य की प्राप्ति में कमी

निदेशालय के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि कुल 79,57,400 हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में से विभिन्न वितरणियों के अधीन पड़ने वाले केवल 1,39,507 हेक्टेयर भूमि, किसानों द्वारा बनाये गये 45 जल उपभोक्ता संघों को वर्ष 2002–03 से 2006–07 की अवधि में तथा 6,600 हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र को एक जल उपभोक्ता संघ को वर्ष 1996–97 में हस्तांतरित किया गया था। इस प्रकार, कुल मिलाकर कृषि योग्य कमान क्षेत्र का 1,46,107 हेक्टेयर भूमि, जो 50 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध कुल कृषि योग्य कमान क्षेत्र का 1.84 प्रतिशत है, शामिल किया जा सका। लेखापरीक्षा द्वारा माँगे जाने के बाद भी वितरणीवार एवं कृषक समितिवार सृजित सिंचाई क्षमता की विवरणी उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। चूँकि कोई रिपोर्ट/रिटर्न इस संबंध में प्रमण्डलों द्वारा उच्च प्राधिकारियों को भेजने हेतु विहित नहीं था, अतः जल उपभोक्ता संघों को भूमि के हस्तांतरण की कम प्रतिशतता से निदेशालय और सरकार अनभिज्ञ थे। इन कारणों से कृषि योग्य कमान क्षेत्र का 50 प्रतिशत सहभागिता सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल नहीं किया जा सका और इसका मूल उद्देश्य असफल रहा।

इसे इंगित किये जाने के बाद सरकार ने अगस्त 2008 में कहा कि संघ को भूमि का हस्तांतरण करने में मुख्य कठिनाई वितरणियों की मरम्मती कार्य का पूरा नहीं होना था, जिसे विभिन्न आधुनिकीकरण योजनाओं के तहत् पूरा कर लिया जाएगा।

### 6.2.8.2 अनुबंध के शर्तों का पालन नहीं किया जाना

तीन सिंचाई प्रमण्डलों[7] के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि 14 नहर प्रणाली के प्रबंधन को वर्ष 2005–06 के दौरान (रबी फसल सत्र से प्रभावी) 14 जल उपभोक्ता संघों को हस्तांतरित कर दिया गया था। संघों को खरीफ एवं रबी से संबंधित कुल सिंचित क्षेत्र के राजस्व का 30 प्रतिशत के समतुल्य अंश का भुगतान करने का दायित्व था तथा तदनुरूप वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 के लिए 57 लाख रुपये के अंश राशि की गणना की गई थी जिसके विरुद्ध इन संघों द्वारा मात्र नौ लाख रुपये का ही भुगतान किया गया था। नियमों एवं अनुबंध के शर्तों के अनुसार 48 लाख रुपये की शेष अंश राशि की वसूली हेतु न तो कोई कार्रवाई की गई थी और न ही बकायेदार जल उपभोक्ता संघों को जल की आपूर्ति रोकी गई थी।

इसे इंगित किये जाने के बाद सरकार ने अगस्त 2008 में कहा कि दोषी कृषकों/संघों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को अनुदेशित किया गया है। शेष राशि की वसूली का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (अक्तूबर 2008)।

### 6.2.9 राजस्व वसूली प्रक्रिया

बिहार वित्त नियमावली के अन्तर्गत नियंत्री पदाधिकारी का यह कर्त्तव्य है कि सरकारी बकाया राशि का तुरन्त एवं सही–सही निर्धारण, संग्रहण एवं कोषागार में प्रेषण को सुनिश्चित करें।

बिहार सिंचाई अधिनियम के अधीन बनाये गये बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं निस्सरन नियमावली के अनुसार बकाये जल दर को माँग की तरह माना जायेगा और सरकार को भुगतेय सभी जल दर के बकाये की वसूली नियमानुसार की जायेगी। पुनः लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 की धारा 3(6) के अधीन अनुसूची–I के अनुसार सरकार को देय राशि का भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर किया जाना है। चूक के मामले में

[7] आरा, भभुआ और बक्सर।

माँग के बकाए की तरह इसकी वसूल की जानी है और तद्नुरूप देय राशि, जिसका भुगतान नहीं किया गया था एवं बकाया घोषित कर दिया गया था, को लोक माँग वसूली अधिनियम की धारा 4 के शर्तों के अनुसार माँग पदाधिकारी द्वारा नीलामवाद पदाधिकारी के पास नीलामवाद दायर कर वसूली करनी है। लोक माँग वसूली अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व पर्षद के निदेशानुसार माँग पदाधिकारी और नीलामवाद पदाधिकारी, नीलामवाद मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेवार हैं।

नीलामवाद को व्यवस्थित रूप से लागू करने, आपत्तियों का त्वरित निष्पादन करने एवं शीघ्र कार्यान्वयन हेतु माँग पदाधिकारी प्राथमिक रूप से जिम्मेवार होंगे। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना है कि कार्यान्वयन कार्यवाही संतोषजनक रूप से प्रगति पर है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकटित हुआ कि समीक्षा हेतु चयनित किसी भी प्रमण्डल में राजस्व के बकायों की वसूली की वर्षवार स्थिति संधारित नहीं की जा रही थी। यद्यपि प्रमण्डलों द्वारा निदेशालय को भेजने हेतु रिपोर्ट/रिटर्न निर्धारित किया गया था, लेकिन यह देखा गया था कि प्रमण्डलों ने वसूल की गई राशि का वर्षवार विवरणी को भेजने के बदले एकीकृत आँकड़ा प्रतिवेदित किया था। निदेशालय में प्रमण्डलों द्वारा भेजे गए रिपोर्ट/रिटर्न का अनुश्रवण भी नहीं किया जा रहा था। इन त्रुटियों के कारण राजस्व के बकायों एवं उनकी वसूली की वर्षवार स्थिति से निदेशालय/सरकार अनभिज्ञ था एवं इस प्रकार बकायों के त्वरित वसूली हेतु प्रमण्डलों के साथ मामले का अनुपालन नहीं किया जा सका।

### 6.2.9.1 बकाया राजस्व की स्थिति

विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणों के अनुसार विगत पाँच वर्षों के राजस्व के बकायों, चालू माँग एवं उनकी वसूली की कुल स्थिति निम्नवत थी:

(करोड़ रुपये में)

| वर्ष | माँग | | | संग्रहण | | | शेष देय राशि | | | प्रतिशतता | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | बकाया का प्रारम्भिक अवशेष | चालू | कुल | बकाया | चालू | कुल | बकाया | चालू | कुल | बकाया 5 से 2 | चालू 6 से 3 | कुल 7 से 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2002–03 | 95.59 | 26.35 | 121.94 | 5.60 | 4.91 | 10.51 | 89.99 | 21.44 | 111.43 | 5.85 | 18.63 | 11.48 |
| 2003–04 | 111.43 | 29.23 | 140.66 | 4.92 | 5.85 | 10.77 | 106.51 | 23.38 | 129.89 | 4.46 | 20.01 | 21.32 |
| 2004–05 | 129.89 | 25.08 | 154.97 | 3.83 | 3.69 | 7.52 | 126.06 | 21.39 | 147.45 | 2.95 | 14.71 | 16.13 |
| 2005–06 | 147.45 | 26.24 | 173.69 | 6.90 | 1.13 | 8.03 | 140.55 | 25.11 | 165.66 | 4.68 | 4.30 | 9.50 |
| 2006–07 | 165.66 | 19.44 | 185.10 | 6.73 | 3.11 | 9.84 | 158.93 | 16.33 | 175.26 | 4.06 | 16.00 | 14.32 |

इस प्रकार, कुल बकाया राशि 175.26 करोड़ रुपये में से केवल 1.04 करोड़ रुपया ही नीलामवाद कार्यवाही के अन्तर्गत शामिल था। नीलामवाद का आँकड़ा मार्च 2005 माह से संबंधित था और तब से नीलामवाद का लेखा न तो निदेशालय स्तर पर और न ही सरकार के स्तर पर संधारित किया गया था।

पुनः राजस्व का कुल संग्रहण काफी कम था जो बकाया माँग के विरुद्ध 2.95 प्रतिशत तथा 5.85 प्रतिशत के बीच और चालू माँग के विरुद्ध 4.30 प्रतिशत तथा 20.01 प्रतिशत के बीच था। इस प्रकार, निदेशालय/सरकार के अनुश्रवण एवं अनुपालन में कमी के कारण राजस्व की भारी राशि समीक्षा की अवधि के दौरान बकाया के रूप में पड़ा रहा।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने मई 2008 में कहा कि बकायों का शेष रहने का मुख्य कारण कर्मचारियों की कमी, कृषकों में समय पर राजस्व भुगतान करने की

जागरूकता का अभाव और वर्ष 2005 में उप समाहर्त्ता के कार्यालय के विघटन के बाद दोषी कृषकों के विरुद्ध नीलामवाद दायर करने की शक्ति विभाग के पास न होना था। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि प्रमण्डलों को संबंधित जिला के नीलामवाद पदाधिकारी के समक्ष अधियाचना दायर कर नीलामवाद कार्यवाही प्रारम्भ करने से लोक माँग वसूली अधिनियम वंचित नहीं किया था।

छः सिंचाई प्रमण्डलों[8] के अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि वर्ष 2002–03 से 2006–07 के दौरान कुल माँग के विरुद्ध राजस्व संग्रहण की प्रतिशतता 1.27 और 14.53 के बीच थी, जो दर्शाता था कि कुल माँग का 85 से 99 प्रतिशत इन प्रमण्डलों में अवसूलित पड़ा रह गया जिसके कारण राजस्व अवरुद्ध रहा। इसी प्रकार, वर्ष 2002–03 से 2006–07 के दौरान चालू माँग के विरुद्ध वसूली 0.81 एवं 23.19 प्रतिशत के बीच थी (औरंगाबाद जिले में वर्ष 2006–07 के दौरान 40 प्रतिशत को छोड़कर)। यह दर्शाता है कि 77 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक की चालू माँग भी अवसूलित रह गयी थी, जिसके कारण बकाये का संचयन और अन्ततः सरकार का 58.82 करोड़ रुपये का राजस्व अवरुद्ध रहा।

### 6.2.9.2 नीलामवाद दायर नहीं किये जाने के कारण राजस्व की हानि

लोक माँग वसूली अधिनियम के अन्तर्गत, नीलामवाद से संबंधित लोक माँग पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज, नीलामवाद पर हस्ताक्षर किये जाने की तिथि से वसूली की तिथि तक भारित किया जायेगा। लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकटित हुआ कि भू–राजस्व के बकायों की तरह बकाये की वसूली हेतु मामले को नीलामवाद पदाधिकारी के पास भेजने के लिए कोई समय सीमा विहित नहीं किया गया था।

छः सिंचाई प्रमण्डलों[9] के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2002–03 से 2006–07 से संबंधित 65.09 करोड़ रुपये के चालू माँग के विरुद्ध 58.82 करोड़ रुपये, यद्यपि राजस्व के बकाये राशि के रूप में पड़ी थी, फिर भी समीक्षा के दौरान एक भी मामले में लोक माँग वसूली अधिनियम के अन्तर्गत कोई नीलामवाद प्रक्रिया शुरू नहीं की गई थी। इस प्रकार, एक से चार वर्षों के बीत जाने के बाद भी नीलामवाद दायर नहीं करने के कारण सरकार ब्याज का 13.86 करोड़ रुपये के राजस्व से वंचित रह गई।

इसे इंगित किए जाने के बाद सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा अगस्त 2008 में कहा कि जिला पदाधिकारियों से संबंधित कार्यपालक अभियन्ताओं को नीलामवाद शक्ति प्रत्यायोजित करने का अनुरोध किया गया है। हालाँकि, संबंधित जिलों के नीलामवाद पदाधिकारियों के पास कार्यपालक अभियंताओं द्वारा नीलामवाद दायर करने में विफलता के संबंध में उत्तर मौन था।

निदेशालय द्वारा बकायों की समय पर वसूली हेतु राजस्व वसूली प्रणाली के प्रभावी अनुश्रवण को सरकार सुनिश्चित कर सकती है। सरकार बकाये राशि पर नीलामवाद दायर करने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करने पर भी विचार कर सकती है।

### 6.2.10 चाट भूमि की बन्दोबस्ती से राजस्व का संग्रहण

बिहार सिंचाई मैनुअल तथा दिसम्बर 1997 में विभाग द्वारा निर्गत दिशानिर्देश के तहत् चाट भूमि को पट्टे पर प्रत्येक वर्ष जून से अगले वर्ष के मार्च तक के नौ महीने की अवधि के लिए कृषि हेतु भूमिहीन अनुसूचित जाति एवं अन्य गरीब वर्ग के लोगों को

[8] आरा, औरंगाबाद, बेतिया, भभुआ, बक्सर और मोतिहारी।
[9] आरा, औरंगाबाद, बेतिया, भभुआ, बक्सर और मोतिहारी।

प्राथमिकता के आधार पर बन्दोबस्त करनी है। खरीफ एवं रबी हेतु जल दर की राशि के साथ–साथ चाट भूमि की बन्दोबस्त राशि, पट्टा दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये जाने से पहले अग्रिम में ही संग्रहित कर ली जानी चाहिए।

### 6.2.10.1 चाट भूमि के अभिलेखों का संधारण नहीं किया जाना

अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि समीक्षा हेतु चयनित किसी भी छः प्रमण्डलों में चाट भूमि की स्थिति, जैसे कि प्रमण्डल में कुल चाट भूमि, अन्य प्रमण्डल/विभाग के साथ–साथ नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण के तहत् हस्तांतरित चाट भूमि, अतिक्रमण के अन्तर्गत चाट भूमि, बन्दोबस्त नहीं होने योग्य चाट भूमि, कुल बन्दोबस्त चाट भूमि, दस्तावेज हस्ताक्षरित किये जाने के समय वसूल की गई राशि तथा वसूल किये जाने वाले शेष राशि, संधारित नहीं की गई थी। प्रमंडलों द्वारा निदेशालय को चाट भूमि के इन विवरणों से समाहित किसी प्रकार का आवधिक रिपोर्ट/रिटर्न भेजने की कोई प्रणाली भी नहीं थी, जिसने अनुश्रवण प्रणाली को कमजोर बनाया। प्रमंडलों द्वारा मूल अभिलेखों का संधारण नहीं किये जाने तथा निदेशालय द्वारा अनुश्रवण में कमी के कारण यद्यपि उपरोक्त आँकड़ों/सूचनाओं की माँग सरकार द्वारा फरवरी 2000 तथा अप्रैल 2008 के बीच की गई थी, सात वर्षों से अधिक बीत जाने के बाद भी प्रमण्डलों/निदेशालय द्वारा भेजा नहीं जा सका था।

### 6.2.10.2 बन्दोबस्त राशि का अग्रिम में जमा/संग्रहण नहीं किये जाने के कारण राजस्व की हानि

छः में से चार सिंचाई प्रमण्डलों[10] के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि 17,021.36 एकड़ चाट भूमि को वर्ष 2002–03 से 2006–07 के दौरान बन्दोबस्त किया गया था तथा वर्ष 2001–02 के प्रभाव से निर्धारित दर पर की गई गणना के अनुसार बन्दोबस्त राशि 1.98 करोड़ रुपये थी। इसमें से मात्र 76 लाख रुपये ही पट्टा दस्तावेज हस्ताक्षर किये जाने के समय संग्रहित की जा सकी थी तथा शेष 1.22 करोड़ रुपये अवसूलित रह गया था। चूँकि वहाँ किसी प्रकार की अनुश्रवण प्रणाली विद्यमान नहीं थी, निदेशालय/सरकार बन्दोबस्त राशि का अग्रिम में जमा किये बगैर चाट भूमि की बन्दोबस्ती किये जाने से अनभिज्ञ थे, जिससे 1.22 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

इसे इंगित किये जाने के बाद सरकार ने अगस्त 2008 में कहा कि बकायेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी। वसूली पर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2008)।

सरकार को चाहिए कि चाट भूमि से संबंधित मूल अभिलेख संधारित करना, प्रमण्डलों के लिए अनिवार्य बनाये। उन्हें अनुश्रवण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रमण्डलों द्वारा निदेशालय को प्रेषित करने हेतु उक्त विवरणों को दर्शाते हुए रिपोर्ट/रिटर्न भी निर्धारित करनी चाहिए।

### 6.2.11 माँग का सृजन

बिहार सिंचाई अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सिंचाई कार्यों के लिए जल आपूरित किये गये लाभार्थियों से जल दर की वसूली हेतु खरीफ के लिए 30 नवम्बर और रबी के लिए 30 अप्रैल तक, जल संसाधन विभाग द्वारा सिंचित भूमि की विवरणी (सूदकार), कृषकवार मापी (खेसरा) तथा माँग विवरणी (खतियानी) तैयार किया जाना है। इन विवरणियों को सहायक अभियंता द्वारा तैयार कर जल दर की वसूली हेतु कार्यपालक अभियंता को भेजा जाना है। साथ–ही–साथ एक पर्चा[11], जिसमें

[10] आरा, औरंगाबाद, भभुआ एवं बक्सर।

[11] संबंधित कृषकों की माँग विवरणी।

निर्धारित जल दर के भुगतान की अंतिम तिथि और स्थान निर्दिष्ट हो, कृषकों को निर्गत किया जाना है और निर्धारित पंजी पर उनका हस्ताक्षर प्राप्त करना है।

पुनः, सुनिश्चित सिंचाई योग्य भूमि के लिए अमीन[12] की सहायता से जिलादार / प्रभारी कनीय अभियंता द्वारा एक स्थाई खतियान तैयार किया जायेगा तथा उसके आधार पर माँग का सृजन एवं जल दर की वसूली करनी है।

#### 6.2.11.1 सुनिश्चित सिंचाई योग्य भूमि के लिए स्थायी खतियान तैयार नहीं किया जाना

चार सिंचाई प्रमण्डलों[13] के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2002–03 से 2006–07 के दौरान प्रत्येक खरीफ और रबी फसलों के 41,65,820 एकड़ सुनिश्चित सिंचाई भूमि में से खरीफ का केवल 36,04,933 एकड़ एवं रबी का 27,30,437 एकड़ भूमि का ही खतियान तैयार किया गया था। अतः वर्ष 2002–03 से 2006–07 के दौरान खरीफ का 5,60,887 एकड़ और रबी का 14,35,383 एकड़ सिंचित भूमि का खतियान मार्च 2008 तक तैयार नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप खरीफ के लिए 4.94 करोड़ रुपये तथा रबी के लिए 10.77 करोड़ रुपये की माँग का सृजन तथा जल दर की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किये जाने के बाद सरकार ने स्थायी खतियान बनाने हेतु दिशानिर्देश निर्गत करने पर अपनी सहमति दी (सितम्बर 2008)।

#### 6.2.11.2 संभावित सिंचाई योग्य भूमि के लिए खतियान तैयार नहीं किया जाना

दो सिंचाई प्रमण्डलों[14] के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि खरीफ का 1,57,034 हेक्टेयर और रबी का 80,570 हेक्टेयर संभावित सिंचाई योग्य भूमि को वर्ष 2002–03 से 2006–07 की अवधि में सिंचित की गई थी जिसके विरुद्ध खरीफ का 1,27,450 हेक्टेयर और रबी का 69,540 हेक्टेयर भूमि का ही खतियान तैयार किया गया था। इस प्रकार, वर्ष 2002–03 से 2006–07 के दौरान सिंचित की गई खरीफ का 29,584 हेक्टेयर और रबी का 11,030 हेक्टेयर भूमि का खतियान तैयार नहीं किया गया था। यह भी देखा गया कि पर्चा, जिसे सिंचाई के एक माह के अन्दर निर्गत किया जाना था, अभिलेख पर उपलब्ध नहीं था। इसके परिणामस्वरूप 84.74 लाख रुपये की माँग का सृजन तथा जल दर की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किये जाने के बाद सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और खतियान तैयार करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश निर्गत करने पर अपनी सहमति दी (सितम्बर 2008)।

#### 6.2.11.3 माँग का कम सृजन

दो सिंचाई प्रमण्डलों[15] के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2002–03 से 2006–07 की अवधि से संबंधित 18.69 करोड़ रुपये का खतियान हालाँकि तैयार कर लिया गया था, किन्तु जल दर की वसूली हेतु माँग मात्र 14.34 करोड़ रुपये के लिए ही सृजित की गई थी। इसके फलस्वरूप 4.35 करोड़ रुपये की माँग का कम सृजन हुआ तथा जल दर की वसूली नहीं हुई।

12 एक शिक्षित व्यक्ति जो भूमि के क्षेत्रफल का मापी करता है।
13 आरा, औरंगाबाद, भभुआ और बक्सर।
14 बेतिया और मोतिहारी।
15 बक्सर और मोतिहारी।

इसे इंगित किये जाने के बाद सरकार ने कहा (सितम्बर 2008) कि शेष राशि की वसूली हेतु माँग के सृजन के लिए दिशानिर्देश निर्गत किया जा चुका है। वसूली पर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2008)।

सरकार को चाहिए कि सूदकार, खेसरा तथा खतियान तैयार करना, बकायों के शीघ्र वसूली हेतु माँग सृजित करना एवं सरकारी खाते में प्रेषित करना, सिंचाई प्रमण्डलों के लिए अनिवार्य बनाये। इसके साथ-साथ निदेशालय को भेजे जाने के लिए सूदकार, खेसरा तथा खतियान को तैयार करने की स्थिति तथा राजस्व की वसूली दर्शाने वाला रिपोर्ट/रिटर्न विहित कर अनुश्रवण प्रणाली को भी सुदृढ़ कर सकती है।

### 6.2.12 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक अनिवार्य अंग है, जो संगठन को इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि विहित प्रणालियाँ अच्छी तरह से कार्यशील हैं। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की आंतरिक लेखापरीक्षा वर्ष 1953 में वित्त विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीयकृत था। पृच्छा किये जाने के बाद ज्ञात हुआ कि विभागों का आंतरिक लेखापरीक्षा अधीनस्थ कार्यालयों के प्रशासनिक विभाग से प्राप्त अधियाचना के आधार पर किया जा रहा था। सिंचाई विभाग (जल संसाधन विभाग) के अधीन राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के संबंध में अधीक्षण अभियंता सिंचाई अनुश्रवण अंचल (निदेशालय नहर कार्यालय) द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि वर्ष 2002-03 से 2006-07 की अवधि के दौरान कुछ सिंचाई प्रमण्डलों की लेखापरीखा वित्त विभाग (आंतरिक लेखापरीक्षक) द्वारा किया गया है।

अंकेक्षण हेतु कार्यालयों की संख्या, वास्तविक अंकेक्षित कार्यालयों की संख्या एवं आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति, निर्गत कंडिकाएँ तथा उनके निष्पादन से संबंधित विवरणी, अनुरोध किए जाने के बावजूद सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था (जून 2008)। विभाग समीक्षा के वर्षों की अवधि में भेजी गई अधियाचना की संख्या भी बताने की स्थिति में नहीं था।

इस प्रकार, आंतरिक लेखापरीक्षा, जो किसी संगठन के प्रबंधन के पास उसके दक्षतापूर्ण क्रियाकलाप को सुनिश्चित करने हेतु एक महत्वपूर्ण साधन है, अप्रभावी एवं अपरिचालित रह गया।

सरकार लेखापरीक्षा प्रभाग को अधिनियम एवं नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवधिक जाँच करने को अनिवार्य बनाने के लिए शीघ्र कदम उठा सकती है, जिससे कि संसाधनों का ठीक तरह से प्रबंधन हो और राजस्व की अधिकतम वसूली हो।

### अनुपालन त्रुटियाँ

### 6.2.13 मुख्य अभियंता द्वारा अनुश्रवण नहीं किया जाना

जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, मई 2005 में निर्गत एक संकल्प के माध्यम से यह निर्णय लिया कि राजस्व निदेशालय को जून 2005 के प्रभाव से विघटित कर दिया जाये और वर्तमान 17 राजस्व प्रमण्डलों को उनके सम्पत्तियों एवं दायित्वों, कर्मियों के साथ-साथ माँग, संग्रहण एवं संबंधित कोषागार में प्रेषण का कार्य 10 मुख्य अभियंताओं के अधीनस्थ उतने ही संख्या के सिंचाई प्रमण्डलों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाये।

दो मुख्य अभियंता (औरंगाबाद और वाल्मिकीनगर) के क्षेत्राधिकार के अधीन तीन सिंचाई प्रमण्डलों[16] के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया कि पुराने राजस्व प्रमण्डलों के कर्मियों एवं उनके कार्यों, जैसे सूदकार, खेसरा, खतियान के बनाये जाने के साथ–साथ उक्त तीन प्रमण्डलों द्वारा राजस्व के बकायों एवं चालू माँग की वसूली, को मुख्य अभियंता के आदेश पर 13 विभिन्न अभियंत्रण प्रमण्डलों में हस्तांतरित एवं छिन्न–भिन्न कर दिया गया था, जो सरकार के संकल्प का उल्लंघन था। इससे राजस्व की वसूली पर भी असर पड़ा।

इसे इंगित किये जाने के बाद सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (जून 2008) एवं सभी मुख्य अभियंताओं को सरकार के संकल्प का शत प्रतिशत पालन करने और तदनुरूप प्रतिवेदित करने हेतु दिशानिर्देश निर्गत किया। अनुपालन पर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2008)।

### 6.2.14 मेट एवं मौसमी कर्मियों पर किये गये व्यय के लिए विपत्र/माँग का सृजन नहीं किया जाना

बिहार सिंचाई बाढ़ प्रबंधन एवं निस्सरण नियमावली के अनुसार कृषक समितियों को सहभागिता सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि के हस्तांतरण के समय केवल वर्तमान फसल सत्र के दौरान नहरों के ठीक–ठीक संचालन हेतु मेट[17] एवं मौसमी कर्मियों को यथावत् रखा जायेगा और उस समय उनके वेतन का भुगतान विभाग द्वारा किया जायेगा। लेकिन उनके वेतन एवं मजदूरी पर किये गये व्यय की वापसी, जल दर की वसूली के बाद जल उपभोक्ता संघों द्वारा विभाग/सरकार को करना होगा। यह राशि सरकार को भुगतेय 30 प्रतिशत की अनुबंधित अंश राशि के अतिरिक्त होगा। इस संबंध में कार्यपालक अभियंताओं द्वारा संघों से उनको सिंचित भूमि के वास्तविक हस्तांतरण के पूर्व एक शपथ पत्र/वचन लेना होगा।

अभिलेखों के नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि सिंचाई प्रमण्डल, बक्सर के अन्तर्गत गंगा पम्प नहर प्रमण्डल से संबंधित पाँच वितरणियों को दिसम्बर 2005 में (अर्थात् वर्ष 2005–06 के रबी फसल सत्र से) पाँच जल उपभोक्ता संघों के अधीन हस्तांतरित किया गया था। वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 के दौरान प्रमण्डलों द्वारा मेट एवं मौसमी कर्मियों के वेतन एवं मजदूरी पर 1.18 लाख रुपये खर्च किये गये थे। लेकिन न तो संघों द्वारा एकरारनामे के अनुसार राशि को वापस किया गया और न ही राशि की वापसी हेतु प्रमण्डल द्वारा कोई विपत्र ही प्रेषित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 1.18 लाख रुपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किए जाने के बाद सरकार ने अगस्त 2008 में कहा कि प्रमण्डलों को, जल उपभोक्ता संघों के विरुद्ध विपत्र के प्रेषण हेतु निर्देशित किया जायेगा। बकाए की वसूली पर प्रतिवेदन प्राप्त नही हुए हैं (अक्तूबर 2008)।

### 6.2.15 जल दर का अवनिर्धारण

बिहार सरकार जल संसाधन विभाग ने नवम्बर 2001 में अधिसूचित किया कि वर्ष 2001–02 के प्रभाव से खरीफ के लिए 88 रुपये प्रति एकड़ एवं रबी के लिए 75 रुपये प्रति एकड़ की दर से जल दर आरोपित किया जायेगा।

पूर्वी उच्चस्तरीय नहर प्रमण्डल, टेकारी (औरंगाबाद) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2002–03 में खरीफ फसल के लिए 77,191.80 एकड़

[16] औरंगाबाद, बेतिया और मोतिहारी।
[17] सिंचाई हेतु जल के निर्विघ्न रूप से बहाव के लिए नहर स्थल पर विशेष रूप से प्रतिनियुक्त कर्मियों/मजदूरों का प्रमुख।

भूमि हेतु खतियान तैयार किया गया था और उस सिंचाई योग्य भूमि के लिए 88 रुपये प्रति एकड़ की वर्तमान दर पर 67.93 लाख रुपये के बदले गलत रूप से 54.13 लाख रुपये की माँग का सृजन किया गया था। इसके फलस्वरूप 13.80 लाख रुपये के जल दर का अवनिर्धारण हुआ।

इसे इंगित किये जाने के बाद संबंधित प्राधिकारी ने कहा कि खतियान वर्ष 2001 के पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित था, अतः कम दर पर माँग सृजित किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तर को साबित करने के लिए लेखापरीक्षा को कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया था। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2008)।

### 6.2.16 निष्कर्ष

प्रमण्डलों द्वारा जल लेखा तैयार नहीं किए जाने तथा निदेशालय स्तर पर अनुश्रवण की कमी के कारण विभाग सिंचाई क्षमता की बड़ी मात्रा का उपयोग करने में समर्थ नहीं था। सहभागिता सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम के तहत् जल उपभोक्ता संघों को भूमि के हस्तांतरण से संबंधित प्रमण्डलों द्वारा भेजे जाने वाले रिपोर्ट/रिटर्न के अभाव में निदेशालय दसवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य की अप्राप्ति से अनभिज्ञ था। राजस्व वसूली प्रणाली कमजोर थी जैसा कि बकायों की वसूली 9.5 एवं 21.32 प्रतिशत के बीच की कम प्रतिशतता से साबित होता है। इसके अलावे, बकायों की वसूली हेतु नीलामवाद दायर करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी, जिसके फलस्वरूप बकायों का भारी संचयन हुआ। अनुश्रवण के अभाव में प्रमण्डलों द्वारा चाट भूमि के अभिलेखों का संधारण नहीं किए जाने तथा अग्रिम में राजस्व की वसूली किये बगैर चाट भूमि की बन्दोबस्ती किये जाने से निदेशालय अनभिज्ञ था। विभाग का आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर तथा अप्रभावी थी जैसा कि आंतरिक लेखापरीक्षा के अभाव से साबित होता है।

### 6.2.17 अनुशंसाओं का सार

प्रणालीगत एवं अनुपालन बिन्दुओं को सुधारने हेतु सरकार निम्नलिखित अनुशंसाएँ लागू करने पर विचार कर सकती है :

- प्रमण्डलों द्वारा जल लेखा तैयार करना अनिवार्य किया जाये। वे प्रमण्डलों द्वारा निदेशालय को भेजने हेतु रिपोर्ट/रिटर्न बनाने पर भी विचार कर सकती हैं जिसमें सिंचाई हेतु उपलब्ध जल संसाधन एवं उन आँकड़ों पर आधारित उपलब्ध सिंचाई क्षमता तथा लक्ष्य के निर्धारण को दर्शाया गया हो;

- निदेशालय द्वारा बकायों की समय पर वसूली हेतु राजस्व वसूली प्रणाली के प्रभावशाली अनुश्रवण को सुनिश्चित कर सकती है। बकाये राशि पर नीलामवाद दायर करने के लिए एक निश्चित समयावधि भी निर्धारित की जा सकती है;

- चाट भूमि से संबंधित मूल अभिलेखों को संधारित करना, प्रमण्डलों के लिए अनिवार्य बना सकती है। अनुश्रवण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रमण्डलों द्वारा निदेशालय को प्रेषित करने हेतु उक्त विवरण दर्शाते हुए रिपोर्ट/रिटर्न भी निर्धारित की जा सकती है;

- सिंचाई प्रमण्डलों के लिए सूदकार, खेसरा तथा खतियान तैयार करना एवं बकायों के शीघ्र वसूली हेतु माँग निर्गत करना एवं इसे सरकारी खाते में प्रेषित करना अनिवार्य बना सकती है। सूदकार, खेसरा तथा खतियान बनाने की स्थिति एवं राजस्व की वसूली की स्थिति को दर्शाते हुए निदेशालय को भेजने हेतु रिपोर्ट/रिटर्न विहित कर अनुश्रवण प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सकता है; तथा

- आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग को अधिनियमों एवं नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवधिक जाँच करने को अनिवार्य बनाने के लिए शीघ्र कदम उठा सकती है जिससे कि संसाधनों का ठीक तरह से प्रबंधन हो सके और राजस्व की अधिक–से–अधिक वसूली हो।

## ख : खान एवं खनिज

### 6.3 ईंट मिट्टी के अवैध खनन पर अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के प्रावधानों तथा इसके अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना के तहत् ईंट भट्ठा का वर्गीकरण विभिन्न श्रेणियों में किया गया है। ईंट भट्ठा मालिकों को 50,000 रुपये तथा 90,000 रुपये के बीच प्रति मौसम प्रति ईंट भट्ठा की परिवर्ती दर पर रॉयल्टी का समेकित राशि ईंट भट्ठा की श्रेणी के आधार पर विहित दर पर दो किस्तों (50 प्रतिशत का प्रथम किस्त, भट्ठा के परिचालन से पूर्व एवं 50 प्रतिशत का द्वितीय किस्त, उक्त वर्ष के मार्च माह के पूर्व) में भुगतान करना है। पुनः नियम 40(8) में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति यदि वैध पट्टे/अनुज्ञप्ति के बगैर लघु खनिज निकालता है, तो उसे अर्थदण्ड के रूप में उसके मूल्य का भुगतान करना होगा। सरकार उस व्यक्ति से उस अवधि के लिए, जिसमें वह भूमि बिना किसी विधि सम्मत प्राधिकार के उसके कब्जे में था, यथास्थिति लगान, रॉयल्टी अथवा कर की वसूली कर सकती है।

पाँच जिला खनन कार्यालयों[18] के अभिलेखों की दिसम्बर 2007 तथा मार्च 2008 के बीच किये गये नमूना जाँच के दौरान ईंट भट्ठा पंजी से यह पता चला कि वर्ष 2005–06 तथा 2006–07 के ईंट मौसम[19] में 228 ईंट भट्ठे रॉयल्टी की समेकित राशि का बिना भुगतान किये एवं बगैर किसी वैध परमिट के परिचालित थे। हालाँकि, जिला खनन पदाधिकारियों ने भट्ठों को अवैध परिचालन का पता लगा लिया था फिर भी ईंट भट्ठा संचालकों के विरुद्ध अर्थदण्ड के रूप में खनिजों के मूल्य का आरोपण तथा वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी। इस प्रकार, रॉयल्टी के समतुल्य खनिजों के न्यूनतम मूल्य की गणना किये जाने पर 1.17 करोड़ रुपये का अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया था।

मामले इंगित किये जाने के बाद सरकार ने जुलाई 2008 में उत्तर दिया कि ब्याज के साथ–साथ समेकित रॉयल्टी की वसूली सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित जिला खनन पदाधिकारियों को अनुदेशित (जून 2008) किया गया है तथा इन मामलों में बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के तहत् अर्थदण्ड नहीं लगेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ईंट भट्ठों का संचालन बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के प्रावधानों के अनुसार वैध परमिट प्राप्त किये बगैर ही किया गया था और इस प्रकार बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के तहत् अवैध खनन के लिए अर्थदण्ड आरोप्य था।

### 6.4 खनिजों की अवैध अधिप्राप्ति के लिए कार्य संवेदकों के विरुद्ध अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली प्रावधित करता है कि कार्य संवेदक केवल पट्टाधारी/अनुज्ञप्तिधारी और प्राधिकृत व्यवसायी से ही खनिज का क्रय करेंगे। कार्य विभाग, कार्य संवेदकों द्वारा किये गये कार्य में व्यवहृत खनिजों की लागत की वसूली

[18] दरभंगा, गोपालगंज, सारण, सीतामढ़ी तथा सीवान।

[19] ईंट मौसम प्रत्येक वर्ष अक्तूबर महीने से शुरू होकर अगले वर्ष के मार्च तक।

हेतु जो विपत्र समर्पित किया जाता है, उसको तबतक स्वीकार नहीं करेगा जब तक वह विहित प्रपत्र 'एम'[20] एवं 'एन'[21] जिसमें उस व्यवसायी का नाम एवं पता वर्णित हो, जिससे खनिज का क्रय किया गया था, द्वारा समर्थित न हो। उक्त विपत्र को प्राप्त करने वाला पदाधिकारी का कर्तव्य है कि प्रपत्र की छायाप्रति एवं ब्योरे को संबंधित जिला खनन पदाधिकारी/सहायक खनन पदाधिकारी को भेज दें। संबंधित खनन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्रों के सारांश के सत्यापन से अगर यह प्रकट होता है कि खनिजों का क्रय किसी वास्तविक पट्टाधारी से नहीं किया गया है, तो यह माना जायेगा कि खनिजों की प्राप्ति अवैध खनन द्वारा की गई है और ऐसी परिस्थिति में संबंधित खनन पदाधिकारी, कार्य संवेदकों के विरुद्ध उन नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करेंगे।

तीन जिला खनन कार्यालयों[22] के अभिलेखों की जनवरी तथा फरवरी 2008 के बीच किये गये नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि इन जिलों में कोई भी कार्यान्वयन एजेंसियों ने सत्यापन हेतु जिला खनन पदाधिकारियों को प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' की अपेक्षित छायाप्रति नहीं भेजी थी। हालाँकि, इन जिलों के कोषागार पदाधिकारियों के अभिलेखों से सत्यापन करने पर यह प्रकटित हुआ कि वर्ष 2006–07 के दौरान कार्यान्यवन एजेंसियों ने संवेदकों पर खनिजों के उपयोग हेतु 75.21 लाख रुपये की रॉयल्टी का आरोपण किया था एवं इसे सरकारी खाते में जमा कराया था। यह दर्शाता है कि खनिजों का क्रय किसी प्राधिकृत पट्टाधारी/व्यवसायी से नहीं किया गया था और संवेदक 75.21 लाख रुपये के अर्थदण्ड के भुगतान के लिए उत्तरदायी थे, जो खनन पदाधिकारियों द्वारा आरोपित नहीं किया गया था।

मामले इंगित किये जाने के बाद सरकार ने जुलाई 2008 में कहा कि प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' प्राप्त करने एवं उसके सत्यापन हेतु संबंधित खनन पदाधिकारियों को अनुदेशित किया गया है (जून 2008)। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इंगित किये गये मामले अवैध उत्खनन से संबंधित है जैसा कि कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा संवेदकों के विपत्रों से रॉयल्टी की कटौती किये जाने से साबित होता है। आगे की प्रगति पर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2008)।

## 6.5 नीलाम/डाक राशि के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के तहत् सरकार, किसी प्रकार के किराये, रॉयल्टी या फीस अथवा सरकार को देय अन्य राशि पर 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर साधारण ब्याज अधिरोपित कर सकती है।

जिला खनन कार्यालय, जहानाबाद के अभिलेखों की जनवरी 2008 में किये गये नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि 36 स्टोन क्रशर के मालिकों तथा बालू घाट के पाँच बन्दोबस्तीधारियों ने जनवरी 2005 तथा जनवरी 2008 के बीच की अवधि के लिए एक से 534 दिनों के विलम्ब से खनन बकायों का भुगतान किया था। बकायों के विलम्ब से भुगतान हेतु 24.94 लाख रुपये का ब्याज यद्यपि आरोप्य था, आरोपित नहीं किया गया था।

मामला इंगित किये जाने के बाद सरकार ने जुलाई 2008 में कहा कि ब्याज की राशि को जमा करने हेतु जिला खनन पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा संबंधित स्टोन क्रशर के

[20] प्रपत्र 'एम', उपभोक्ता का नाम एवं पता का शपथ पत्र है।
[21] प्रपत्र 'एन', क्रय किये गये खनिजों का ब्योरा है।
[22] गोपालगंज, सीतामढ़ी तथा सीवान।

मालिकों/बालू घाटों के बन्दोबस्तीधारियों को माँग पत्र निर्गत किया जा चुका है। वसूली पर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2008)।

## 6.6 बन्दोबस्ती के दस्तावेजों का निष्पादन नहीं होने के कारण राजस्व की हानि

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत बालू घाटों की बन्दोबस्ती जिला समाहर्त्ता द्वारा एक कैलेंडर वर्ष के लिए सार्वजनिक नीलामी द्वारा की जानी है तथा बन्दोबस्ती आदेश के 60 दिनों के अन्दर बन्दोबस्ती के दस्तावेजों का निष्पादन, भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 में विहित मुद्रांक शुल्क के भुगतान पर किया जाना है। मुद्रांक शुल्क के समतुल्य अधिभार तथा 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त अधिभार भी 1977 के बिहार वित्त अधिनियम के तहत् आरोपित किया जाना है। दस्तावेजों के निष्पादन नहीं किये जाने की स्थिति में बन्दोबस्ती आदेश रद्द माना जायेगा।

तीन जिला खनन कार्यालयों[23] के अभिलेखों की जनवरी एवं फरवरी 2008 में किये गये नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि नियमों के तहत् अपेक्षित बन्दोबस्ती के दस्तावेजों का निष्पादन किये बगैर ही वर्ष 2006 एवं 2007 के लिए 3.34 करोड़ रुपये पर 14 बालू घाटों/स्टोन क्रशर क्षेत्रों की बन्दोबस्ती कर दी गयी थी। इसके फलस्वरूप 11.02 लाख रुपये के अधिभार सहित 21.03 लाख रुपये के मुद्रांक शुल्क की हानि हुई।

मामले इंगित किये जाने के बाद सरकार ने जुलाई 2008 में कहा कि संबंधित जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा अपेक्षित मुद्रांक कागजात जमा करने हेतु चूककर्त्ताओं को आदेश निर्गत किया जा चुका है। सहायक खनन पदाधिकारी, सीवान ने 60,480 रुपये हेतु नीलामवाद भी दायर कर दिया है। आगे की प्रगति पर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2008)।

## ग : वन प्राप्तियाँ

## 6.7 अतिक्रमित वन भूमि से बेदखल नहीं किया जाना

समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत वन भूमि का अतिक्रमण एक संज्ञेय तथा गैर जमानती अपराध है। कोई भी वन पदाधिकारी, जो प्रमण्डलीय वन पदाधिकारी के पद से नीचे का न हो, के पास यह विश्वास करने का ठोस कारण हो कि सरकारी वन भूमि का अतिक्रमण किया गया है तो अतिक्रमण करने वाले को बेदखल तथा बिहार पब्लिक लैंड इनक्रोचमेंट एक्ट, 1956 के तहत् एक दण्डाधिकारी को प्रदत्त सभी शक्तियों का उपयोग कर सकता है। अतिक्रमण करने वालों से वन उत्पादों एवं वन भूमि की क्षति हेतु रॉयल्टी एवं क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भी भारतीय वन अधिनियम प्रावधित करता है।

वन भूमि का अतिक्रमण सतत् जारी रहना तथा उस पर किसी प्रकार का अनाधिकृत क्रियाकलाप, वन भूमि से अतिक्रमणकारियों को पूर्ण बेदखल करने के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश[24] की अवहेलना मानी जायेगी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार ने शीर्ष न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में शिथिलता बरतने वाले वन पदाधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने हेतु जून 2003 में निर्देश निर्गत किये थे।

---

23 जहानाबाद, सीतामढ़ी तथा सीवान।

24 टी0 एन0 गोदावरम् थिरूमलपद, बनाम संघ सरकार, समादेश याचिका (सिविल)।

तीन वन प्रमण्डलों[25] के अभिलेखों की अप्रैल 2007 एवं मार्च 2008 के बीच किये गये नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2002–03 से 2006–07 की अवधि में वन भूमि के 26.0976 हेक्टेयर क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया था। प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों तथा शीर्ष न्यायालय के आदेशों के बावजूद अतिक्रमणकारियों से वन भूमि की बेदखली सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी। अतिक्रमणकारियों से वसूलने हेतु क्षतिपूर्ति के साथ खड़े पेड़ों की क्षति के लिए राजस्व का निर्धारण भी विभाग द्वारा नहीं किया गया था। प्रति हेक्टेयर 5.80 लाख रुपये के न्यूनतम शुद्ध वर्तमान मूल्य पर, अतिक्रमित वन भूमि का मूल्य 1.51 करोड़ रुपया आँका गया है।

मामले इंगित किये जाने के बाद दो प्रमण्डलीय वन पदाधिकारियों[26] ने मई 2007 एवं मार्च 2008 के बीच कहा कि अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी, जबकि प्रमण्डलीय वन पदाधिकारी, कैमूर ने जनवरी 2008 में कहा कि उत्तर भेजी जायेगी।

मामले सरकार को मई 2008 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2008)।

अ॰ कु॰ सिंह

पटना
दिनांक 16 FEB 2009

(अरुण कुमार सिंह)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

Vinod Rai

नई दिल्ली
दिनांक 19 FEB 2009

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

25 कैमूर, मुंगेर तथा नालंदा।
26 मुंगेर तथा नालंदा।

©
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
2009

मूल्य : 65 रुपये (अंतर्देशीय)
5 यू0 एस0 डॉलर (विदेशी)

मुद्रण : सरस्वती प्रेस लिमिटेड (पश्चिम बंगाल सरकार का उपक्रम), कोलकता–700 056